महानगर नई दिल्ली बुधवार 10 जुलाई, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

भ्रष्टाचार, हथियारों की तस्करी के मामले

19 राज्यों में सीबीआइ के छापे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

भ्रष्टाचार, हथियारों की तस्करी, बैंकिंग धोखाधड़ी एवं गबन के मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने मंगलवार को देशव्यापी अभियान चलाया। इसके तहत सीबीआइ ने भ्रष्टाचार, आपराधिक कदाचार और हथियारों की तस्करी के विभिन्न मामलों में दर्ज प्राथमिकियों के सिलसिले में 19 राज्यों में 110 स्थानों पर छापेमारी की।

मायावती के कार्यकाल के दौरान हुए चीनी मिल विनिवेश घोटाले के सिलसिले में

मायावती के कार्यकाल के दौरान हुए चीनी मिल विनिवेश घोटाले के सिलसिले में छापे
कई सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों पर भी छापे, 30 नए मामले दर्ज
दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, ओड़ीशा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में छापे जारी

सीबीआई ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के पूर्व सचिव के परिसरों सहित लखनऊ और एनसीआर में 11 जगहों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि एजंसी ने कथित भ्रष्टाचार, हथियारों की तस्करी और आपराधिक गतिविधियों के सिलसिले में 19 राज्यों में 110 जगहों पर छापा मारा। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने 30 ताजा मामले दर्ज किए हैं।अधिकारियों के अनुसार सीबीआइ ने 30 नए मामले दर्ज किए हैं।

खबर लिखे जाने तक छापेमारी अभियान जारी था। अधिकारियों के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक यह क्रम जारी रहेगा। सीबीआइ एक हफ्ते में यह दूसरी बार सघन छापा अभियान चला रही है। ऐसा ही अभियान मंगलवार को बैंकिंग धोखाधड़ी के बाकी पेज 8 पर

कर्नाटक में जारी नाटक

नौ विधायकों के इस्तीफे तय प्रारूप में नहीं : विधानसभाध्यक्ष

बंगलुरु, 9 जुलाई (भाषा)।

कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के. आर रमेश कुमार ने मंगलवार को कहा कि सत्ताधारी कांग्रेस-जद (सेकु) गठबंधन के 14 में से नौ बागी विधायकों के इस्तीफे निर्धारित प्रारूप में नहीं है और उन्होंने विधायकों को सही प्रारूप में इसे सौंपने को कहा है। राज्य में गठबंधन सरकार बचाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से उसके बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मंगलवार को मांग की और भाजपा पर उसके सदस्यों को लुभाने के लिए धनबल के इस्तेमाल का आरोप लगाया। इससे पहले, पार्टी के एक और विधायक ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

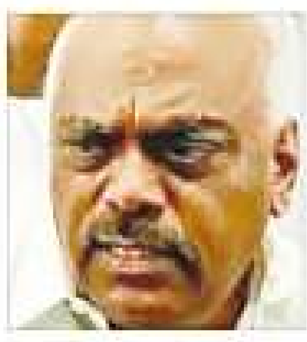

रमेश कुमार

अध्यक्ष कुमार ने पत्रकारों को बताया कि सत्तारूढ़ गठबंधन के 14 विधायकों में से नौ विधायकों के इस्तीफे पत्र निर्धारित पत्र में नहीं हैं और उन्होंने विधायकों को सही प्रारूप में इसे सौंपने को कहा है। विधानसभा अध्यक्ष कुमार ने कहा, '(पहले) सौंपे गए इन 14 इस्तीफा पत्रों में से पांच के इस्तीफा पत्र निर्धारित प्रारूप में हैं।' उन्होंने अपने कक्ष में संवाददाताओं से कहा, 'इन पांच विधायकों में आनंद सिंह, नारायण गौड़ा, प्रताप गौड़ा पाटील, गोपालैया और रामलिंगा रेड्डी शामिल हैं।' विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिन बाकी पेज 8 पर

पत्रकारों से बात करते हुए कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुंडु राव

विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हो : गुंडु राव

विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रमुख दिनेश गुंडू राव ने पत्रकारों को बताया कि कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के निर्णय के अनुसार उन्होंने 'इस्तीफा देने वाले और सरकार को गिराने के लिए भाजपा से साठगांठ करने वाले' विधायकों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की स्पीकर से मांग की है। इससे पहले, ताजा संकट के बाद हुई कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक में 20 विधायक अनुपस्थित थे। इनमें 11 विधायक भी शामिल हैं, जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि सात विधायकों ने स्वास्थ्य समेत अन्य कारणों का हवाला देते हुए बैठक में शामिल नहीं होने की छूट के लिए अनुमति मांगी थी।

'लौटें या नतीजे भुगतें'

कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस्तीफा देने वाले विधायकों से वापस लौटने या नतीजे भुगतने के लिए कहा। सिद्धरमैया ने दावा किया कि कर्नाटक में गठबंधन सरकार बनने के बाद से भगवा पार्टी 'लगातार' इस सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी ने पहले भी सरकार को अस्थिर करने के पांच बार प्रयास किए थे और यह उनका छठा प्रयास है, वे इस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय नेता प्रत्यक्ष रूप से इस प्रयास में शामिल हैं।

कर्नाटक के विधायक अब भी मुंबई में

मुंबई, 9 जुलाई (भाषा)।

कर्नाटक विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद तीन दिन पहले मुंबई आए एक दर्जन विधायक अब भी यहीं डेरा डाले हुए हैं। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक बीसी पाटील की ओर से यह पुष्टि की गई। वहीं, घोषणा की गई कि कर्नाटक कांग्रेस के नेता व मंत्री **डीके शिवकुमार** अपनी पार्टी के बाकी पेज 8 पर

'बालाकोट और लक्षित हमले के बाद घुसपैठ में कमी'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार लक्षित हमले व बालाकोट हवाई हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ में भारी कमी आई है।

नित्यानंद राय

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि सीमा पार से घुसपैठ में पिछले साल की तुलना में इस साल के शुरुआती छह माह में 43 फीसद की कमी आई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक आतंक पर सरकार की ओर से उठाए गए कड़े कदमों से घुसपैठ ही नहीं आतंकवादी गतिविधियों और आतंकियों की स्थानीय भर्ती में भी कमी बाकी पेज 8 पर

भाजपा संसदीय दल की बैठक में मोदी ने कहा

गांधी जयंती से पटेल जयंती तक पदयात्रा करें भाजपा सांसद

नई दिल्ली, 9 जुलाई (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों से दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के बीच अपने-अपने संसदीय क्षेत्र में 150 किलोमीटर की पदयात्रा करने तथा गांधी जी के विचारों का प्रचार एवं पौधरोपण करने को कहा।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को भाजपा संसदीय पार्टी की बैठक में पार्टी सांसदों को संबोधित करते हुए लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा सदस्यों से भी भाजपा संगठन की ओर से आयोजित होने वाले ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने को कहा।

जोशी ने बताया, 'इन यात्राओं का मकसद गांवों का उन्नयन और शून्य बजट कृषि को प्रोत्साहित करते हुए गांव को आत्मनिर्भर बनाना है।' संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गांधी जयंती से पटेल जयंती (2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर) तक सभी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में 150 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इसके लिए अलग-अलग समूह बनेंगे और सांसद एक दिन एक समूह के साथ पदयात्रा करेंगे। इसमें भाजपा बाकी पेज 8 पर

अमदाबाद जिले के वरमोर की घटना, उच्च जाति के थे संबंधी

पत्नी के रिश्तेदारों ने की दलित युवक की हत्या

अमदाबाद, 9 जुलाई (भाषा)।

गुजरात के अमदाबाद जिले के एक गांव में 25 वर्षीय दलित व्यक्ति की उसकी पत्नी के रिश्तेदारों ने कथित रूप से हत्या कर दी। उसकी पत्नी उच्च जाति से ताल्लुक रखती है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि सोमवार रात हरीश सोलंकी अपनी पत्नी उर्मिलाबेन को लिवाने के वास्ते अपने ससुराल वालों को मनाने के लिए मंडल तालुका के वरमोर गांव गया था। तभी यह घटना हुई। उसकी पत्नी दो माह की गर्भवती है। उर्मिलाबेन ऊंची जाति के दरबार समुदाय से आती है।

उर्मिलबेन और हरीश सोलंकी *(फाइल फोटो)*

पुलिस उपाधीक्षक (एससी/एसटी प्रकोष्ठ) पीडी मानवर ने बताया कि सोलंकी ने उर्मिला के माता-पिता की मर्जी के खिलाफ कुछ महीने पहले उससे शादी की थी और उसे कच्छ जिले के गांधीगाम ले गया था, जहां वह अपने माता-पिता के साथ रहता है। मानवर ने बताया कि उर्मिला के रिश्तेदार उसे वापस ले आए और कहा कि उसे कुछ हफ्तों बाद सोलंकी के पास वापस भेज देंगे, लेकिन जब उन्होंने करीब दो महीने तक उसे वापस नहीं भेजा तो सोलंकी ने अपने ससुराल वालों को मनाने के लिए उनके घर जाने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि सोमवार को सोलंकी ने महिला हेल्पलाइन 'अभयम 181' की मदद ली और हेल्पलाइन की गाड़ी में सवार होकर वरमोर गया।

पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि सोलंकी गाड़ी के बाकी पेज 8 पर

स्टेट बैंक ने ब्याज दर में 0.05 फीसद कटौती की

मुंबई, 9 जुलाई (भाषा)।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा रेपो दर में कटौती का लाभ ग्राहकों तक तेजी से पहुंचने की उम्मीद व्यक्त किए जाने के एक दिन बाद देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने मंगलवार को अपनी सभी अवधि के कर्ज पर सीमांत लागत आधारित ब्याज दर में 0.05 बाकी पेज 8 पर

पर्दे के पीछे चल रही बैठकों पर द्विवेदी ने उठाए सवाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के मद्देनजर अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद पार्टी में नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अंदरूनी घमासान तेज हो गया है। नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ कर्ण बाकी पेज 8 पर

गाने में अश्लीलता का आरोप, हनी सिंह पर मामला दर्ज

चंडीगढ़, 9 जुलाई (भाषा)।

पंजाब पुलिस ने एक नए गाने में महिलाओं के खिलाफ अश्लील शब्दों के इस्तेमाल के आरोप को लेकर पॉप गायक हनी सिंह और निर्माता भूषण कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में पंजाब राज्य महिला आयोग ने हनी सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए बाकी पेज 8 पर

सराहनीय गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार भिखारियों की संख्या पांच हजार

लखनऊ में भिखारी करेंगे काम, मिलेगी पगार

लखनऊ, 9 जुलाई (भाषा)।

नगर निगम शहर के भिखारियों को रोजगार देने की योजना बना रहा है ताकि ये लोग भीख मांगने का काम छोड़ कर अपनी मेहनत के बल पर रोजी-रोटी कमाएं और अपना व अपने परिवार का पेट भरने में सक्षम हों।

नगर निगम के रिकार्ड के मुताबिक शहर में कुल 543 भिखारी हैं लेकिन गैर-सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह संख्या करीब पांच हजार है। लखनऊ नगर निगम शहर में भीख मांगने वाले इन्हीं लोगों को रोजगार देने की योजना बना रहा है। इसके लिए नगर निगम के सभी वार्डों में सर्वे किया जा रहा है।

नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी ने मंगलवार

नगर निगम की भिखारियों को मुख्यधारा से जोड़ने की पहल
योग्यता और क्षमता के मुताबिक दिया जाएगा काम
543 भिखारी हैं लखनऊ में नगर निगम के रिकार्ड के मुताबिक
5000 के करीब संख्या है गैर-सरकारी आंकड़ों के अनुसार
8 से 9 हजार वेतन मिलेगा प्रशिक्षण के बाद भिखारियों को

भिखारियों को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। बाद में उनको काम पर लगाया जाएगा। इस काम में समाज कल्याण विभाग की भी मदद ली जा रही है। -इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त

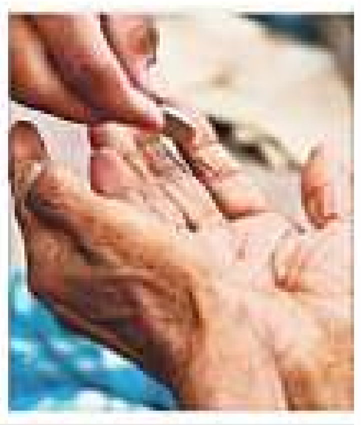

को बताया कि सर्वेक्षण के अनुसार शहर में 543 भिखारी हैं जिन्हें नगर निगम रोजगार देने की योजना पर काम कर रहा है। हमारी यह योजना भीख मांगने वालों को मुख्यधारा में जोड़ने के मकसद से चलाई जा रही है। इन लोगों से नगर निगम के कुछ काम करवाने की योजना है, जैसे- घर-घर जाकर कचरा जमा करना, सफाई का काम, सड़कों पर बिजली की व्यवस्था का काम, सीवर नाले की सफाई का काम आदि। इन बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Ranjan Kumar Singh R/o-D-604,PAN Oasis, Sector-70,Noida,U.P-201301,have changed my minor son's name from BHAVESH KUMAR to RISHAV RANJAN SINGH vide affidavit.No.-14318 dated-14.06.2019. 0040502499-1

I,Pooja Naggi W/O-Gaurav Jethi, R/O-Tp-66, Maurya-Enclave, Pitampura Delhi-34. Changed My Name To Radhika Jethi. 0040502498-1

I, Dheeraj Kumar S/o-Shri Fateh Singh R/o-A-526,First-Floor,Double Storey, Kalkaji, New Delhi-110019,have changed my name to Dheeraj Yadav to Dheeraj Kumar for all purposes. 0040502480-2

I, Yashika Kapoor D/o Gulshan Kapoor R/o H.No.78-C Block-WP Pitampura Delhi-110034, have changed my name to Neha Kapoor. 0040502494-8

I, Yamini Sharma Chowdhary W/O-Nikhil Chowdhary, Residing At-H.No.255, Ugf B-3-Block, Paschim-Vihar, New-Delhi-110063.Have Changed The Name Of My Minor Daughter Danishi V Chowdhary, Aged 3-Years And 1-Month And She Shall Hereafter Be Known As Dhun Chowdhary. 0040502543-3

I, Virendra Kumar S/O Shyam Lal R/O-24-A, Upper First Floor, Dilip Vihar, Nilothi-Extension, Nangloi, Delhi-110041. Changed my name to Virender Kumar. 0040502498-3

I, Vidya Bishnoi W/O Krishan Bishnoi R/O-75, Ugf Begumpur Malviya Nagar N.D-17 Changed My Name To Bhagwanti Bishnoi. 0040502543-2

I, Usha Devi W/o-Late Sh.Hansraj Yadav R/o-C-29 Gali No.9, C.S.Marg Shalimar Village Delhi-88. Have changed my minor daughter's name Pooja to Pooja Yadav. 0040502494-9

I, Tek Chand S/o Late Sh.Pyare Lal R/o E-27, Sector-82, Roop Enclave, Naagar Colony, Near State Bank of India, Faridabad, Haryana-121004, have changed my name to Tek Chand Joshi for all purposes. 0040502440-1

I, Surinder Batra R/O-D/428 Gaur Global Village, Crossing Republic Ghaziabad-201016 , have changed my nameto Surinder Prakash Batra. 0070664095-1

I, Sumitra Vashisht W/o Santosh Kumar Vashisht R/o WZ-443-A, Hari Nagar, M.S. Block, Clock Tower, New Delhi-110064 have changed my name to Savitri Vashisht for all future purposes. 0040502459-1

I, Shilpa Gupta W/o Atul Jain R/o.-313/63F,Anand Nagar, Inderlok, Delhi-110035 have changed my name to SHILPA JAIN for all future purposes. 0040502499-3

I, Shikkha Shaurma D/O Shri Jugal Kishore Sharma R/O BG-6/338b, Paschim Vihar, New Delhi-110063, have changed my name to Shikha Sharma for all purposes. 0050151241-1

I, Shailesh Jain S/o Sh.Genmal Virchand Jain, R/o.-Alka Apts,Lal Darwaja,Bandugara Naka, Surat,Gujarat,have changed my name to Shailesh Genmal Jain permanently. 0040502499-2

I, Shafeequllah S/o Shafiullah R/O 5322, Yaqoob Street, Kucha Rahman, Chandni-Chowk, Delhi-110006. Changed My Name To Shafiq Ullah Khan. 0040502563-4

I, Saurabh Lamba R/O Portion Pvt No. 108, Plot No. 5, Pal Mohan Appartments, NWA, West Punjabi Bagh, New Delhi 110026, have changed my minor child's name from Purvith to Purvith Lamba 0070664086-1

I,Sudarshan Kumari Gupta,W/o Shugan Chand Jhari, R/o Flat D603, Shubhkamna Apartment, Plot-F-31, Sector-50,Noida,G.B. Nagar,U.P.,have changed my name to Sudarshan Kumari. 0040502563-7

I, Satinder Jit Gill S/o Sh. Nazar Singh Gill R/o A-5, Nar Vihar-I, Sector-34, NOIDA, UP, have changed my name from Satinder Jit Gill to Satinder Jeet Singh Gill for all future purposes. 0040502446-1

I, Sanjeev Jain S/o Mahendra Singh Jain, residing at 37, Kanchanchanga Apartment, I.P. Extn., Patparganj, Delhi-110092, have changed the name of my minor son UTSAV JAIN aged 15 years and he shall hereafter be known as UPLABDHI JAIN. 0040502476-1

I, Akshay Kumar R/o D-428 Gaur Global Village, Crossing Republic Ghaziabad,201016 , have changed my nameto Akshay Batra. 0070664091-1

I, Rupali Bhateja D/o Prem Chand Bhateja and W/o Nitin Khatri R/o House No-2562, Hudson Line, Kingsway Camp, G.T.B. Nagar, Delhi-110009, have changed my name to Khushi Khatri 0070664088-1

I, Rajesh Kumar S/o Raghunath Singh R/o Ghaupal Gali Singhu New Delhi 110040 have changed my name to Rajesh Sharawat 0040502486-2

व्यक्तिगत

I, Sanjay Aggrwal/Sanjay Aggarwal S/o Jyoti Prasad Aggarwal R/o-L24/5, DLF-Phase-2, Gurgaon, Hr-122008, have changed my name to Sanjay Aggarwal. 0040502494-7

I, Sahaj Gill S/o Satinder Jeet Singh Gill R/o A-5, Nar Vihar-I, Sector-34, NOIDA, UP, have changed my name from Sahaj to Sahaj Gill for all future purposes. 0040502443-1

I, SUDHIR KUMAR S/O NARESH PRASAD R/o-92, SecondFloor, Pocket-24,Rohini, Delhi declare that name of mine has been wrongly written as SUDHIR KUMAR GUPTA in my minor son TAKSH aged-10 years School-Transfer certificate.The actual name of mine is SUDHIR KUMAR. 0040502556-5

I, Ram Pher S/o Rameshwar R/o 20-A, SFS-MIG DDA-Flats, Motia Khan Pahar Ganj, Delhi-55. Have changed my name to Ram Pher Yadav. 0040502494-5

I, Raju s/o Munshi Ram R/o-X/1809, Gali No.12, Rajgarh-Colony, Delhi-110051, have changed my name to Raju Arora permanently. 0040502494-1

I, Raju Rathore S/o Shri Virender Kumar R/o-E-348,New Ashok Nagar,Delhi-110096,have changed my name from Raju to Rathore for all purposes. 0040502499-6

I, Pranjali Bhardwaj D/O Shri Subodh Bhardwaj R/O Ward No.10, Shipuri Gali No.2, Post-Chharra, Aligiar U.P-222130 in My 10th-Class Certificate My Date-Of-Birth Is Wrongly Mentioned As 19/09/1999., But Correct Date-of-Birth-19/09/1998. 0040502563-6

I, Poorva D/o Vijender Sharma R/o-2/26, Sector-5,Rajender Nagar,Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh,have changed my name to Poorva Sharma for all purposes. 0040502499-7

I, Poonam W/o-Jitender Goyal R/o-105-B-GH/2, Ankur-Appartment, Paschim-Vihar, New Delhi-63, changed my name to Poonam Goyal. 0040502514-6

I, Pooja Priyanka Panth Gill W/o Satinder Jeet Singh Gill D/o Late Brgdr. H. D. Panth R/o A-5, Nar Vihar-I, Sector-34, NOIDA, UP, have changed my name from Pooja Priyanka Panth to Pooja Priyanka Panth Gill for all future purposes. 0040502445-1

I, Pooja D/O, Suresh Gupta R/o E-49A Nanhey Park, Matiala, West Delhi-110059, have changed my name to Pooja Gupta for all purposes. 0040502540-1

I, Pinky Jain W/O Raj Kumar Jain, R/O 30, Bahubali Enclave, Karkardooma, Delhi-110092. Changed My Name To Pinki Jain. 0040502563-5

I, Paridhi Wahi W/O Sh.Gaurav Wahi D/o Sh.Charanjiv Khurana Presently R/o C-15, Tulsi Apartments, Sector-14, Rohini, Delhi-110085, have changed the name of my minor daughter from Gauranshi Wahi to Anhad for all purposes. 0040502440-3

I, Pankaj Kumar, S/o Jilajeet Parjapati R/o-528, Block-C, Street No.11, Mukundpur, Part-1, Delhi-42, Changed My Name To Pankaj Kumar Parjapati. 0040502494-10

I, Om Pati W/O Kitab Singh, R/O Ca-37-C, Janta Flats, Hari Nagar, Delhi-110064. Changed My Name To Om Pati Devi. 0040502563-2

I, Nirmal Kanta Thakur W/O Shri Ashwani Kumar,R/O C-1/198, first floor, Sector-17, Rohini Delhi-110089,have changed my name to Nirmal Thakur. 0040502563-8

I, Nikhil S/o Lal Chand R/o-201/1, 2nd-Floor, Gali-9, Bhola-Nath Nagar, Shahdara, Delhi-have changed my name to Nikhil Kapoor. 0040502494-2

I, NIKKHIL R SAXENNA, S/O Mr. Rakesh Kumar Saxena , R/O F-182/S-II Dilshad Colony, Delhi – 110095 have withdrawn my earlier name change published vide notification no. 40 (Part IV) dated 04-10-2008 Gazette of India , Now my name is NIKHIL SAXENA and I will be known by this name for all future purposes. 0040502484-1

I, Meenakshi Aggarwal W/o-Sudhanshu Kumar Aggarwal R/o-RP-19, Maurya-Enclave, Pitampura, Delhi-110034. Have changed my name from Meenakshi Devi Aggarwal. permanently. 0040502514-9

I, Meena/Meena Kumari W/O Virender Kumar R/O-24-A, Upper First Floor, Dilip Vihar, Nilothi-Extension, Nangloi, Delhi-110041. Changed my Nameto Renu. 0040502498-4

I, Manisha D/o Sanjay Kumar Gola R/o-3395, Gali Hari Mandir, Kaseruwalan, Pahar Ganj, New Delhi, have changed my name to Manisha Gola for all purposes. 0040502464-1

I, Arun Kumar Singh S/O-Late Sh.Chandresh Singh,Residing At-K-109, Sarita-Vihar, New-Delhi-110076.Have Changed My Name To Arun Kumar Chandresh Singh.For All Future Purposes. 0040502556-2

I, Anu Sharma W/o Bihari Lal Sharma R/o S-100, School Block, Shakarpur, Delhi-110092 have changed my name to Anuradha. 0040502556-4

I, Manas Misra, S/O Anil Kumar Misra, R/O-G4, Srijan-Vihar, Nyaykhand-2, Indirapuram, Ghaziabad, U.P.201014, Changed My Name To Manas Mishra. 0040502563-1

I, Madhu Anand D/O Chaman Lal Mehta R/o B-48 Uper Ground-Floor, Anand-Vihar,Uttam-Vihar Delhi-59, have changed my name to Madhu Bala. 0040502494-4

I, Lalit Kumar S/o Tulsi Das R/o 3246, Aryapura Sabzi Mandi, Delhi-110007. Have changed my name to Lalit Kumar Arora. 0040502498-6

I, Kuldeep Dhiman S/o Ramnath Sharma R/o H.No-302, Sector-16A, Vasundhara Ghaziabad, U.P-201012, have changed my minor daughter's name from Madhulika to Madhulika Dhiman. 0040502435-1

I, Krishan Chand Jain & Kishan Chand Jain S/o Tirlok Chand Jain, R/O House No. A/2, Mianwali Colony, Farrukh nagar, Gurgaon-122001, Haryana, inform that both name belongs to me. There is typo error in property paper. I will use the name Krishan Chand Jain for all my future documentation. 0040502437-1

I, Kishan Bishnoi S/O Bhagirath R/O-75, Ugf Begumpur Malviya Nagar N.D-17 Changed My Name To Krishan Bishnoi. 0040502543-1

I, Kirtee Tripaathi R/o 503/1, Parsvnath Majestic Floors Vaibhav Khand Indirapuram GZB(UP), have changed my minor daughter's name from Gauri Tripathi to Gauuri Tripati. 0040502556-1

I, Kelvin S/O Shri Ashwani Kumar, R/O C-1/198, first floor, Sector-17, Rohini, Delhi-110089, have changed my name to Kelvin Thakur. 0040502563-9

I, Kavita Gogna W/O Sanjeev Gogna R/O-C-391,First-Floor, Defence Colony,Lajpat Nagar,New-Delhi-110024. Have Changed my Name to Kavita Chawla. 0040502514-8

I, Karandeep Singh Bhatia S/o Upkar Singh Bhatia R/o GF, J-12/22, Rajouri Garden, Delhi 110027, have changed my minor (DOB: 20/10/2016) daughter's name from Keerat Kaur Bhatia to Keerat Bhatia. 0040502448-1

I, Mohammad Firoj Alam S/o Mohammad Ismail R/o Plot No-A-37, Flat No-B (Second Floor), Amritpuri Delhi-110065. Have Changed My Name To Firoj Arman Khan. 0040502494-6

I, Kamal Manchanda S/o Satish Kumar R/o Flat No.303, Annapurna Towers, Kaushambi, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201010, have changed my name from Kamal Manchanda to Kamal Kumar Manchanda, for all future purposes. 0040502471-1

I, Kamal Deep s/o Jagmohan Singh resident B-100 Puru Apartment Sector-13, Rohini Delhi-110085, have changed my name to Kamaldeep Singh. 0040502489-1

I, KM Pushpa Kumari D/o Vinod Kumar R/o E-198, Block-E, Kusumpur Pahari, Delhi-110057, have changed my name to Pushpa. 0040502498-8

I, Jyoti W/o Praveen Sharma R/o-7/215 Jawahar Mohalla Shahdara, Delhi-110032. Have changed my name to Jyoti Sharma for all purposes. 0040502494-3

I, Jitender S/o-Subhash Chand Goyal R/o-105-B-GH/2, Ankur-Appartment, Paschim-Vihar, New Delhi-63, changed my name to Jitender Goyal. 0040502514-5

I, J. Bebinson Elango R/o-A-11, Vasant-Apartment, Mehrauli, New Delhi-110030. Have changed my minor daughter's name from B.A. Binolin Esther to Binolin Esther for all purposes. 0040502498-9

I, J. Bebinson Elango R/o-A-11, Vasant Apartment, Mehrauli, New Delhi-110030. Have changed my minor son's name from B.A. Alfrin Samuel to Alfrin Samuel.for all purposes. 0040502498-10

I, Inder Kumar S/o Sh. Om Prakash R/o Flat No. 47, First Floor, Pkt. 12, Sector-21, Rohini, Delhi-86, have changed my name to Inder Arora for all purpose. 0040502456-1

I, Gurpreet Kaur W/o Harvinder Singh R/o-71-A Deepak-Vihar Chander-Vihar Nilothi-Extension N.Delhi-110041. changed my name to Amrit Kaur. 0040502514-1

I, Ginni Avtarsingh Khurana W/o Joginder Singh Takkar R/o House No.2/7A, First Floor, Jangpura-A, New Delhi-110014 have changed my name from Ginni Avtarsingh Khurana to Gaganjeet Kaur for all purposes. 0040502449-1

I, Balsher Singh Dhillon S/o-Baldev Singh Dhillon R/o-Opposite-Durga-Mandir Gali-Badal Sri-Muktsar Sahib-Punjab changed my minor daughter's name Chitman Dhillon to Chitman Kaur Dhillon. 0040502514-2

I, Arvind Singh S/o Sh.Gurbachan Singh R/o H-86, Ashok Vihar Phase-1, Delhi-110052, have changed the name of my minor son from Mehar Munjal to Mehar Singh Munjal for all purposes. 0040502440-2

व्यक्तिगत

मैं, अदिति ढोंडियाल, पत्नी श्री प्रखर कुमार, निवासी एरम-901, पैरामाउंट फ्लोराविले, सैक्टर-137, नोएडा (उ.प्र.) एतद्द्वारा घोषणा करती हूँ कि मैंने तुरन्त प्रभाव से अपने नाबालिग पुत्र का नाम प्रयान गुप्ता से बदलकर प्रदित्य गुप्ता कर दिया है।

मैं, सैय्यद अलीजा हसनेन खान पुत्र श्री सैय्यद लुत्फे हसन खान पता B-33 DDA कालोनी न्यू जाफराबाद बाबरपुर दिल्ली-110032 ने अपना नाम सैय्यद अलीजा हसनेन से बदलकर सैय्यद अलीजा हसनेन खान रख लिया है।

मैंने अपनी पुत्री सकीना आगा का नाम बदलकर अब सकीना मसूद रख दिया है। उसे इसी नाम से जाना-पहचाना जायेगा। सईद मसूद आगा, सकीना मसूद आर्केड 449/122A क जीएलएम रोड, मुफ्तीगंज, आगा'ज मार्ट, लखनऊ

मैं सैय्यद अलीजा हसनेन खान पिता अली मोहम्मद खान पता- B-33, DDA कालोनी बाबरपुर जाफराबाद दिल्ली- 110032 ने अपने पुत्र अली खान का नाम बदल कर अली खान से अली मोहम्मद खान रख लिया है।

I, Gaurav S/o Sunil Kumar R/o F-733, Bhola Nagar, Kotla-Mubarakpur, Delhi-110003, have changed my name to Gaurav Garg. 0040502498-7

I, Devansh S/o Manmohan R/o GH-1/7 Archana Aptt. Paschim Vihar New Delhi-110063 changed my name to Devansh Sharma. 0040502514-4

I, David Anugrah, s/o Mr. Jaswant Satish Joseph, resident of WZ-161, Flat No 202, 2nd Floor, Palam Village, New Delhi 110045, have changed my name from David Anugrah to David Anugrah Joseph for all purposes. 0040502537-1

I, Daljeet Kaur W/o Makhan Singh R/o J-122, Street No.11, Kartar Nagar, Delhi-110053, have changed my name to Daljit Kaur for all future purposes. 0040502438-1

I, Bihari Sharma / B.L. Sharma S/o Tulsi Ram Sharma R/o S-100, School Block, Shakarpur, Delhi-110092 have changed my name to Bihari Lal Sharma. 0040502556-3

I, Bhavna W/O-Kamal Kishore, R/O-Flat.No.100-E, Pocket-1, Mayur-Vihar Phase-1, East-Delhi, Delhi-110091,Changed My Name To Bhavna Saxena Gusain. 0040502514-10

I, Bhaskar Choudhury Bhupesh Prosad s/o-Bhupesh Prasad Choudhury H.No.804, Tower-14A, Orchid-Petals, Sector-49, Gurugram, Haryana-122018. Changed my name to Bhaskar Choudhury. 0040502514-7

I, Curitana Julie Ann Valencia W/o-Saurabh Kamboj R/o-VPO-Mothrowala, Dehradun, Uttarakhand-248001. Have changed my name to Kamboj Julie Ann Curitana for all purposes. 0040502498-5

I, Balsher Singh Dhillon S/o-Baldev Singh Dhillon R/o-Opposite Durga Mandir Gali Badal Sri-Muktsar Sahib-Punjab changed my minor daughter's name Parneet to Parneet Kaur. 0040502514-3

I, Ashwani Kumar Bhoga S/O Pradeep Bhoga R/O-C-40,Vijay-Vihar Phase-2, Near Veerbazar Road, Rohini, Delhi-110085. Changed my Name to Ashwani Bhoga. 0040502498-2

I, Anand Kumar S/O Ram Gopal R/O-472-A, Street No-9, Shaheed Bhagat Singh Colony, Karawal-Nagar, Delhi-110094.Changed My Name To Anand Kashyap. 0040502563-3

I Jabbar S/o Hazrat R/o A-19 Gali No-10, Nagarvan Park, East Sagarpur, Nangal Raya, South West Delhi, Delhi-110046, have changed my name to Jabbar Khan. 0040502486-1

I Santosh Kumar S /O Sh Nevi Lal Bishwas R/ O Kochaili Dagaruwa Dist -PURNIA Bihar 854326.Have Changed My Son Name Sonu Kumar To Viraj Kumar For All Purpose. 0040501960-3

PUBLIC NOTICE

[illegible]

HEMANT UPPAL (Advocate)
Ch.No.301, W.Wing, Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I Harbans Singh S/o Arur Singh R/o AD-74B, Shalimar Bagh, Delhi-88 am the Allottee /Purchaser of Shop No. B-228, New Subzi Mandi, Azadpur, Delhi-110033. The original documents DDA Allotment cum Demand Letter, Possession Letter, & Slip, Lease Deed issued by DDA of above said Shop has been Lost. An FIR on this effect has been lodged vide LR No. 1223426/2019 dated 05/07/2019. Any person claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/ contact with the above named person at above Address/ Phone No 9811241377 or Write to Dy Director Commercial Land, A-block, 2nd floor, DDA Vikas Sadan, INA, New Delhi 110023

PUBLIC NOTICE

MY CLIENTS SURESH CHAND AND HIS WIFE SMT. SUKHDEVI BOTH R/O D-110, SHARMA COLONY, PHASE-II, BUDH VIHAR, DELHI-110086, SEVERE ALL RELATIONS AND DEBAR THEIR SON VINOD KUMAR AND HIS WIFE PINKI ALONG WITH THEIR CHILDREN, FROM THEIR ENTIRE MOVABLE/IMMOVABLE PROPERTY DUE TO THEIR HOSTILE BEHAVIOR AND BEING OUT OF CONTROL. MY CLIENTS SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR THEIR ANY ACTS AND DEEDS.

Sd/-
(RAJBIR MALIK)
ADVOCATE
En.D-59/97(R)

खोया+पाया

I, SANGEETA D/O-Amarnath mehto R/o-D/580 st.no-16 Dass-garden baprola-vihar N.D-43.Have lost my original-certificate class-10th year-2014 Rollno-8735582 C.B.S.E-Delhi. 0040502543-9

I, S.K.Suri have lost my Original-Demand cum Allotment-Letter, Possession-Letter, Possession-Slip, NOC-Water & Electricity and other papers of Property No.SD-463, Pitampura, Delhi-110034. Finder Contact-9891495065. 0040502556-9

I, Phulena Prasad S/o Late-Hardev Prasad R/o-Delhi Police-Employees Co-Operative Group Housing Society H.No.A-21-S, Plot No.19/2, Vijeta-Vihar, Sector-13 Rohini.Delhi-110085, am the owner of property. Lost my Original Allotment-Letter, Possession-Letter. Finder-Contact above-Address. 0040502556-8

I, PARUL Kumari D/o-Pherey Singh R/o H.No-357 Vasundhra Enclave Dallupura Delhi-96. Have lost my original-certificate class-12th year-2012 Rollno-9601921 C.B.S.E-Delhi. 0040502543-6

I, NEETA Thakkar D/o-Ghanshyam bai thakkar R/o-c-8/4 G.F Rana pratap bagh Delhi-110007.Have lost my original-certificate & mark-sheet class-12th year-1982 Rollno-302555 C.B S E-Ajmer. 0040502543-5

I, AMITABH PATEL S/o-Mahendra patel R/o A-29 Gujarat apartment pitampura Delhi-110034. Have lost my original-certificate class-12th year-1998 Rollno-6615816 C.B.S.E-Ajmer. 0040502543-7

I Muskan D/o-Sanjay R/o-1/4 Ashok Mohalla-Nangloi New Delhi-110041. Lost my original-certificate class-Xth Roll.No.8710122 year-17 From CBSE-Delhi. 0040502543-10

I, Vikram S/O-Jagdish Kumar Address:-D-99, Budh-Nagar,Inderpuri, Delhi-110012.Declare That My Secondary-Examination In The Year-2013 Roll No.8788770 & Senior-Secondary Examination In The Year 2015 And Roll No:-9718803 Issue By Central Board Of Education (C.B.S.E. Delhi) Has Been Actually Lost. Mob:8447624041. 0040502556-7

I have misplaced and lost my original Property Registration deed in Favour of Mr. S L Balani(original lease deed dated 24/4/1979 of address Plot-144 Block-2 Sec.2 Rajinder Nagar, Sahibabad Ghaziabad(UP)201005. If found please contact Damodar Satyabali Ph.no.: 9990911762 0040502480-1

Lost Original Marksheet/ Certificate Class-X/XII Roll No.8121428/9118391 CBSE-Delhi, Prerna Yaduvanshi D/o Dinesh Yaduvanshi E-208-A GTB-Enclave,Delhi-110093 0040502543-4

I, VISHAL S/O-Raghunandan singh R/o-A-609 Galino-14 part- 4 sonia-vihar Delhi-94. Have lost my original-certificate class-12th year-2016 Roll no-9624387 C.B.S.E-Delhi. 0040502543-8

LOST AND FOUND

Lost original Conveyance Deed issued by DDA in favour of Parkashwati Seth W/o Behari Lal Seth Registered vide Registration No. 9016, Book No. 1, Volume No. 9675 on pages 65 & 66 dated 7-9-2000 and Will & Receipt also, both dated 29-12-1990 issued by Shyam Sunder Seth favouring Prakashwati Seth for Property No. A-18, Second Floor, Gujranwala, CGHS, Vikaspuri, New Delhi-110018. FIR lodged by present owner Uma Kawatra W/o Baldev Raj vide LR No.1237636 dated 8-7-2019. Founder inform at above address.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

देवघर : सावन में मांस-मदिरा की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी

भागलपुर, 9 जुलाई (जनसत्ता)।

सावन महीने में बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में मांस-मदिरा की बिक्री पर पूरी तौर पर पाबंदी रहेगी। यह जानकारी देवघर के उपायुक्त राहुल कुमार ने दी है। सुल्तानगंज से देवघर तक सौ किलोमीटर के रास्ते में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहेगा। साथ ही आने वाले कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुविधा का बिहार व झारखंड सरकार पूरा ध्यान रखेगी। देवघर सर्किट हाउस में हुई बिहार-झारखंड के आलाधिकारियों की बैठक में ये बात कही गई।

कांवड़ियां रास्तों और सुल्तानगंज-देवघर में मिलने वाली सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार के वास्ते भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका, देवघर और दुमका में बड़े-बड़े होर्डिंग प्रशासनिक स्तर पर लगाया जाएगा। बिहार में शराबबंदी पहले से ही लागू है। कांवड़ियां रास्ते का ज्यादातर हिस्सा बिहार के भागलपुर, मुंगेर व बांका में पड़ता है। बैठक में संथाल परगना के आयुक्त विमल कुमार, भागलपुर की आयुक्त बंदना किन्नी, भागलपुर व मुंगेर के डीआइजी विकास वैभव, डीआइजी संथाल परगना आरके लकड़ा, भागलपुर के डीएम प्रणव कुमार, एसएसपी आशीष भारती, मुंगेर के डीएम राजेश मीणा, एसपी राजेश कुमार, बांका के डीएम कुंदन कुमार, दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी, एसपी वाईबी रमेश आदि मौजूद थे।

एक महीने तक सावन में लाखों कांवड़िया सुल्तानगंज से जलभर कर सौ किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा धाम पहुंचते है और बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। इस साल सावन 17 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसी की तैयारियों के लिए सोमवार को बैठक हुई है। बैठक में देवघर के उपायुक्त ने बताया कि 40 लाख श्रद्धालु सावन में और 20 लाख भादों में यहां आते हैं। इस दौरान देवघर में मांस-मदिरा की बिक्री पर पूर्णतया रोक रहेगी। साथ ही डाक कांवड़ियों को विशेष सुविधा मुहैया नहीं रहेगी। वीआइपी दर्शन की भी मेला अवधि में बंद रहेगा। मगर शीघ्र दर्शनम इतवार और सोमवार को छोड़कर सब दिन जारी रहेगा।

उत्तर भारत में बारिश, लोगों को गर्मी से राहत

नई दिल्ली, 9 जुलाई (भाषा)।

उत्तर भारत के कई इलाकों में मंगलवार को भारी बारिश हुई जिसमें सर्वाधिक बारिश उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में हुई। इस जिले में 222 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी अच्छी बारिश हुई जिससे लोगों गर्मी और उमस से राहत मिली। राष्ट्रीय राजधानी में हल्की बारिश से तापमान दो डिग्री सेल्सियस कम हो गया।

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो सामान्य से दो डिग्री कम था जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तराखंड के किच्छा में 135 मिलीमीटर जबकि देहरादून जिले के कलसी में 129 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आपदा प्रबंधन कार्यालय ने कहा कि चंपावत जिले के बनबासा में 79 मिलीमीटर बारिश हुई। पर्वतीय राज्य के पिथौरागढ़ की काली और गोरी नदियां खतरे के निशान क्रमशः 888.7 मीटर और 604.55 मीटर से बस कुछ मीटर नीचे बह रही हैं।

मौसम विभाग ने 15 जुलाई तक इसी तरह के मौसम का पूर्वानुमान लगाया है और नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चमोली,टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि चंडीगढ़ में 48 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शहर में सोमवार को 29.1 मिलीमीटर बारिश हुई थी। पंजाब के पटियाला और अमृतसर व हरियाणा के हिसार और अंबाला में भी बारिश हुई जिससे खरीफ फसलों खासकर धान की फसल को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के कई भागों में भी बारिश दर्ज की गई और राज्य की राजधानी लखनऊ में 7.8 मिलीमीटर बारिश हुई। लखनऊ में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30.7 डिग्री सेल्सियस व 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य में सर्वाधिक बारिश गोरखपुर (64.5 मिलीमीटर) में हुई।

मुठभेड़ में महिला नक्सली मारी गई

रायपुर, 9 जुलाई (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में मंगलवार को पुलिस ने एक नक्सली शिविर को ध्वस्त कर दिया तथा मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को मार गिराया।

राज्य के नक्सल विरोधी अभियान के पुलिस उप महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र के अंतर्गत डब्बाकोंटा गांव के करीब जंगल में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली शिविर को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में एक महिला नक्सली भी मारी गिराया है। चिंतागुफा थाना क्षेत्र में सोमवार शाम को नक्सल विरोधी अभियान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बटालियन, एसटीएफ और डीआरजी के संयुक्त दल को रवाना किया गया था। दल मंगलवार तड़के जब डब्बाकोंटा गांव के जंगल में था, तब नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ देर तक दोनों ओर से गोलीबारी के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए। बाद में जब घटनास्थल की तलाशी ली गई तो वहां एक वर्दीधारी महिला नक्सली का शव, एक इंसास राइफल और शिविर में रखा सामान बरामद किया गया। घटनास्थल पर खून के निशान भी मिले हैं, जिससे मुठभेड़ में कई अन्य नक्सलियों के हताहत होने की संभावना है।

मोदी ने अमीरात के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने संकल्प जताया

नई दिल्ली, 9 जुलाई (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायेद को भारत की ओर से यूएई के साथ व्यापार और ऊर्जा जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के अपने संकल्प से अवगत कराया।

प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी वक्तव्य में प्रधानमंत्री की पिछली यूएई यात्रा के दौरान दिखाई गई गर्मजोशी और आतिथ्य को याद करते हुए कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने पिछले पांच साल के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में आई वृद्धि पर प्रसन्नता जाहिर की है। यूएई के विदेश मंत्री ने बातचीत के दौरान दोनों देशों के लोगों के आपसी फायदे, शांति, समृद्धि और क्षेत्र में स्थायित्व को लेकर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के अपने देश के विजन के बारे में बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाने की अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने व्यापार और अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यटन और एक दूसरे देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क को भी आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

सड़क हादसे में चार की मौत, 21 घायल

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 9 जुलाई।

उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कोटद्वार में मंगलवार की दोपहर को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पौड़ी के गांव बैजरो से कोटद्वार जा रही बस खाई में गिर गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए। जिसमें से छह लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है।

पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि गढ़वाल मंडल मोटर्स ऑनर्स यूनियन (जीएमओयू) की एक बस पौड़ी जिले के रीठाखाल के पास अनियंत्रित होकर पांच सौ मीटर गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस और राज्य आपदा बचाव दल (एसडीआरएफ) की संयुक्त टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं। बचाव दल ने गहरी खाई से शवों को बाहर निकाला और घायलों को बाहर निकालकर कोटद्वार के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं।

The Indian EXPRESS Classifieds

EXPRESS EDUCATION

McGraw-Hill writer RAMESH SINGH'S
GS ECONOMY
new batch: July 15-Aug 30
Intro. Class: July 15, 2.30pm
Classroom/Live Online/Andraind App (RameshSinghLIVE)
4A/41, Old Rajinder Nagar, Bada Bazar Road, N. Delhi- 60

BHARTI CONCEPT
MATHS
by S.S. Bharti
SSC-T, T_2, Banking, CSAT & PCS
& ALL GOVT. SERVICES
Batch Starts 10th July 2019
At 8:30am to 10:00am
DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-9
9136335283, 09250291082

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

रामायण परिपथ के तहत नौ राज्यों के 15 स्थान होंगे विकसित

नई दिल्ली, 9 जुलाई (भाषा)।

सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना की रामायण परिपथ थीम के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार सहित नौ राज्यों में विकास के लिए 15 स्थानों की पहचान की है। हालांकि उसने बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा में सीता के प्राकट्य स्थल परिसर में भगवान राम और सीता के जीवन पर आधारित संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव से इनकार किया है। पर्यटन मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने राज्यसभा में मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या, नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट, बिहार के सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा, मध्य प्रदेश के चित्रकूट, ओड़ीशा के महेंद्रगिरि, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, महाराष्ट्र के नासिक और नागपुर, तेलंगाना के भद्राचलम, कर्नाटक के हम्पी और तमिलनाडु के रामेश्वर को स्वदेश दर्शन योजना की रामायण परिपथ थीम के तहत चिह्नित किया गया है। एक सवाल के लिखित जवाब में पटेल ने बताया कि पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों से रामायण परिपथ के तहत विकास के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। उन्होंने बताया कि इन परियोजना प्रस्तावों के तहत उत्तर प्रदेश में चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर के विकास के लिए 2016-17 में 69.45 करोड़ रुपए मंजूर किए गए जिसमें से 52.17 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या के विकास के लिए 2017-18 में 133.31 करोड़ रुपए मंजूर किए गए जिसमें से 66.65 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इन दोनों परियोजनाओं का कार्य चल रहा है।

पुलिस का दावा, पत्नी और बेटे ने कराई ऑडिटर की हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

जैतपुर थाने के मीठापुर में 43 साल के ऑडिटर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। ऑडिटर आनंद सिंह की पत्नी सुनीता देवी ने बेटे के साथ मिलकर 1.5 लाख रुपए की सुपारी देकर आनंद की हत्या कराई थी। शराब पीकर घर आने और परिवार वालों से झगड़ा करने से तंग होकर पत्नी और बेटे ने उनकी हत्या कराई। पुलिस ने एक नाबालिग सहित तीनों को गिरफ्तार कर हत्या में उपयोग होने वाले चाकू को भी बरामद करने का दावा किया है। आनंद की हत्या की सूचना पुलिस को शनिवार सुबह मिली थी। शुरू में यह लूटपाट के बाद हत्या का मामला प्रतीत हुआ था। लेकिन पत्नी और बेटे के विरोधाभासी बयान ने मामले का खुलासा कर दिया। एक आरोपी अभी भी फरार है।

दक्षिण–पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिश्वाल के मुताबिक जैतपुर थाने के मीठापुर के ओम नगर में रहने वाले आनंद सिंह आइटीओ स्थित एजीसीआर बिल्डिंग में बतौर ऑडिटर कार्यरत थे। शनिवार को हत्या की सूचना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो खून से लथपथ आनंद की लाश मिली। शरीर पर चाकू से हमले के निशान मिले थे। हत्या के इस मामले का खुलासा करने के लिए कई टीमें बनाई गई थीं। एसीपी बदरपुर गुरसेवक सिंह ढिल्लन की देखरेख में गठित टीम ने घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। आनंद सिंह पत्नी और तीन बच्चों और छोटे भाई के साथ रहते थे। पत्नी सुनीता ने पुलिस को बताया कि आनंद सिंह दफ्तर से सात और साढ़े सात बजे के बीच घर आ जाते हैं। लेकिन वारदात के दिन वे 11:15 बजे घर आए। रात होने पर परिवार वालों ने जब उनके फोन पर संपर्क किया तो कोई जवाब नहीं आया। देर रात परिवार के लोग सो गए। तड़के तीन बजे जब सुनीता शौचालय के लिए उठी तो आनंद को खून से लथपथ घर में पड़ा देखा। उसने परिवार के अन्य सदस्यों को जगाया और फिर मामले की सूचना पुलिस को दी। सुनीता ने पुलिस को यह भी बताया कि घर में रखे 1.5 लाख रुपए भी गायब हैं।

> पुलिस ने एक नाबालिग सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर हत्या में उपयोग हुए चाकू को भी बरामद करने का दावा किया है

पुलिस को जांच के दौरान पत्नी सुनीता और बेटे के बयान विरोधाभासी लगे। कड़ाई से पूछताछ पर सुनीता टूट गई। उसने हत्या की साजिश में खुद को शामिल बताया। उसने बताया कि उसका पति शराब का आदी था। शराब पीने के बाद पत्नी और बच्चे के साथ झगड़ते थे। इससे पूरा परिवार तंग आ गया था और बेटे के साथ मिलकर पत्नी ने उनकी हत्या की योजना बना डाली। योजना के मुताबिक सुपारी देकर हत्या करने के लिए पड़ोस में रहने वाले विकास से संपर्क किया गया। विकास उनके बेटे का साथी है। विकास को डेढ़ लाख रुपए देने का आश्वासन दिया गया। विकास ने अपने एक अन्य साथी ऋषभ उर्फ शिबू को साजिश में शामिल कर लिया। योजना के मुताबिक शुक्रवार (5 जून) की रात सुनीता और उसके बेटे ने विकास और ऋषभ को अपने घर में बुलाकर छत पर भेज दिया। रात करीब 11:30 बजे रोज की तरह शराब के नशे में आनंद घर आए। बिना खाना खाए वे सो गए। रात करीब 2:30 बजे जब परिवार के अन्य सदस्य सो गए तब सुनीता और उसके बेटे ने छत से ऋषभ और विकास को नीचे बुलाया। वे सभी आनंद के कमरे में गए और विकास और ऋषभ ने उनके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

डीयू में मंगलवार को 2732 विद्यार्थियों ने दाखिला रद्द कराया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में शैक्षणिक सत्र 2019–20 की तीसरी कटऑफ के पहले दिन दाखिला रद्द कराने पर विद्यार्थियों का जोर अधिक रहा। मंगलवार को 2732 विद्यार्थियों ने पसंद के कॉलेज की कटऑफ में नंबर आने पर अपना दाखिला रद्द कराया। जबकि दूसरी कटऑफ में तीनों दिन मिलाकर कुल 3082 छात्रों ने अपना दाखिला रद्द कराया था। वहीं, तीसरी कटऑफ के पहले दिन 2359 छात्रों ने दाखिला लिया। मंगलवार रात करीब 8:30 बजे तक कुल मिलकार 46,213 छात्रों ने डीयू के विभिन्न कॉलेजों में दाखिला लिया। अब तक 1027 छात्रों ने अपना नामांकन वापस लिया है, जो दूसरी कटऑफ में 778 थे। तीसरी कटऑफ पर बुधवार और गुरुवार को भी दाखिले होंगे।

30 कॉलेजों में बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान की सीटें भरी

इस बार बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान की कटऑफ 99 फीसद जारी की गई थी। इसके बावजूद इस पाठ्यक्रम में दाखिले के प्रति विद्यार्थियों में उत्साह देखा जा रहा है। डीयू से संबद्ध 45 कॉलेजों में बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है।

मनोविज्ञान ऑनर्स में 97.75 फीसद पर दाखिला

आंबेडकर विवि की कटऑफ 10.50 फीसद तक बढ़ी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

आंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली (एयूडी) ने स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए मंगलवार को पहली कटऑफ जारी कर दी। पिछले साल के मुकाबले इस बार कटऑफ में 10.50 फीसद तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एयूडी ने दाखिलों में ईडब्लूएस कोटा भी लागू किया है और इस वर्ग के लिए अलग कटऑफ जारी की गई है। पहली कटऑफ के आधार पर 10 और 11 जुलाई को दाखिले होंगे।

विश्वविद्यालय ने दिल्ली के गैर आरक्षित आवेदकों के लिए बीए वैश्विक अध्ययन की कटऑफ 92.50 फीसद तय की है जो 2018 की कटऑफ के मुकाबले 10.50 फीसद ज्यादा है। पिछले साल बीए वैश्विक अध्ययन की कटऑफ 82 फीसद थी। बीए सतत शहरीकरण के लिए 85.50 फीसद जारी की है जबकि पिछले साल इस पाठ्यक्रम की कटऑफ सिर्फ 75.50 फीसद थी। इसी तरह बीए सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी की इस साल कटऑफ पिछले साल के मुकाबले 9.25 फीसद अधिक तय की गई है। इस साल बीए सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी 90.75 फीसद घोषित की गई है। बीए विधि एवं राजनीति की कटऑफ 91 फीसद जारी की गई है जो साल 2018 में 83 फीसद थी। विश्वविद्यालय ने कश्मीरी गेट परिसर के अंतर्गत दिल्ली के गैरआरक्षित आवेदकों के लिए बीए ऑनर्स इतिहास की कटऑफ 95.25 फीसद जारी की है जो पिछले साल की कटऑफ से 5.50 फीसद अधिक है। इस कटऑफ के अंतर्गत 60 आवेदक हैं। बीए ऑनर्स अर्थशास्त्र की कटऑफ 95.75 फीसद तय की गई है और इस कटऑफ के अंतर्गत 51 आवेदक हैं। साल 2018 में बीए ऑनर्स अर्थशास्त्र की कटऑफ 93.50 फीसद थी। बीए ऑनर्स अंग्रेजी की कटऑफ 96.25 फीसद तय की गई है जो पिछले साल के मुकाबले 3.75 फीसद अधिक है। बीए ऑनर्स गणित की पहली कटऑफ 92.50 जारी की गई है। साल 2018 में बीए ऑनर्स गणित की कटऑफ 88 फीसद थी। इसी तरह बीए ऑनर्स मनोविज्ञान की कटऑफ 97.75 फीसद, बीए ऑनर्स समाज विज्ञान की 96.25 फीसद और बीए ऑनर्स सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी की कटऑफ 95.75 फीसद तय की गई है।

डीडीए ने ईडब्लूएस फ्लैटों की कीमत 40 फीसद तक कम करने को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 9 जुलाई (भाषा)।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नरेला में ईडब्लूएस फ्लैटों की कीमत 40 फीसद तक कम करने का मंगलवार को फैसला किया। इन फ्लैटों की पेशकश ऑनलाइन भवन योजना 2019 के तहत की जा रही है। यह योजना 10 जून को खत्म हो गई है। यह योजना वसंत कुंज और नरेला आवासीय क्षेत्रों में लगभग 18,000 नव–निर्मित फ्लैटों की बिक्री के लिए है। इसके लिए डीडीए को 50,000 आवेदन मिले हैं।

डीडीए ने एक बयान में कहा कि उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में राजभवन में प्राधिकरण की बैठक में डीडीए ने नरेला में ईडब्लूएस फ्लैटों की कीमत निर्माण लागत का 40 फीसद तक कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह फ्लैट ऑनलाइन भवन योजना 2019 का हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय ईडब्लूएस श्रेणी के आबंटियों की आय मानदंडों को ध्यान में रखते हुए किया गया है जो तीन लाख रुपए सालाना है।

आइआइटी दिल्ली करेगा गेट–2020 का आयोजन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

अगले साल होने वाले ग्रेजुएट एप्टीट्यूट टेस्ट (गेट) का आयोजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली करेगा। मंगलवार को आइआइटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर वी. रामगोपाल राव ने संस्थान के परिसर में गेट वेबसाइट का अनावरण किया। 2020 की गेट परीक्षा 25 विषयों में आयोजित की जाएगी। गेट के स्कोर के आधार पर मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय के अधीन आने वाले तकनीकी शिक्षण संस्थानों और अन्य सरकारी एजंसियों के शिक्षण संस्थानों में एमटेक और पीएचडी पाठ्यक्रमों में दाखिले होते हैं।

आइआइटी दिल्ली के मुताबिक अन्य आइआइटी जैसे मुंबई, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और रुड़की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आइआइएससी) बंगलुरु अपने–अपने जोन में आइआइटी दिल्ली का सहयेग परीक्षा के आयोजन में करेंगे। गेट 2020 में बॉयोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी परीक्षा आयोजित होगी। यह बिल्कुल नया विषय है जिसकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा बीटेक, बीएससी, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, आर्किटेक्चर में स्नातक की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी इस परीक्षा को देने के लिए योग्य उम्मीदवार हैं। इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री और दोहरी डिग्री का पाठ्यक्रम पढ़ने वाले विद्यार्थी भी यह परीक्षा दे सकेंगे।

प्रमुख तिथियां
- ऑनलाइन आवेदन शुरू : 3 सितंबर 2019
- ऑनलाइन आवेदन खत्म : 24 सितंबर 2019
- परीक्षा : 1, 2, 8 और 9 फरवरी, 2020 को सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक और दोपहर को 2.30 बजे से लेकर शाम 5.30 बजे तक
- नतीजों की घोषणा : 16 मार्च 2020

विधायक की कार से बैग चोरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

अपोलो अस्पताल आए हाथरस के विधायक हरि शंकर माहोर का बैग बदमाश उड़ा दिया। बैग में दो लाख 50 हजार रुपए, चेक बुक, रेलवे के कूपन, दस जोड़ी कपड़े, एटीएम कार्ड आदि बहुमूल्य सामान था। विधायक का चालक अस्पताल के बाहर कार लगाकर अकेले बैठा था तभी कार के पास एक युवक आया और बताया कि कार के नीचे दस और सौ रुपए गिरा हुआ है। चालक कार से उतर कर रुपए उठाने लगा तभी बदमाशों ने कार में रखा बैग उड़ा दिया। विधायक के निजी सचिव राकेश कुमार सिंह ने सरिता विहार थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

जिला पुलिस उपायुक्त के मुताबिक विधायक माहोर की पत्नी कुसुम लता माहोर अस्पताल में इलाज करा रही हैं। उन्हें देखने के लिए विधायक आए थे। गाड़ी अस्पताल की पार्किंग में खड़ी कर वे अंदर गए। फार्चूनर कार में दो अटैची रखी हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	34.2 डि.से.	34.2 डि.से.	34.1 डि.से.	34.0 डि.से.
न्यूनतम	28.8 डि.से.	28.8 डि.से.	28.8 डि.से.	28.7 डि.से.

बिजली की दरों पर आज जनता की सुनवाई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

बिजली के बिल में झटका दे रहे स्थायी शुल्क (फिक्स चार्ज) से राहत के लिए बुधवार को दिल्लीवाले दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीइआरसी) में गुहार लगाएंगे। दिल्ली में बिजली की दरों से अधिक उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज से मोटा बिजली बिल चुकाना पड़ रहा है। आरडब्लूए संगठन प्रतिनिधि सौरभ गांधी ने कहा कि उपभोक्ता इस शुल्क से राहत चाहते हैं, इसके लिए आयोग से अपील की जाएगी।

वहीं दूसरी तरफ आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एसएस चौहान ने बताया कि आयोग ने इस सुनवाई के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। सुनवाई में सुझाव लेने की प्रक्रिया पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगी। उपभोक्ता पहचान पत्र के साथ ही सुनवाई के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। इस समय दिल्लीवालों को बिजली बिल में सबसे अधिक तकनीकी परेशानी फिक्स चार्ज व लोड चार्ज को लेकर है। आरडब्लूए संगठन यह मानते हैं कि 'आप' सरकार के कार्यकाल में बिजली की दरों में इजाफा नहीं हुआ है लेकिन इन दोनों चार्ज की वजह से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ी है। बिजली की दरों के निर्धारण के लिए बिजली कंपनियां पहले ही अपना मसविदा आयोग को सौंप चुकी हैं। कंपनियों का दावा है कि जिस तेजी से बिजली की मांग में इजाफा हो रहा है, उस हिसाब से आगामी वित्त वर्ष में इस मांग में और इजाफा होगा। इस मांग की पूर्ति के लिए बिजली कंपनियों ने अधिक राजस्व की मांग की है। नुकसान को नए टैरिफ के माध्यम से पूर्ण किया जा सकेगा। बिजली कंपनियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भुगतान के लिए आगामी वित्त वर्ष में भी 3.8 फीसद के अधिभार को लगाने की सिफारिश की है। सुनवाई में मिलने वाले सुझावों के बाद आयोग इन मामलों में आखिरी फैसला लेगा।

चोरी की बिजली से रिक्शा चार्ज करने पर सजा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

दिल्ली की अदालत ने बिजली चोरी के जुर्म में दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया और जुर्माना लगाया है। हालांकि दोषियों को जमानत भी मिल गई। अदालत ने राकेश (46) और ऑटो चालक हफीज (38) को 9.6 किलोवॉट की बिजली चोरी के जुर्म में दोषी ठहराया है। वे अवैध तारों से कुंडा लगाकर अवैध तरीके से ई-रिक्शा चार्ज कर रहे थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार शर्मा ने दोनों दोषियों पर 20.8-20.8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और उनकी जेल की सजा को पांच अगस्त तक के लिए निलंबित कर दिया है ताकि वे अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकें और 10 हजार रुपए का मुचलका तथा 10 हजार रुपए की जमानत राशि प्रस्तुत करें।

करंट के खतरे से बचाएगा ईएलसीबी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

करंट के खतरे से बचने के लिए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर (ईएलसीबी) उपभोक्ताओं के लिए मददगार साबित होगा। बिजली कंपनी बीएसईएस ने उपभोक्ताओं को बारिश में करंट से बचाने के लिए इस व्यवस्था के लिए हिदायत जारी है। बीएसईएस के प्रवक्ता सीपी कामत ने बताया कि बीएसईएस 42 लाख उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। बारिश में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो इसके लिए कंपनी ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है। ट्रांसफार्मर के आसपास की जालियां हटाई गई हैं और लाइनों के आसपास के पेड़ों को हटाया गया है।

बीएसईएस के मुताबिक, मानसून में अक्सर घर में करंट की शिकायतें सामने आई हैं। इसलिए कहीं भी करंट का शक है तो इसकी जांच कराएं। इसके लिए ईएलसीबी उपकरण लगवाएं ताकि यदि ऐसी कोई भी गड़बड़ी होती है तो आपको सिस्टम की मदद से सूचना मिल जाएगी और बड़े हादसे को टाला जा सकेगा। बीएसईएस ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि अगर क्षेत्र में कहीं भी ट्रांसफार्मर की टूटी जाली देखें तो तुरंत इसकी सूचना बिजली कंपनी को देंगे। इससे करंट के खतरों को कम किया जा सकता है। इसकी जानकारी हेल्पलाइन के अतिरिक्त पुलिस को भी दी जा सकती है। किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में बीवाईपीएल उपभोक्ता 39999808 या 19122 और बीआरपीएल उपभोक्ता 011-39999707 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

बीवाईपीएल उपभोक्ता
39999808 या 19122
बीआरपीएल उपभोक्ता
011-39999707

दिल्लीवालों ने दिखाई गंगा जमुनी तहजीब की झलक

हौज काजी मामला

- शोभायात्रा व प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुसलिम सुमदाय के लोगों ने शहनाई बजाई और किया भंडारा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

चांदनी चौक के हौज काजी लालकुआं इलाके के दुर्गा मंदिर में मंगलवार को प्राण प्रतिष्ठा की संपन्नता के साथ पिछले हफ्ते फैला सांप्रदायिक तनाव यहां पूरी तरह खत्म हो गया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों की कड़ी चौकसी में इलाके में शोभायात्रा निकाली गई। पुरानी दिल्ली की गंगा-जमुनी तहजीब की झलक दिखी। मुसलिम समुदाय के लोगों ने इस दौरान न केवल शहनाई बजाई बल्कि खाना भी परोसा। विश्व हिंदू परिषद और इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के अवाला कई भाजपा के सांसदों ने भी इस शोभायात्रा में हिस्सा लिया। यहां मुसलिम समुदाय ने शहनाई बजाई। दोनों समुदाय के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा लिया। पंडित और मौलाना भी एक साथ शोभायात्रा में शामिल होकर उन्होंने पूरे देश को मानो यह संदेश दिया कि असामाजिक तत्वों की वजह से माहौल खराब ना होने दें।

शोभायात्रा के मद्देनजर इलाके में दोपहर बाद तक दुकानें बंद थीं। पुलिस ने रात से ही सुरक्षा के लिहाज से घेराबंदी कर दी थी। शोभायात्रा जहां-जहां से गुजरनी थी वहां-वहां पुलिसकर्मी चप्पे-चप्पे पर मौजूद थे। इस दौरान मौके पर पहुंचे लोगों ने जय श्रीराम और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। मूर्ति स्थापना के दौरान कोई अनहोनी नहीं हुई। शोभायात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए तीन कंट्रोल रूम बनाए थे। करीब 70 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। अर्द्धसैनिक बलों के जवानों समेत करीब 3 हजार जवान तैनात किए गए थे।

दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और सांसद हंसराज हंस भी दोनों प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद के प्रचार प्रसार प्रमुख महेंद्र रावत के मुताबिक धर्मसभा में महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद, अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती समेत कई संतों ने शिरकत की। सेंट्रल दिल्ले के पुलिस उपायुक्त एमएस रंधावा ने बताया कि शोभायात्रा और प्राण प्रतिष्ठा दोनों कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा। सुरक्षा के नजरिए से शोभायात्रा में पुख्ता इंतजाम किए गए। घर की छतों पर भी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए। दंगा विरोधी टीमें भी तैनात थी। स्थानीय लोगों का विशेष सहयोग मिला।

थाने से कुछ दूर घर में घुसकर साढ़े चार लाख की लूट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

मंगोलपुरी थाने से 100 मीटर की दूरी पर बने घर में छह नकाबपोश बदमाशों ने घुसकर साढ़े चार लाख रुपए लूट लिए। बदमाश घर में पांच मिनट तक रहे लेकिन थाने के किसी भी पुलिस वाले को लूट की भनक तक नहीं मिली, जबकि थाने के बाहर पुलिस वाले भी तैनात रहते हैं। बाद में पुलिस ने पीड़ित के बयान पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित सट्टा चलाने वाला बताया जा रहा है। इस मामले के बाद पुलिस की इलाके में चौकसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस थाने के बाहर व इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पीड़ित मुन्ना जे-ब्लॉक में परिवार के साथ रहता है।

भारतीय स्टेट बैंक
आरएसीपीसी-सह-एसएआरसी फरीदाबाद
एससीओ-98, प्रथम एवं द्वितीय तल, सैक्टर-16 मार्केट, फरीदाबाद,
फोनः 0129-2289222, फैक्सः 0129-2290222

कब्जा सूचना

चूंकि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (अधिनियम), 2002 के प्रवर्तन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-सह-एसएआरसी फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 25.01.2019 जारी की जिसमें कर्जदारों/गारंटरों श्री संजय गुप्ता पुत्र श्री दौलत राम गुप्ता एवं श्री दीपक मत्ता पुत्र श्री श्याम लाल मत्ता निवासी, 12, अग्रवाल कॉलोनी, सराय ख्वाजा, फरीदाबाद-121003 को कथित सूचना में उल्लिखित राशि 24.01.2019 को रु. 44,21,335.00 (चौवालीस लाख एक्कीस हजार तीन सौ पैतीस रुपए) + 25.01.2019 से ब्याज और उस पर उपार्जित व्यय, लागत एवं प्रभार का पुनर्भुगतान कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया।

कर्जदार/गारंटर खाता सं. 65179733554 एवं 65179812733 के जरिए राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहे हैं इसलिए एतद्द्वारा विशेषकर कर्जदारों/गारंटरों एवं आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा 1 जुलाई, 2019 को ले लिया है।

विशेषकर कर्जदारों/गारंटरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति का लेनदेन न करें और कथित सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन भारतीय स्टेट बैंक को 30.06.2019 को रु. 45,02,436.00 (पैतालीस लाख दो हजार चार सौ छत्तीस रुपए) + 01.07.2019 से ब्याज और उस पर उपार्जित व्यय, लागत एवं प्रभार का भुगतान करने के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री संजय गुप्ता और दीपक मत्ता के नाम पर सम्पत्ति मकान नं. बी-478 ग्रीन फील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद, परिमाप 205 वर्ग यार्ड, खसरा नं. 69/7 डीड नं. 9197 दिनांक 25.01.2018 से शामिल सम्पत्ति।

तिथिः 08.07.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः फरीदाबाद — भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-सह-एसएआरसी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय : साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, उ0प्र0
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति और सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक 03/05/2019 जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः श्रीमती रिया त्यागी पत्नी अनुज त्यागी एवं अनुज त्यागी पुत्र कान्ती कुमार, पताः डी-119, सेक्टर-23, संजय नगर, गाजियाबाद,** को सूचना में उल्लिखित राशि रु.22,83,703/- (बाइस लाख तिरासी हजार सात सौ तीन रूपये मात्र) प्लस भविष्य में ब्याज एवं शुल्क, उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 06.07.2019 को ले लिया है। कर्जदार को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन रु.22,83,703/- (बाइस लाख तिरासी हजार सात सौ तीन रूपये मात्र) प्लस भविष्य में ब्याज एवं शुल्क, के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद शाखा के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

निम्नलिखित स्थित सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सेः
प्लॉट सं.120 पर आवासीय भवन परिमाप 83.90 वर्ग मीटर, आवासीय कालोनी, संजोग नगर, सदरपुर, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में जो घिरा हैः
पूर्वः प्लॉट सं.144 — पश्चिमः 30 फीट चौड़ी रोड
उत्तरः प्लॉट सं.121 — दक्षिणः प्लॉट नं.119
स्थानः गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी
तिथिः 06/07/2019 — सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

कैबिनेट में पेश होगा नई बसें खरीदने का प्रस्ताव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

बसों की कमी से जूझ रहे दिल्लीवालों के लिए सरकार ने नई बसों की खरीद की तैयारियां पूर्ण कर ली है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार जल्द ही क्लस्टर बसों (संतरी रंग की बस) की संख्या में इजाफा करेगी और 650 नई बसों की खरीद करेगी। बुधवार को इस बाबत दिल्ली कैबिनेट की बैठक में मसविदा पेश करने की तैयारियां चल रही है। दिल्ली में लगातार बसों की संख्या कम हो रही है और यात्रियों को बसों की कमी की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है।

दिल्ली कैबिनेट के इस फैसले से यात्रियों को राहत होगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इन बसों के लिए टेंडर की प्रक्रिया की जाएगी। अब से पहले दिल्ली में सबसे अधिक बसों का बेड़ा कॉमनवेल्थ खेलों के समय में शामिल किया गया था। इस दौरान दिल्ली के लिए लाल-हरी बसें लाई गई थी। लेकिन ये बसें डीटीसी के बेड़े में थी। इस दौरान डीटीसी ने 2500 वातानुकूलित रहित और 1275 वातानुकूलित बसों की खरीद की थी। इन लाल, हरी बसों की हालत खराब है। इनके ब्रेकडाउन बढ़ गए है। इसके अतिरिक्त डीटीसी की कई बस बेड़े से हटा दी गई हैं। ये बसें अपने निर्धारित किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी हैं। इसलिए अब दिल्ली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निजी कंपनियों के सहयोग से क्लस्टर बसें भी लाई जा रही हैं। डीटीसी ने कई हजार बसों के खरीद के लिए प्रक्रिया की थी। लेकिन बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। डीटीसी भी एक हजार बसों की खरीद का फैसला ले चुका है लेकिन अब तक इन बसों के आने का इंतजार है। इस बार के बजट में दिल्ली सरकार 1807 करोड़ रुपए का बजट सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र के लिए रखा है। सरकार की योजना है कि दिल्ली के लिए 1000 सामान्य फ्लोर सीएनजी और 1000 ई-बसें भी लाई जाएं। इन योजनाओं पर भी दिल्ली सरकार काम कर रही है।

एक लाख लोगों पर 100 बसें होनी चाहिए : भाजपा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि एक लाख सवारियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम से कम 100 बसों की जरूरत होती है, लेकिन हैं केवल 17 बसें। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है। यह हालत बीते सालों में दिल्ली की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बसों की खरीद नहीं होने की वजह से हुई है। इसके लिए भाजपा ने सीधे तौर पर दिल्ली सरकार को दोषी ठहराया है।

दिल्ली को करीब 20 हजार बसों की आवश्यकता है लेकिन 54 माह में दिल्ली सरकार ने इन बसों की खरीद के लिए कोई पहल नहीं। इसका खामियाजा दिल्ली वालों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 'आप' सरकार को चलाने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि बसों की कमी के बाद अब दिल्ली सरकार मुफ्त सफर की व्यवस्था की घोषणा करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। बसों की कमी की वजह से दिल्ली में निजी वाहनों की संख्या बढ़ रही है और यह दिल्ली के सबसे प्रदूषित शहर बनने की वजह साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रदूषण कम करने के लिए ई-बसें लाकर राहत दी जा सकती थी। लेकिन दिल्ली सककार ने इस पर कोई काम नहीं किया।

सुनवाई के लिए झपटमार के आरोपी ने छलांग लगाकर जान दी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

दक्षिणी दिल्ली की साकेत अदालत परिसर में मंगलवार शाम पुलिस हिरासत में पांचवीं मंजिल से छलांग लगाकर एक आरोपी ने अपनी जान दे दी। उसकी पहचान शाहदरा के रहने वाले तय्यब के रूप में हुई है। उसके पिता निहाल खान है। घटना अदालत परिसर के भीतर शाम करीब 4 बजकर 36 मिनट पर हुई। तय्यब के खिलाफ दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी पुलिस थाने में चेन झपटमारी का एक मामला दर्ज है।

दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त विजय कुमार ने बताया कि मंगलवार को वह सुनवाई के लिए अदालत की कमरा संख्या नौ में लाया गया था। इसी दौरान उसने पुलिसवालों से हाथ छुड़ाया और लॉबी की रेलिंग से नीचे कूद गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को वह पुलिस हिरासत में था लिहाजा अब पुलिस ने अदालत परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। शुरुआती जांच में सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि उसे जिस कांस्टेबल ने पकड़ रखा था उससे वह अचानक झपट्टा मारकर हाथ छुड़ाया और बिना देरी किए नीचे कूद गया। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि किसकी लापरवाही से मामला घटित हुआ। पुलिस ने सभी बिंदुओं से मामले की जांच शुरू कर दी है।

एक्सप्रेस-वे : हादसे रोकने के लिए बढ़ाएंगे क्रैश बैरियर की ऊंचाई

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 9 जुलाई।

सोमवार को आगरा में हुए सड़क हादसे के बाद नोएडा प्राधिकरण ने एक्सप्रेस-वे की सुरक्षा के लिए नए कदम बढ़ाए हैं। इसके लिए नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की सुरक्षा के लिए बीचो बीच (सेंट्रल वर्ज) और किनारों पर लगे क्रैश बैरियर की ऊंचाई को बढ़ाया जाएगा। ताकि एक तरफ हादसा होने पर वाहन दूसरी तरफ ना जा पाए।

पूरे एक्सप्रेस-वे की सीसीटीवी से निगरानी कर सड़क दुर्घटनाओं की खामियों को तलाश कर दूर करने का फैसला लिया गया है। दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र चिन्हित किए जाएंगे। प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक कार्य योजना तैयार कर काम जल्द शुरू कराया जाएगा। क्रैश बैरियर की ऊंचाई बढ़ाने का सुझाव दिल्ली आइआइटी ने यमुना एक्सप्रेस-वे की सुरक्षा को लेकर किए गए सर्वे में दिया है। ग्रेटर नोएडा जाने वाले एक्सप्रेस-वे का करीब 20 किलोमीटर हिस्सा नोएडा में आता है। यही एक्सप्रेस-वे जीरो पाइंट पर यमुना एक्सप्रेस -वे को जोड़ता है। दिल्ली से ग्रेटर नोएडा, आगरा, लखनऊ, कानपुर आदि जाने वाले वाहन इसका इस्तेमाल करते हैं। तय गति सीमा से अधिक रफ्तार में चलने वाले वाहनों की निगरानी के लिए पूरे एक्सप्रेस-वे को अत्याधुनिक यातायात प्रणाली से जोड़ा गया है। निगरानी रखने के लिए महामाया फ्लाईओवर के नीचे एक नियंत्रण कक्ष बना है। दिल्ली आइआइटी से यमुना एक्सप्रेस-वे की सुरक्षा को लेकर सर्वे के आधार पर क्रैश बैरियर की ऊंचाई को बढ़ाया जाएगा। कुछ स्थलों पर सतर्कता के लिए विशेष साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे। हालांकि क्रैश बैरियर की ऊंचाई कितनी हो, इस पर विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक एसपी सिंह के मुताबिक, प्रस्ताव तैयार कर जल्द काम शुरू कराने की तैयारी है।

शीला ने करीबियों पर भरोसा जताकर सौंपी जिला पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए पिछले करीब एक सप्ताह से अस्पताल में भर्ती प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने दिल्ली विधानसभा के आगामी चुनाव के मद्देनजर राजधानी के सभी 14 जिलों व सभी 280 ब्लॉकों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दीक्षित ने अपने करीबियों पर भरोसा जताते हुए उनको जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भी देने को कहा है। ताकि उसके आधार पर नए ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की जा सके।

सूत्रों ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीक्षित ने जिला पर्यवेक्षकों के तौर पर जिन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है उनमें रमाकांत गोस्वामी, प्रो किरण वालिया, मंगतराम सिंघल, डॉ योगानंद शास्त्री सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर पूर्व विधायकों को जिला पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसी प्रकार पार्टी के चुनिंदा लोगों को ब्लॉक पर्यवेक्षक बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। तैयारियों के मुताबिक ब्लॉक पर्यवेक्षक नए ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट जिला पर्यवेक्षकों को देंगे और इन जिला पर्यवेक्षकों की सिफारिश के आधार पर नए ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि नए ब्लॉक पर्यवेक्षकों की एक बैठक बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुलाई गई है जिसकी अगुआई दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री डॉ अशोक कुमार वालिया करेंगे।

अस्पताल से ही दिल्ली कांग्रेस चला रही हैं पूर्व मुख्यमंत्री

नाबालिगों को नशीली दवा बेचने के आरोप में दुकानदार गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर के परचे के बिना नाबालिगों को महंगी दरों पर दवा बेचने के आरोप में एक दवा दुकानदार और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दक्षिण दिल्ली के कोटला मुबारकपुर क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर के मालिक विवेक कुमार सिंह और उसके सहयोगी रंजीत सिंह को एक नाबालिग को दवा बेचते रंगे हाथ पकड़ लिया गया। दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि सोमवार को एक नाबालिग ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई थी।

खबरों में शहर

सामाजिक सरोकारों की कहानियों का पाठ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

पिछले दिनों गांधी शांति प्रतिष्ठान में कथा कहानी की ओर से कथा गोष्ठी का आयोजन किया गया। कथा कहानी के संयोजक हरियश राय ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि कथा कहानी का यह मंच सामाजिक सरोकारों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानियों को रेखांकित करता है। पंकज बिष्ट ने अपनी कहानी 'ऐसी जगह' व युवा कथाकार सत्येंद्र श्रीवास्तव ने अपनी कहानी 'प्रीमियम' का पाठ किया। इन दोनों कहानियों के आधार पर रामशरण जोशी, रमेश उपाध्याय, शंकर, योगेंद्र आहूजा, संजीव कुमार, महेश दर्पण, सविता सिंह, राकेश भारतीय, संजीव, विवेकानंद, प्रेमपाल शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। गोष्ठी में दीर्घ नारायण, मनोज कुलकर्णी, प्रेम तिवारी, बली सिंह, नक्षत्र सिंह, सहित कई लोग मौजूद थे।

गरमी व नमी भरा रहा दिन, नहीं हुई बारिश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह में गरमी के साथ काफी नमी वाला मौसम रहा। न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। यह मौसम के औसत तापमान से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है। दिल्ली में मंगलवार को झमाझम बारिश तो नहीं हुई लेकिन कुछ इलाके मसलन पंजाबी बाग, पीरागढ़ी में हल्की बारिश हुई। वहां सुबह से छाए बादल दोपहर-होते बरस पड़े। वहीं, मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, मंगलवार के साथ बुधवार को भी ऐसा मौसम रहेगा और बारिश होगी। सोमवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस और 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

मेट्रो स्टेशन पर मिला कट्टा और कारतूस, एक गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

दिल्ली मेट्रो के एक स्टेशन पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) ने मंगलवार को एक व्यक्ति को कथित रूप से देसी कट्टे और कारतूस के साथ पकड़ा है। सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले 28 साल के अभिमन्यु यादव को बल के कर्मियों ने दोपहर को गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन पर रोका। अधिकारी ने बताया कि उसके बैग में देसी कट्टा, पांच कारतूस और 50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उसे आगे की जांच के लिए गाजियाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मेट्रो में हथियार और गोला बारूद ले जाना प्रतिबंधित है।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : पुरातात्विक भारती पर चर्चा, सभागार 1 और 3, कमलादेवी ब्लाक, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम छह बजे।

प्रदर्शनी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : लातूर से कलाकार अरुण कुमार चटर्जी की कला प्रदर्शनी, एनेक्स आर्ट गैलरी, पूर्वाह्न 11 बजे से, 16 जुलाई तक।

राष्ट्र निर्माण में संघ की भूमिका और इतिहास नागपुर विवि के पाठ्यक्रम में

नागपुर, 9 जुलाई (भाषा)।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का इतिहास और राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका को नागपुर स्थित एक विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आरएसएस का मुख्यालय भी इसी शहर में है।

राष्ट्रसंत तुकाडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने बीए (इतिहास) के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में आरएसएस के इतिहास को शामिल किया है। पाठ्यक्रम के तीसरे खंड में राष्ट्र निर्माण में आरएसएस की भूमिका का ब्योरा है। वहीं, प्रथम खंड में कांग्रेस की स्थापना और जवाहर लाल नेहरू के उभार के बारे में बात की गई है। पाठ्यक्रम के द्वितीय खंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे मुद्दों की बात की गई है।

घटनाक्रम से करीब से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि यह कदम इतिहास में नई विचारधारा के बारे में छात्रों को जागरूक करने के प्रयास का हिस्सा है। विश्वविद्यालय अध्ययन बोर्ड के सदस्य सतीश चैफल ने मंगलवार को बताया कि भारत का इतिहास (1885–1947) इकाई में एक अध्याय राष्ट्र निर्माण में संघ की भूमिका का जोड़ा गया है, जो बीए (इतिहास) द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम के चौथे सेमेस्टर का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि 2003–2004 में विश्वविद्यालय के एमए (इतिहास) पाठ्यक्रम में एक अध्याय 'आरएसएस का परिचय' था।

चैफल ने कहा, 'इस साल हमने इतिहास के छात्रों के लिए राष्ट्र निर्माण में आरएसएस के योगदान का अध्याय रखा है जिससे कि वे इतिहास में नई विचारधारा के बारे में जान सकें।' विश्वविद्यालय के कदम को उचित ठहराते हुए चैफल ने कहा कि इतिहास के पुनर्लेखन से समाज के समक्ष नए तथ्य आते हैं।

वहीं, आरएसएस पर अध्याय लाए जाने पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचित सावंत ने ट्वीट किया, 'नागपुर विश्वविद्यालय आरएसएस और राष्ट्र निर्माण का संदर्भ कहां से ढूंढ़ेगा? यह सर्वाधिक विभाजनकारी बल है जिसने ब्रितानिया हुकूमत का साथ दिया, स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया।' महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि आरएसएस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

एअर मार्शल नांबियार ने जम्मू में वायु सुरक्षा की समीक्षा की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, नौ जुलाई।

वायुसेना की पश्चिमी कमान के कमांडर एअर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एअर मार्शल रघुनाथ नांबियार ने जम्मू में वायु सुरक्षा की समीक्षा की। उन्होंने वायुसेना के अड्डे की सुरक्षा स्थितियों की समीक्षा की और यहां की तैयारियों, उच्च सुरक्षा प्रणाली और तैनात जवानों के ऊंचे मनोबल की खूब प्रशंसा की।

रक्षा प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि एअर मार्शल नांबियार ने वरिष्ठ अधिकारियों एवं सभी कमांडिंग अधिकारियों से बातचीत की। उनके साथ वायुसेना वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष (क्षेत्रीय) लक्ष्मी नांबियार भी थीं। उन्हें यहां के प्रमुख पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई और उन्होंने यहां के तकनीकी इलाके का दौरा किया। प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने स्टेशन की सुरक्षा प्रणालियों का जायजा लिया।

पहलू खान के बेटों के खिलाफ आगे की जांच की मंजूरी मांगी पुलिस ने

जयपुर, 9 जुलाई (भाषा)।

अलवर पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से गोवंश की ढुलाई के मामले में अदालत से पहलू खान के दो बेटों और एक ट्रक ड्राइवर के खिलाफ आगे जांच करने की अनुमति मांगी है। पहलू खान की एक अप्रैल, 2017 को कुछ कथित गोरक्षकों ने बहरोड़ (अलवर) में पिटाई की थी, जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई। पहलू खान व उसके बेटे मवेशी लेकर नुंह जा रहे थे और लोगों को उन पर गोतस्करी का संदेह था।

> ●पुलिस ने एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शनिवार को पेश किया

अलवर के पुलिस अधीक्षक पारिस अनिल देशमुख ने बताया कि पुलिस ने प्रार्थना पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शनिवार को पेश किया, जिसमें जांच को आगे बढ़ाने के लिए स्वीकृति मांगी गई है। खान के बेटे ने बताया कि वह अलवर के टपूकडा में जानवर बेचने जा रहा था और ट्रक ड्राइवर ने दावा किया कि उसने अपना वाहन घटना के घटित होने से पूर्व किसी अन्य को बेच दिया था।

पुलिस ने पहलू खान के दोनों बेटे– इरशाद व आरिफ और ट्रक ड्राइवर खान मोहम्मद के खिलाफ इस वर्ष मई में आरोप पत्र पहले से दायर कर रखा है। सभी आरोपियों को राजस्थान गोवंश पशु अधिनियम, 1995 की विभिन्न धाराओं में आरोपी माना गया है। पहलू खान का नाम आरोप पत्र से हटा दिया गया है, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अलवर के बहरोड में एक अप्रैल, 2017 को गोतस्करी के संदेह में पहलू खान और उसके बेटों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। पहलू खान की दो दिन बाद अलवर के अस्पताल में मौत हो गई थी।

केंद्र ने राज्यों से नौकरशाहों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने को कहा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

केंद्र में काम करने के इच्छुक अधिकारियों की संख्या नगण्य बताते हुए कार्मिक मंत्रालय ने सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि करियर में आगे बढ़ने और प्रासंगिक अनुभव का आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए जरूरी संख्या में नौकरशाह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए नामित किए जाएं। मंत्रालय ने कहा है कि उप सचिव या निदेशक स्तर के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की नुमाइंदगी बेहद कम है।

कार्मिक मंत्रालय ने दिसंबर में सभी राज्यों को केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत पदों और मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों को भेजने को कहा था। मंत्रालय ने अपने ताजा पत्र में कहा है, '2019 के लिए आवेदन आमंत्रित करने के बाद से हालांकि छह महीने बीत चुके हैं, अब तक मिले नामांकन की संख्या शून्य से नगण्य तक है। खासकर उपसचिव/ निदेशक स्तर पर केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत विभिन्न कैडरों/सेवाओं से अधिकारियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम होने के संबंध में ध्यान भी दिलाया गया है। इसलिए, केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत उपसचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव स्तर पर नियुक्ति के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों की सिफारिश का अनुरोध किया जाता है ताकि इसके लिए रिजर्व केंद्रीय प्रतिनियुक्ति /रिजर्व प्रतिनियुक्ति का इस्तेमाल किया जा सके।'

एनआइए ने बंगलुरु से हथियार, आइईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जब्त की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने मंगलवार को बताया कि उसने बंगलुरु से पांच हथगोले, एक टाइमर उपकरण, तीन बिजली सर्किट, संदिग्ध विस्फोटक पदार्थ, आइईडी, रॉकेट बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और कुछ अन्य चीजें बरामद की हैं।

पश्चिम बंगाल के बर्दवान में 2014 में विस्फोट में संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किए गए जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश के आतंकवादी हबीबुर रहमान के खुलासे के बाद उत्तरी बंगलुरु में सोलादेवनहल्ली इलाके से विस्फोटक सामग्रियां जब्त की गईं।

राष्ट्रीय जांच एजंसी ने एक बयान में कहा कि बंगलुरु में जब्त किए गए हथगोले का निर्माण राज्य में आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करने के लिए किया गया था। एनआइए अदालत ने बंगलुरु में 25 जून को गिरफ्तार रहमान को पुलिस हिरासत में भेज दिया था। बर्दवान मामले की जांच में दायर आरोप पत्र में उसे फरार घोषित किया गया था।

हथगोले और अन्य सामग्री की जब्ती के बाद रहमान और जेएमबी कैडरों के खिलाफ सोलादेवनहल्ली थाने में एक नया मामला दर्ज किया गया।

अयोध्या मामले की शीघ्र सुनवाई की अर्जी, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी

नई दिल्ली, 9 जुलाई (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में एक मूल वादी के उस आवेदन पर विचार के लिए मंगलवार को तैयार हो गया, जिसमें उसने इस मामले की शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया है। वादी गोपाल सिंह विशारद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद का सर्वमान्य समाधान खोजने के लिए आठ मार्च को शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एफएमआइ कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की थी लेकिन इसमें बहुत कुछ नहीं हो रहा है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के तीन सदस्यीय खंडपीठ से विशारद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा ने इस मामले का जिक्र करते हुए कहा कि मालिकाना हक के इस विवाद को शीघ्र सुनवाई के लिए न्यायालय में सूचीबद्ध किए जाने की आवश्यकता है।

नरसिम्हा ने कहा कि तीन सदस्यीय समिति को न्यायालय द्वारा सौंपे गए भूमि विवाद के इस मामले में अधिक कुछ नहीं हो रहा है। पीठ ने कहा, 'हम देखेंगे।' पीठ ने जानना चाहा कि क्या आपने शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन किया है। इस पर नरसिम्हा ने सकारात्मक जवाब दिया।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मध्यस्थता के लिए बनाई गई इस समिति का कार्यकाल मई में 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था ताकि वह अपनी कार्यवाही पूरी कर सके। पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि यदि मध्यस्थता करने वाले परिणामों के बारे में आशान्वित हैं और 15 अगस्त तक का समय चाहते हैं तो समय देने में क्या नुकसान है? यह मुद्दा सालों से लंबित है। इसके लिए हमें समय क्यों नहीं देना चाहिए?

मध्यस्थता के लिए गठित समिति में न्यायमूर्ति कलीफुल्ला के अलावा अध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर तथा जाने माने मध्यस्थता विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू को इसका सदस्य बनाया गया था।

अण्णा हजारे मुंबई की अदालत में पेश हुए

2006 में हुए पद्मसिंह पाटील हत्याकांड में दी गवाही

मुंबई, 9 जुलाई (भाषा)।

सामाजिक कार्यकर्ता अण्णा हजारे कांग्रेस नेता पवनराजे निंबालकर की 2006 में हुई हत्या के मामले में सरकारी गवाह के तौर पर मुंबई की एक विशेष अदालत में मंगलवार को पेश हुए।

लोकसभा के पूर्व सदस्य पद्मसिंह पाटील इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। न्यायाधीश आनंद यावलकर की अदालत में हजारे ने अपनी गवाही में कहा कि पाटील को बतौर निर्वाचित प्रतिनिधि जानते थे। हजारे ने अदालत से कहा, 'उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिसे लेकर मैंने आंदोलन किया और उसके बाद सरकार ने इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीबी सावंत की अगुवाई में एक आयोग बनाया।' उन्होंने कहा, 'मुझे मीडिया के मार्फत पवनराजे निंबालकर की हत्या के बारे में पता चला। मुझे मीडिया की एक खबर से यह भी पता चला कि मेरी हत्या करने के लिए शूटरों को सुपारी दी गई थी, जिसके बाद मैंने इस संबंध में (अहमदनगर जिले में) पारनेर थाने में मामला दर्ज कराया।' हजारे ने कहा कि शिकायत दर्ज करने से पहले उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखा था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

हाल ही में शीर्ष अदालत ने बंबई हाई कोर्ट के एक आदेश को खारिज करते हुए सीबीआइ को हजारे को इस मामले में सरकारी गवाह बनाने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने पवनराजे निंबालकर की विधवा आनंददेवी निंबालकर की यह अर्जी खारिज कर दी थी कि हजारे को इस मामले में गवाह बनाया जाए। आनंददेवी ने अपनी अर्जी में दावा किया था कि हजारे एक अहम गवाह हैं क्योंकि उन्हें पवनराजे निंबालकर की हत्या के मुख्य आरोपी और राज्य के पूर्व मंत्री पद्मसिंह पाटील द्वारा रची गई साजिश की जानकारी थी।

पवनराजे निंबालकर और उनके ड्राइवर समद काजी की तीन जून, 2006 को मुंबई- पुणे एक्सप्रेस राजमार्ग पर कलंबोली के पास उन्हीं की कार में हत्या कर दी गई थी।

विश्वसनीय. मैत्रीपूर्ण Faithful. Friendly सिंडिकेटबैंक SyndicateBank भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

एसएसआई फरीदाबाद आईएफ/201, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा
फोनः 0129–2410661 ई–मेलः br.8283@syndicatebank.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए} (अधिनियम के परिषिष्ट–IV–नियम 8(1) के अंतर्गत)

चूंकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी की, जिसके द्वारा नीचे वर्णित कर्जदार(रों) को सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया।
कर्जदार(रों) के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा 8 जुलाई, 2019 को ले लिया है।
कर्जदार(रों) को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन सिंडिकेट बैंक (एसएसआई फरीदाबाद आईएफ/201, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा) के नीचे वर्णित बकाया राशि एवं उस पर आगे ब्याज एवं लागत आदि का भुगतान करने के अधीन होगा।

कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) का नाम	अचल सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि	मांग सूचना की तिथि
कर्जदारः मैसर्स शिवम इंटरप्राइजेज मार्फत इसके मालिक श्री शिव नाथ सिंह गारंटरः श्री बी पी सिंह	श्री शिव नाथ सिहं और श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह के स्वामित्व में गली नं. 52, नजदीक डाकघर और गुरू कृपा स्कूल, संजय कॉलोनी, मौजा सरण, तहसील एवं जिला फरीदाबाद में स्थित मकान नं. 1008/79 (पुराने प्लॉट नं. 89 का उत्तर पूर्व भाग परिमाप 50 वर्ग यार्ड) खसरा नं. 73/7/2 (6–2) का भाग की सम्पत्ति। **सम्पत्ति निम्नानुसार घिरी है:** पूर्व मेंः पुराने प्लॉट नं. 89 का शेष भाग, पश्चिम मेंः प्लॉट नं. 90, उत्तर मेंः रास्ता 18 फीट चौड़ा, दक्षिण मेंः पुराने प्लॉट नं. 89 का षेष भाग	01.05.2019 को रु. 26,94,569.11 (छब्बीस लाख चौरानबे हजार पांच सौ उनसत्तर रुपए एवं ग्यारह पैसे) के साथ 06.05.2019 से उस पर ब्याज एवं अन्य व्यय आदि।	06.05.2019 कब्जे की तिथिः 08.07.2019

तिथिः 08.07.2019 स्थानः फरीदाबाद प्राधिकृत अधिकारी, सिंडिकेट बैंक

विश्वसनीय. मैत्रीपूर्ण Faithful. Friendly सिंडिकेटबैंक SyndicateBank भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

क्षेत्रीय कार्यालयः
नीलम बाटा रोड, एन.आई.टी., फरीदाबाद (हरियाणा)
फोनः 0129–2413658
ई–मेलः ro.faridabad@syndicatebank.co.in

कब्जा सूचना (नियम 8(1) के अंतर्गत अचल सम्पत्ति के लिए}

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए बैंक ने नीचे प्रत्येक खाते के सम्मुख वर्णित तिथि को मांग सूचनाएं जारी की जिसमें कर्जदारों को कथित सूचना प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहा गया। कथित कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदारों, गारंटरों तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्तियों का नीचे वर्णित खातों के सम्मुख तिथियों को कब्जा ले लिया है।
कर्जदारों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
सम्पत्ति के स्वामी विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्यतः एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे कथित सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन सिंडिकेट बैंक को बकाया राषि और उस पर ब्याज, लागत एवं प्रभार का भुगतान करने के अधीन होगा।
सम्पत्ति का विवरण जिसका सांकेतिक कब्जा लिया गया है, निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	कर्जदार/गारंटर/शाखा	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	13(2) सूचना के अंतर्गत वर्णित बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि
1.	कर्जदारः श्री/श्रीमती देवी चरण शर्मा–त्रिलोक चंद शर्मा शाखाः बल्लभगढ़ शाखा	वार्ड नं. 9, जगदीष कॉलोनी, बल्लभगढ़ में आवासीय–सह–दुकान सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से, परिमाप 132 वर्ग यार्ड (कुल एरिया 407 वर्ग यार्ड में से उसका हिस्सा) एल्फाबेट सी डी ई जी एच आई एवं जे के एल एम एंड एन ओ पी क्यू द्वारा चिन्हित, स्वामित्वः देवी चरण शर्मा पुत्र श्री हीरा लाल	रु. 6,83,658.33 प्लस ब्याज एवं अन्य प्रभार	27.02.2019 कब्जे की तिथिः 04.07.2019
2.	कर्जदारः मैसर्स ईको पॉलीफाइबर्स प्रा. लि. गारंटरः श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री चन्द्रभान अग्रवाल, श्री विनोद कुमार पुत्र श्री अबदेश, श्री अमर चंद पुत्र बनारसी दास एवं श्रीमती स्वेता अग्रवाल पत्नी श्री संजय अग्रवाल शाखाः फरीदाबाद सैक्टर–21–सी	(1) मैसर्स स्वास्तिक लाइफसाइंस प्रा. लि. के नाम पर खाता नं. 29 एवं खसरा नं. 592, गांव नगोला, अनूप शहर रोड, अलीगढ़, यूपी में स्थित भूमि का यूआरईएम अनुमानित एरिया 8065.75 वर्ग मीटर। (2) मैसर्स स्वास्तिक लाइफसाइंस प्रा. लि. के नाम पर खसरा/गाटा नं. 63, गांव–एचना, सोमना खैर रोड, तहसील–खैर, जिला–अलीगढ़ में स्थित भूमि का यूआरईएम, एरिया परिमाप 5530 वर्ग मीटर।	30.08.2016 को रु. 14,96,67,251.00 प्लस ब्याज एवं अन्य प्रभार	30.08.2016 कब्जे की तिथिः 05.07.2019

दिनांक : 09.07.2019 स्थान : बल्लभगढ़ प्राधिकृत अधिकारी, सिंडिकेट बैंक

लिबर्टी शूज़ लिमिटेड LIBERTY

सीआईएन : L19201HR1986PLC033185
पंजीकृत कार्यालयः लिबर्टीपुरम, 13वां माइलस्टोन, जी.टी. करनाल रोड, कुटेल, पी.ओ., बसतारा, जिला - करनाल - 132114, हरियाणा
कॉर्पोरेट ऑफिसः भू तल, टावर-ए, बिल्डिंग नं. 8, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-2, गुरुग्राम- 122002, हरियाणा
दूरभाष : +(91)-0124-4616200 फैक्स: +(91)-0124-4616222
ई-मेल : investorcare@libertyshoes.com, वेबसाइट : www.libertyshoes.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 29 तथा 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही कम्पनी के 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए गैरलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा तथा उसे मंजूरी प्रदान की जाएगी। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट (www.libertyshoes.com), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते लिबर्टी शूज़ लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
मुनीष काकरा
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कम्पनी सचिव

स्थानः गुरुग्राम, हरियाणा
तिथिः मंगलवार, 9 जुलाई, 2019

टाइटन सिक्यूरिटीज लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः ए-2/3, तीसरा तल, लुसा टावर आजादपुर कामर्शियल काम्प्लेक्स, दिल्ली-110033
वेबसाइटः www.titansecuritieslimited.com
CIN: L67190DL1993PLC052050
फोनः 011-47020100, 27674615, फैक्सः +91-11-47619811
ई-मेलः titan.securities@yahoo.com

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा स्वीकृत करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 18 जुलाई, 2019 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ए-2/3, तीसरा तल, लुसा टावर, आजादपुर कामर्शियल काम्प्लेक्स, दिल्ली-110033 में आयोजित की जाएगी।
इसके अलावा, 10.07.2019 से 22.07.2019 तक पदनामित व्यक्तियों के लिए कंपनी की ट्रेडिंग विंडो बंद रहेगी। कृते टाइटन सिक्यूरिटीज लिमिटेड
हस्ता./-
स्थानः नई दिल्ली [illegible]
दिनांकः 08.07.2019 कम्पनी सचिव

प्रपत्र संख्या आईएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केंद्रीय सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में
और
जोनका टैक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय–के–258/635, 636, लेन 3, वेस्टेंड मार्ग निकट साकेत मेट्रो स्टेशन, सैयदुलाजायब, नई दिल्ली –110030 स्थित है, के मामले में
याचिकाकर्ता
आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.)" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 24 जून, 2019 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, दूसरा फ्लोर, प.–दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय को पर भी भेजेंगे : के–258/635, 636, लेन 3, वेस्टेंड मार्ग निकट साकेत मेट्रो स्टेशन, सैयदुलाजायब, नई दिल्ली –110030
दिनांक 10 जुलाई 2019
स्थान : नई दिल्ली
कृते एवं हित जोनका टैक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
ह/–
सुदीप कुमार मंडल, निदेशक
डि.आई.एन.-01066623

बी.सी. पावर कन्ट्रोल्स लिमिटेड
(सीआईएन : L31300DL2008PLC179414)
पंजी. कार्यालय : 7ए/39, डब्ल्यूईए चानना मार्केट, करोल बाग, नई दिल्ली–110005
ई-मेल : info@bcriongroup.com
वेबसाइट : www.bcpowercontrols.com
फोन : 011–47532795, फैक्स : 011–47532798

सूचना
एतद्द्वारा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 16 जुलाई, 2019 को 7ए/39, डब्ल्यूईए चानना मार्केट, करोल बाग, नई दिल्ली– 110005 में स्थित इसके पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य के साथ, 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित एवं अनुमोदित किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.bcpowercontrols.com तथा स्टॉक एक्सचेन्ज (बीएसई लिमिटेड) की वेबसाइट नामतः www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।
इसके अतिरिक्त सेबी (अंतरंगी व्यापार निषेध) विनियमावली, 2015 के साथ पठित अंतरंगी व्यापार की रोकथाम हेतु कम्पनी की आचार संहिता के अनुसरण में कम्पनी की प्रतिभूतियों में व्यवहार के लिए व्यापार खिड़की ('ट्रेडिंग विंडो') कम्पनी के सभी निदेशकों, अधिकारियों तथा पदनामित कर्मचारियों के लिए 01 जुलाई, 2019 से कम्पनी के 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम सार्वजनिक किए जाने के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगी।
बोर्ड के आदेश द्वारा
वास्ते बी.सी. पावर कन्ट्रोल्स लिमिटेड
हस्ता./–
अरुण कुमार जैन
प्रबंध निदेशक
तिथि : 09.07.2019
स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 00438324

DABUR INDIA LIMITED
CIN - L24230DL1975PLC007908
Regd. Office: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002
Tel. No. - 011-23253488, Fax No. - 011-23222051
Website - www.dabur.com; e-mail: investors@mail.dabur

NOTICE

Notice is hereby given that the undermentioned share certificates of the Company have been reported to be lost or misplaced.

SL.NO	FOLIO NO.	NAME	CERTIFICATE NOS	SHARES	DISTINCTIVE NOS
1	DIL0902117	Akbarali S Merchant	58863** 74207 84866 90857 108118	100** 1000 1000 1000 3000	28195151-28195250 36426291-36427290 602517495-602518494 606592805-606593804 907291611-907294610
2	DIL0904226	Vikas Kumar Dugar	60975** 74986	100** 1000	28406351-28406450 37205291-37206290
3	DIL0904078	Kavita Bhagwan Melwani Bhagwan Melwani Kakuli Raj Melwani	60827** 74922 91242	100** 1000 1000	28391551-28391650 37141291-37142290 606959805-606960804
4	DIL0046216	Bhavnaben Dilip Shah Dilip Shah	105910	3000	902877752-902880751
5	DIL0066168	Ved Prakash Goel Ashok Kumar Goel	93213 101308	500 500	898759790-898760289 901084405-901084904
6	DIL0032913	Girdhari Kabra	10683** 71645	100** 1000	23377151-23377250 33664501-33665500
7	DIL0903219	Amit Lathia	108227	3000	907582111-907585110
8	DIL0902430	Ajaz Gani Mohammad Shaikh	84926	1000	602577495-602578494
9	DIL0001059	Rama Sharma Hradya Prakash Sharma Krishan Prakash Sharma	5059** 68188	100** 1000	22814751-22814850 30011001-30012000
10	DIL0077045	Param Investments Private Limited	79313 88140 92850 102096	1000 1000 1000 3000	35294001-35295000 606007939-606008938 601843680-601844679 901146161-901149160

** Shares of nominal value of Rs.10/- each of Dabur India Limited.
1. Any person who has a claim or lien or interest in the above shares and having any objection to the issue of duplicate share certificates in lieu of the above, is requested to notify the same to the Company at its Registered Office latest by 23.07.2019, indicating the nature of the claim, lien or interest of his/her objection to the said issue of duplicate share certificates through an affidavit duly attested.
2. In case company does not receive any objection within aforesaid period it shall proceed with the issue of new share certificates of the face value of Re.1 each in lieu of the old shares of the face value of Rs.10 or Re.1 each, as the case may be, comprised in the above mentioned lost share certificates without entertaining any claim/damages whatsoever it may be.
3. The submission of documents by the members to the company shall be deemed to be completed on 23.07.2019 being last date of receipt of objection, if any, by the company on the above shares.

New Delhi
09.07.2019
for DABUR INDIA LIMITED
(A K JAIN)
E.V.P. (Finance) & Company Secretary

आईएनसी–25
[कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
केंद्रीय सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली
कंपनीज अधिनियम, 2013, कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) और कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामले में
तथा
गुड़गांव टैक्निकल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस (कंपनी) जिसका पंजीकृत कार्यालय 504/1, गली नं. 62, भीमगढ़ खेड़ी, पार्ट–2, निकट रेलवे स्टेशन, गुरुग्राम, हरियाणा 122001 में है के मामले में
...आवेदक

सूचना
एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"हरियाणा राज्य"** से **"दिल्ली के रा.रा.क्षे."** में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेतु कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत बुधवार, 3 जुलाई, 2019 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुरूप, केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली के पते बी–2 विंग, 2 फ्लोर, दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003 को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पर भेजी जानी चाहिए।
पंजीकृत कार्यालय पता: 504/1, गली नं. 62, भीमगढ़ खेड़ी, पार्ट–2, निकट रेलवे स्टेशन, गुरुग्राम, हरियाणा 122001
कृते और आवेदक की ओर से
गुड़गांव टैक्निकल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस
हस्ता/–
प्रताप कुमार राय
निदेशक
स्थानः गुरुग्राम
तिथिः 04.07.2019 DIN: 07082775

ऐक्सिस बैंक **आधिपत्य नोटिस**
रिटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी–4/5, बी, सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226010
कारपोरेट आफिस : तृतीय तल, ब्लाक–बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली मुम्बई–400 025
रजिस्टर्ड आफिस : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380 006

जबकि अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेन्ट) रूल्स 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं, अतः एव उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **कब्जा** ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा **ऐक्सिस बैंक लि0** के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, आनुषंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह–ऋणी/बन्धककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि वह समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

क्र.सं.	ऋणी/सह–ऋणी/जमानतकर्ता(ओं) का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया धनराशि
1	मैसर्स ईस्ट मैडीकोज (ऋणी), द्वारा प्रोपराइटर संजीव कुमार; श्री संजीव कुमार (जमानतकर्ता) पुत्र महेश कुमार; श्री महेश कुमार (जमानतकर्ता) पुत्र [illegible]; श्री नरेश कुमार (जमानतकर्ता) पुत्र [illegible]; निवासी वार्ड नं0 03, निकट आर्य समाज मंदिर, [illegible] किच्छा, [illegible] उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड–263148; श्री महेश कुमार (जमानतकर्ता) पुत्र [illegible]; श्री नरेश कुमार (जमानतकर्ता) पुत्र [illegible]; निवासी म0नं0 381 [illegible] वार्ड–2 किच्छा, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड–263148, भारत	स्थित वार्ड नं0 03, किच्छा, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड– 263148; जोकि महेश कुमार एवं नरेश कुमार के नाम; क्षेत्रफल–126.82 वर्ग मी0; चौहद्दीः पूर्वः सड़क; पश्चिम : मकान [illegible]; उत्तर : मकान [illegible]; दक्षिण : [illegible] का प्लाट	रू. 25,55,795.00 दिनांक 28.02.2019 + देय ब्याज व अन्य खर्चे; देय सूचना की तिथि 13.03.2019; कब्जा दिनांक 05.07.2019
2	श्री सोम पाल गुप्ता (ऋणी) पुत्र श्री [illegible] गुप्ता; श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता (सह–ऋणी) पत्नी श्री सोम पाल गुप्ता; निवासी मकान नं0 22, आकिबर्ड इन्क्लेव विस्तार, [illegible] नगर, सैदपुर हाकिम्स, इज्जत नगर, बरेली–243122	स्थित मकान नं0 22, आकिबर्ड इन्क्लेव विस्तार, सैदपुर हाकिम्स, इज्जत नगर, बरेली–243122; क्षेत्रफल–87.79 वर्ग मी0; चौहद्दीः पूर्व : मकान नम्बर 20; पश्चिम : 30 फुट चौड़ा रास्ता; उत्तर : [illegible] का मकान नं0 21; दक्षिण : शर्मा जी का मकान	रू. 2,20,917.00 एवं रू. 6,56,720.00 दिनांक 12.04.2019 + देय ब्याज व अन्य खर्चे; देय सूचना की तिथि 12.04.2019; कब्जा दिनांक 05.07.2019
3	श्री अनन्त शुक्ला (ऋणी), पुत्र श्री [illegible] शुक्ला; निवासी फ्लैट नं0 जी–55, प्रथम तल, सरयू अपार्टमेन्ट सामीप्य, लेक सिटी, रूद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड–263153; एवं : निवासी मकान नं0 [illegible]/5, साइट नं0 1, [illegible] नगर कानपुर उत्तर प्रदेश–208011; एवं : द्वारा एक्सेल [illegible], 24 [illegible] नगर, [illegible] रोड, मेरठ उत्तर प्रदेश–250001; श्रीमती ज्योति शुक्ला (सह–ऋणी), पत्नी श्री अनन्त शुक्ला; निवासी फ्लैट नं0 जी–55, प्रथम तल, सरयू अपार्टमेन्ट सामीप्य, लेक सिटी, रूद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड–263153; एवं : निवासी मकान नं0 [illegible]/5, साइट नं0 1, [illegible] नगर कानपुर उत्तर प्रदेश–208011	स्थित निवासी फ्लैट नं0 जी–55/एस, द्वितीय तल, सरयू अपार्टमेन्ट सामीप्य, लेक सिटी, रूद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड–263153; क्षेत्रफल–53.88 वर्ग मी0; चौहद्दीः पूर्व : फ्लैट नं0 54/एस; पश्चिम : फ्लैट नं0 जी–56/एस; उत्तर : रास्ता; दक्षिण : सर्विस लेन	रू. 9,36,398.00 दिनांक 29.05.2019 + देय ब्याज व अन्य खर्चे; देय सूचना की तिथि 30.05.2019; कब्जा दिनांक 05.07.2019
4	श्री रामविलास (ऋणी), पुत्र श्री [illegible]; द्वारा बनवारी लाल शर्मा, वार्ड नं0 4 [illegible] नगर, रूद्रपुर, जिला–उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड– 263153; एवं : निवासी म0नं0 15, ग्राम–[illegible], पोस्ट–[illegible], पुलिस स्टेशन–[illegible], तहसील नवाबगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत–243406; एवं : निवासी एस [illegible] लि0, प्लाट नं0 11, सेक्टर–09, आईआईई सिडकुल, पंतनगर, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड–263153; श्रीमती रामवेटी देवी (सह–ऋणी), पत्नी श्री रामविलास; द्वारा बनवारी लाल शर्मा, वार्ड नं0 4 [illegible] नगर, रूद्रपुर, जिला–उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड– 263153; एवं : निवासी म0नं0 15, ग्राम–[illegible], पोस्ट–[illegible], पुलिस स्टेशन–[illegible], तहसील नवाबगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश भारत–243406	निवासी प्लाट नं0 37/5 [illegible] बी–17–ए) [illegible] इन्क्लेव, ग्राम–[illegible], तहसील किच्छा, जिला–उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, भारत, 263148; क्षेत्रफल–46.88 वर्ग मी0; चौहद्दीः पूर्व : [illegible] कालोनी; पश्चिम : प्लाट नं0 बी–13; उत्तर : प्लाट नं0 बी–11; दक्षिण : सड़क	रू. 5,09,266.00 दिनांक 16.01.2019 + देय ब्याज व अन्य खर्चे; देय सूचना की तिथि 16.01.2019; कब्जा दिनांक 05.07.2019

दिनांक : 10.07.2019, स्थान : लखनऊ (प्रा0 अधिकारी), ऐक्सिस बैंक लि0

जनसत्ता

अवांछित दखल

किसी देश की आंतरिक स्थिति के बारे में संयुक्त राष्ट्र की ओर से जब आधिकारिक रूप से कोई राय जाहिर की जाती है तो उससे निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित होने की अपेक्षा स्वाभाविक है। ज्यादातर मामलों में ऐसा होता भी है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि किसी खास मसले पर एक तरह से निष्कर्ष देने के क्रम में कुछ जरूरी पहलुओं पर गौर करना जरूरी नहीं समझा जाता। पिछले कई सालों से जम्मू-कश्मीर में जो हालात चल रहे हैं, उन्हें किसी एक बिंदु पर खड़े होकर देखने से तस्वीर का एक पहलू ही नजर आएगा और मुमकिन है कि उसकी वजहों पर नजर नहीं जा सके। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की ओर से जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर जारी ताजा रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, उन्हें इसी कसौटी पर रख कर देखा जा सकता है। इसमें भारत-प्रशासित कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघनों को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल डेढ़ सौ से ज्यादा आम शहरियों की मौत पिछले एक दशक के दौरान सबसे बड़ा आंकड़ा है।

गौरतलब है कि पिछले साल भी संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर की स्थिति पर पेश अपनी रिपोर्ट में लगभग इसी तरह के आकलन पेश किए थे। निश्चित रूप से कहीं भी मानवाधिकारों के हनन को लेकर जताई जाने वाली चिंता पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन अगर उस चिंता में हालात की मूल वजहों की अनदेखी की जाती हो तो उस पर सवाल उठना लाजिमी है। यह बेवजह नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट पर भारत ने सख्त एतराज जताया है। रिपोर्ट को खारिज करते हुए भारत ने इसे मनगढ़ंत और दुर्भावना से प्रेरित बताया है। सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र जब कश्मीर में आतंकवाद की वजह से उत्पन्न हालात को संभालने के लिए भारत की कोशिशों पर सवाल उठाता है तो क्या उससे यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वह सीमा-पार की उन गतिविधियों पर भी गौर करे जिनमें लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता रहा है? यह अब कोई छिपा तथ्य नहीं है कि कई आतंकवादी संगठन पाकिस्तान स्थित ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करते रहे हैं और कश्मीर में लगातार आतंक का माहौल बनाए रखते हैं। तब एक संप्रभु देश के रूप में क्या भारत को उन आतंकियों से निपटने का अधिकार नहीं है? क्या भारत की ओर से आतंक का सामना करने को कठघरे में खड़ा कर संयुक्त राष्ट्र 'आतंकवाद को वैधता' प्रदान करने की कोशिश करना चाहता है?

संभव है कि आतंकियों का सामना करने के क्रम में कुछ नागरिक भी चपेट आ जाते हों। पैलेट गन से पीड़ित लोगों की तकलीफों पर खुद भारत में चिंता जताई जाती रही है। एक संप्रभु और लोकतांत्रिक देश के नाते भारत अपने स्तर पर भी गलत को गलत ही मानता है और कोशिश करता है कि आम नागरिकों को कोई नुकसान न हो। लेकिन एक देश के रूप में अपनी संप्रभुता को कायम रखने और आतंकवाद का सामना करने का अधिकार भी भारत के पास रहना चाहिए। बल्कि जिस आतंकवाद से दुनिया पीड़ित है, उसमें तमाम देशों से इसके खिलाफ लड़ाई में साथ खड़ा होने की उम्मीद की जाती है। दुनिया के किसी भी देश में अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो संयुक्त राष्ट्र की ओर से न केवल उस पर राय जाहिर करने, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसमें दखल देने की भी अपेक्षा स्वाभाविक है। लेकिन इसके साथ यह अनिवार्यता भी जुड़ी होनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र की राय या निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित हो, वह किसी देश की आंतरिक स्थिति में बेजा दखल नहीं हो और उससे किसी देश की संप्रभुता का हनन नहीं होता हो।

ईरान का संकट

यूरेनियम संवर्द्धन की सीमा बढ़ाने के ईरान के एलान के बाद अमेरिका की भौंहें और ज्यादा तन गई हैं। चार साल पहले ईरान और अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच जो समझौता हुआ था, वह अब खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका ने पिछले साल ही अपने को इस समझौते से अलग कर लिया था। उसके बाद से ही इस पर आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि समझौता अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, न ही किसी ने इससे हटने का एलान किया है, लेकिन जिस तरह से इसे दरकिनार कर ईरान को घेरने की रणनीति पर काम हो रहा है और दूसरी ओर ईरान अपने यूरेनियम संवर्द्धन की मात्रा बढ़ा रहा है, उसका स्पष्ट संकेत तो यही है कि इस करार में किसी की भी दिलचस्पी नहीं रह गई है और एक-दूसरे को खुली चुनौती दी जा रही है। ईरान पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका कोई मौका नहीं छोड़ रहा और उसने ईरान को निपटाने के लिए कई तरह से घेरने की रणनीति अपनाई है। आर्थिक प्रतिबंध भी इन्हीं का हिस्सा हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि लंबे समय से कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की मार झेल रहे ईरान की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है। हालांकि ईरान अब तक यही कहता आया था कि उसने समझौते का पूरा पालन किया है तो क्यों नहीं आर्थिक प्रतिबंधों में ढील मिलनी चाहिए। अमेरिका को छोड़ समझौते से बंधे बाकी यूरोपीय देशों को यह सुनिश्चित करना था कि ईरान पर से आर्थिक प्रतिबंध कम किए जाएं। लेकिन व्यवहार में ऐसा हुआ नहीं और इसी से नाराज ईरान ने भी यूरेनियम संवर्द्धन साढ़े चार फीसद तक बढ़ाने का एलान कर डाला। हालांकि अभी भी इस मात्रा से परमाणु हथियार बनाना कतई संभव नहीं है। ईरान का यह कठोर फैसला 2015 के समझौते- ज्वाइंट कांप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (जेसीपीओए) के विपरीत है। इस समझौते के तहत ईरान को कुछ ऐसे कदम उठाने थे जो इस बात का प्रमाण होते कि वह परमाणु कार्यक्रम बंद कर चुका है और शांति पूर्ण कार्यों और जरूरतों के लिए ही यूरेनियम संवर्द्धन करेगा, न कि परमाणु हथियार बनाने के लिए। हकीकत तो यह है और दुनिया के ज्यादातर देश इस बात को समझ भी रहे हैं कि ईरान को ऐसे कदम उठाने के लिए उकसाया जा रहा है, ताकि उसे घेरा जा सके। पिछले महीने ही तेल टैंकरों पर हमले और अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का अरोप लगा कर अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी कर ली थी। लेकिन ऐन मौके पर उसने अपना फैसला बदल लिया था और युद्ध टल गया।

मौजूदा संकट को दूर करने की दिशा में फ्रांस आगे आया है। उसने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है और अगले हफ्ते पश्चिमी देशों का एक प्रतिनिधिमंडल ईरान जाएगा। ईरान संकट का शांतिपूर्ण समाधान जरूरी है। ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा तनाव पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। ईरान के समर्थन और विरोध में खड़े देशों के बीच लकीर साफ है। रूस, चीन जैसे देश अमेरिकी कार्रवाई का खुल कर विरोध कर रहे हैं। जबकि यूरोपीय देशों में भी ज्यादातर अमेरिकी कार्रवाई से सहमत नहीं हैं। पिछले साल जब अमेरिका ने खुद को समझौते से अलग किया था, तब उसकी आलोचना भी हुई थी। मामला इतना बिगड़ता नहीं अगर सभी देश 2015 के समझौते का ईमानदारी से पालन करते। लेकिन अमेरिका का मकसद शायद कुछ और है! वह किसी न किसी बहाने ईरान पर हमला कर उसके तेल पर कब्जा करना चाहता है। उसकी हठधर्मिता इसी का संकेत है।

कल्पमेधा

सब धोखों में पहला और सबसे खराब
है, अपने को धोखा देना।
-वेली

दलित उत्पीड़न से उठते सवाल

स्वामी अग्निवेश

> दलित उत्पीड़न की आपराधिक-हिंसक घटनाएं संविधान और कानून का मखौल तो हैं ही, साथ ही ये बताती हैं कि हम आज भी जाति, वर्ण और लिंग के भेदभाव वाले समाज में रह रहे हैं। लेकिन गंभीरता से अध्ययन करने पर यह सामने आता है कि दलितों के साथ अपराध, हिंसा और अपमानजनक व्यवहार करने के पीछे मकसद कानून तोड़ना नहीं होता है। इसका कारण हमारे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में निहित है।

आजादी के सात दशक बाद भी देश में दलितों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ है। समाचार पत्रों के माध्यम से आए दिन दलित उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती रहती हैं। दलितों के साथ घटित आपराधिक घटनाएं कुछ दिन मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद गायब हो जाती हैं। यही हाल गुजरात के बोताद में एक दलित उप सरपंच मांजीभाई सोलंकी की हत्या के बाद भी हुआ। मीडिया अब खामोश है और मांजीभाई के परिजन न्याय की आस में हैं, जो शायद ही उन्हें मिलेगा। यहां यह देखना दिलचस्प है कि मांजीभाई कोई आम नागरिक नहीं थे। पिछले बीस साल से उनके परिवार के लोग गांव के सरपंच चुने जा रहे हैं। अभी मांजीभाई की पत्नी सरपंच हैं और वे उप सरपंच थे। यह कहा जा सकता है कि गांव में उनकी अच्छी पकड़ थी। लेकिन उनके गांव के उच्च जाति के लोगों को दलित समुदाय के व्यक्ति का सरपंच चुना जाना अच्छा नहीं लग रहा था। पहले उनको धमकियां मिलती रहीं, फिर हमला कर जान से मार दिया गया।

गुजरात में यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले एक महीने में यह तीसरी घटना है जिसमें किसी दलित को अपनी जान गंवानी पड़ी। सिर्फ गुजरात नहीं, देश भर में दलितों का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। आज इक्कीसवीं सदी में भी दलितों की हत्या, बलात्कार और जातीय उत्पीड़न की घटनाओं में कमी नहीं देखी जा रही है। पिछले एक दशक की बात करें तो दलित समुदाय को बहुत ही विकट हालात का सामना करना पड़ा है। सरकारी आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक पिछले दस साल (2007-2017) में दलित उत्पीड़न के मामलों में छियासठ फीसद का इजाफा हुआ है। इस दौरान देश में रोजाना छह दलित महिलाओं से बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर पंद्रह मिनट में एक दलित के साथ कोई आपराधिक घटाना घट रही है।

देश में दलितों के साथ घट रही आपराधिक और हिंसक घटनाओं को सिर्फ कानून-व्यवस्था के पहलू से देखना सही नहीं होगा। दलित उत्पीड़न की आपराधिक-हिंसक घटनाएं संविधान और कानून का मखौल तो हैं ही, साथ ही ये बताती हैं कि हम आज भी जाति, वर्ण और लिंग के भेदभाव वाले समाज में रह रहे हैं। लेकिन गंभीरता से अध्ययन करने पर यह सामने आता है कि दलितों के साथ अपराध, हिंसा और अपमानजनक व्यवहार करने के पीछे मकसद कानून तोड़ना नहीं होता है। इसका कारण हमारे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में निहित है। सदियों से हमारे समाज में सिर्फ दलित ही नहीं, बल्कि आदिवासी और महिलाओं की स्थिति भी दोयम दर्जे की रही है। शास्त्रों में भले ही महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया हो, लेकिन जीवन के वास्तविक धरातल पर महिलाओं का दर्जा दलितों और शूद्रों से ऊपर नहीं था।

आजादी के बाद दलितों, आदिवासियों और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई नियम-कानून बने। लेकिन आज तक संपूर्ण रूप से वे धरातल पर लागू नहीं हो सके। सवर्ण और पुरुष वर्चस्व वाला हमारा समाज दलितों-महिलाओं को आज भी बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहता। पुरुष और सवर्ण वर्चस्व वाला समाज आज भी दोनों को सेवक समझता है। ऐसे में जब भी वह किसी दलित और महिला को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखता है तो उसे यह किसी अनहोनी से कम नहीं लगती है।

ऐसा भी नहीं है कि आजादी के बाद दलितों और महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। आजादी के बाद से ही दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं। इसका फायदा भी उन्हें हुआ है। पहले दलितों के साथ होने वाले अपराध सामने नहीं आ पाते थे। लेकिन शिक्षा और जागरूकता के बढ़ने से दलितों के साथ होने वाले अपराध अब सामने आने लगे हैं। आधुनिक शिक्षा ने दलितों को रोजगारोन्मुख बनाया है। रोजगार और राजनीतिक चेतना से दलितों के जीवन में बदलाव भी आया। राजनीतिक बदलाव से भी दलितों में चेतना का संचार हुआ है। ऐसे में पहले की तरह उनका उत्पीड़न करना आसान नहीं रह गया है फिर भी सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उन पर होने वाले अपराध अभी बंद नहीं हुए हैं, बल्कि पिछले कुछ सालों में तो ज्यादा ही बढ़े हैं।

राजनीतिक चेतना से युक्त और सरकारी नौकरियों में बढ़ती भागीदारी से दलित समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुआ है और उसके जीवनस्तर में भी बदलाव आया है। आज गांव-देहात में सवर्ण-सामंतों के खेतों में काम करने के बजाय दलित शहरों में मजदूरी करना ज्यादा पसंद करता है। ऐसे में उच्च वर्ग के लोगों को यह बुरा लगता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आश्रित रहने वाला आज हमारे बराबर खड़ा होने की कोशिश कैसे कर रहा है। संविधान में सबको बराबरी का अधिकार मिला है। कानून की नजरों में सब एक समान हैं, सवर्ण इस विचार से आज भी सहमत नहीं होता है। अब चूंकि दलित और महिला हमेशा सवर्णों और पुरुषों के सामने कमतर माने जाते रहे हैं, ऐसे में वह दलितों को बराबरी करते देख बौखला जाते हैं। बिना किसी वाजिब कारण के वे आज भी अपनी जायज-नाजायज मांगों को दलितों से पूरा कराना चाहते हैं। लेकिन समय के साथ आए बदलावों ने दलितों के भीतर नई चेतना का संचार किया है। अब दलित चुपचाप उत्पीड़न को सहने और गांव-घर में ही निपटाने की बजाय थाने और अदालत का रुख करता है। दलितों के इस व्यवहार से सवर्ण-सामंती ताकतें और चिढ़ती हैं और दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ते जाते हैं। ऐसे में देश के तमाम हिस्सों में रोज दलितों के साथ हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं।

पिछले पांच वर्षों का आंकड़ा देखें तो दलितों और आदिवासियों पर हमले बढ़े हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले देश में दलित उत्पीड़न नहीं, बल्कि दलितों के हित में बने कानूनों के दुरुपयोग की चर्चा जोरों पर रही। देश भर में एक भ्रम रचा गया कि अब दलित कानून की आड़ में सवर्णों को बेवजह फंसाया जा रहा है। हाल में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, जिसमें एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग को रेखांकित करते हुए बदलाव किए गए थे। सर्वोच्च अदालत ने कुछ अहम दिशानिर्देशों तय किए थे जिससे दलित समुदाय के किसी व्यक्ति के साथ घटित आपराधिक घटना की जांच के बाद ही मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी की बात थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देशव्यापी विरोध हुआ और केंद्र सरकार ने कदम पीछे खींच लिए। अदालत के फैसले के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक संशोधन विधेयक लाकर एससी-एक्ट को पूर्व की स्थिति में ला दिया।

ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब देश में किसी दलित के साथ हुई आपराधिक घटना की शिकायत के बाद तुरंत एफआईआर और गिरफ्तारी का नियम है तो दलितों के साथ इतनी आपराधिक घटनाएं कैसे घट रही हैं। असली सवाल यही है। आश्चर्यजनक रूप से सत्य तो यह है कि दलितों के साथ हिंसा आदि के मामले में एफआइआर दर्ज होने का प्रतिशत बहुत ही कम है। यदि मामला दर्ज भी हो गया तो दबाव और कोर्ट-कचहरी में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से दोषी को सजा मिलने का आंकड़ा बहुत ही कम है। ऐसे में दलित-आदिवासियों के हित में कानून होने के बावजूद जमीनी स्तर पर उसके सही क्रियान्वयन न हो पाने के कारण दलितों-आदिवासियों और महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी नहीं आ रही है।

अंकों का मायाजाल

बृजमोहन आचार्य

दुनिया मेरे आगे

पिछले कुछ सालों के दौरान राज्यों के शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के सालाना परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर होती है कि सबसे ज्यादा नंबर कितने आए, किसके आए। कहीं खुशी तो कहीं गम देखने को मिलता है। हालांकि आज के इस दौर में सभी माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा उच्च अंक लाए ताकि आगामी कक्षाओं में प्रवेश के लिए दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए अभिभावक उन्हें शुरू से ही शिक्षा की दुकानों में यानी ऊंची फीस लूटने वाले कोचिंग संस्थानों में प्रवेश दिला कर निश्चिंत हो जाते हैं कि जब उनके बच्चे का परिणाम आएगा और उच्च अंक लाएगा तो समाज और परिवार में उनका नाम होगा। इसके बाद वे इस बात से बेफ्रिक हो जाते हैं कि कोचिंग संस्थान और वहां का वातावरण कैसा है और पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता क्या है। बस उच्च अंकों को लेकर यह बताने में कोई कमी नहीं रखी जाती है कि बच्चों ने कितने फीसद अंक लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की है।

जिन बच्चों के अच्छे अंक आए, उनके अभिभावकों ने उन्हें शाबासी भी दी और समाज या परिवार में बच्चे के अंकों को लेकर चर्चा भी की। लेकिन जो बच्चे मेहनत करने के बाद भी उच्च अंक हासिल नहीं कर सके, उनके अभिभावकों ने कोचिंग संस्थाओं को कम और अपने बच्चे को ज्यादा कोसना शुरू कर दिया। जबकि बच्चों की सीमा के साथ-साथ उन्हें पढ़ाने वालों की कमजोरी भी इसकी वजह हो सकती है। इसलिए अंक कम आने पर बच्चे को डांटना और किसी के सामने बुरा-भला कहना बेमानी है।

देश की राजधानी दिल्ली में एक बच्चे को दसवीं की परीक्षा में साठ फीसद अंक मिले थे। ये अंक आज के इस युग में कम माने जाते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होने के कारण पनचानबे प्रतिशत अंक ही सही माने जाते हैं। लेकिन उस बच्चे की मां ने इन अंकों को भी अच्छा माना। उन्होंने अपने बच्चे का हौसला बढ़ाते हुए लिखा कि 'मुझे साठ प्रतिशत अंक आने पर भी अपने बच्चे पर गर्व है, क्योंकि बच्चे ने अपनी मेहनत और संघर्ष में कोई कमी नहीं रखी; मैंने उसके संघर्ष को भी करीब से देखा है।'

लेकिन आज के इस दौर में उच्च अंक हासिल करने के लिए माता-पिता न जाने बच्चे पर कितना बोझ डाल देते हैं और उसे अलग-अलग विषयों के ट्यूशन के लिए घर से बाहर रखते हैं। ऐसे में वह इतना थक जाता है कि अपने स्तर पर पढ़ाई के लिए उसके पास समय ही नहीं बच पाता है। साथ ही उसे प्रश्न-पत्रों के अलावा परीक्षा का व्यावहारिक ज्ञान भी नहीं हो पाता है। उसका बचपन ट्यूशन, कोचिंग संस्थानों की पाठ्यक्रम पूरा कराने के नाम पर लूट और घर से बाहर रहने के चक्कर में ही गुम हो जाता है। इसके बाद भी अगर अच्छे अंक बच्चे के नहीं आते हैं तो कई बार कुछ बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। ये सभी कारण माता-पिता को नजर नहीं आते हैं।

सही है कि सभी माता-पिता चाहते हैं कि उनका चांद आसमान में चमके और उसकी रोशनी से फिजां रोशन हो, लेकिन इस चांद को बादलों के भार से इतना भी नहीं ढक देना चाहिए, जिससे उसकी चांदनी ही छिप जाए। साठ प्रतिशत अंक हासिल करने वाले बच्चे की मां ने अपने बच्चे के संघर्ष को देखा था। उसने समाज में यह संदेश दिया कि कोई भी बच्चा उच्च अंक लाने के लिए संघर्ष में कमी नहीं रखता है। आज हर माता-पिता को उस मां के संदेश को अंगीकार कर अपने बच्चे की मेहनत और संघर्ष को करीब से देखना होगा। तभी वह बच्चा बिना तनाव के पढ़ाई कर सकेगा। अन्यथा वह अंकों के मायाजाल में उलझ कर अपना सब कुछ लुटा देगा, उसका बचपन समाप्त हो जाएगा और किताब और ट्यूशन की दुनिया में उलझ कर बाहरी दुनिया से उसका मोहभंग हो जाएगा।

यह खबर ज्यादातर लोगों को याद होगी कि एक युवती पर पढ़ाई का बहुत बोझ डाला गया और उसकी रुचि के अनुसार विषय नहीं दिलाए गए थे तो उस युवती ने अपनी जिंदगी को ही समाप्त कर लिया था। उसने अपने अभिभावकों के नाम यह संदेश भी लिख दिया था कि उसकी छोटी बहन पर पढ़ाई का इतना दबाव नहीं डालें कि उसका बचपन कहीं गुम हो जाए। इसलिए अभिभावकों को भी यह सोचना होगा कि बच्चे पर पढ़ाई का अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाए। बच्चा बोझ से इतना न दब जाए कि आगे बढ़ भी नहीं सके। लेकिन भागमभाग की जिंदगी में अभिभावकों के पास समय का अभाव है और वे बच्चे को स्कूल से कोचिंग और कोचिंग से ट्यूशन के लिए भेजते रहते हैं, जिससे बच्चा अपने परिवार के साथ तो बैठ कर कुछ सीख ही नहीं पाता है। उसके सिर पर पढ़ाई का बोझ डाल कर उच्च अंक लाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इसी दबाव के नतीजे में कुछ बच्चे ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसका दुख माता-पिता को जीवन भर उठाना पड़ता है।

हादसों का सबक

यमुना एक्सप्रेस-वे एक बार फिर सुर्खियों में है। सुर्खियों की वजह कोई नई नहीं है। इस एक्सप्रेस-वे पर जानलेवा हादसे आम बात हो गए हैं। यातायात पुलिस निदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक यमुना एक्सप्रेस-वे पर इस साल जनवरी से जून 2019 तक 95 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 94 लोगों की मौत हुई और 120 लोग घायल हुए। इसी साल अप्रैल में सूचनाधिकार कानून के तहत मिली जानकारी से इस बात का खुलासा हुआ कि यमुना एक्सप्रेस-वे पर अगस्त, 2012 से 31 मार्च, 2018 के बीच कुल 4,956 दुर्घटनाएं हुईं जिनमें 718 लोगों की मौत हुई और 7,671 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।

यह जानकारी हासिल करने वाले सूचनाधिकार कार्यकर्ता व सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता केसी जैन का कहना है कि उन्होंने तेज ड्राइविंग के खतरों पर लगाम लगाने के लिए सरकारी एजेंसियों को लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके मुताबिक यमुना एक्सप्रेस-वे की गतिविधियों पर एक स्वतंत्र एजेंसी को निगरानी रखनी चाहिए और गति उल्लंघन के बारे में जेपी इंफोटेक से प्राप्त जानकारी भी साझा की जानी चाहिए। इस मार्ग पर ड्राइवर न केवल गति सीमा का उल्लंघन करते हैं, बल्कि बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के गाड़ियां चलाते हैं। स्वचालित निगरानी गैजेट और नंबर प्लेट रीडर द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि अगस्त 2012 से मार्च 2018 के बीच 2.33 करोड़ वाहनों ने गति सीमा का उल्लंघन किया लेकिन उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जाता है और वे आराम से बच निकलते हैं।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 23.42 प्रतिशत दुर्घटनाएं तेज गति और 12 प्रतिशत टायर फटने के कारण हुईं। इसके अलावा ओवर टेकिंग (15 फीसद), नींद का आना (दस फीसद) और बीच रास्ते में खड़े वाहन (5 फीसद) हादसे की प्रमुख वजह हैं। एक्सप्रेस-वे पर सड़क हादसों को लेकर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने भी एक रिपोर्ट तैयार की थी और कुछ उपाय सुझाए थे लेकिन उन्हें आज तक अमल में नहीं लाया जा सका है। इनमें सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने, रास्ते में जगह-जगह छोटे स्पीड ब्रेकर लगाने की भी बात कही गई थी, जिससे वाहन चलाने वाला चौकन्ना रहे और गति ज्यादा न रख सकें।

इसके साथ ही अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की तरह टायरों के निर्माण में रबड़ के साथ सिलिकॉन डाला जाना चाहिए। इससे अधिक गति पर टायर का तापमान बढ़ने से उसके फटने की शिकायतें कम हो सकती है। साथ ही टायरों में नाइट्रोजन भरनी चाहिए जिससे टायर ठंडा रहता है। इन दोनों बातों को यथाशीघ्र अनिवार्य बनाने पर विचार किया जाना चाहिए।

● *प्रियंबदा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश*

देशप्रेम

'वंदे मातरम' और 'भारत माता की जय' का नारा लगाना ही देशप्रेम नहीं है। अगर आप किसी गलत कार्य का विरोध करते हैं तो यह भी देशप्रेम है। बच्चे, महिलाएं और बूढ़े, जो फुटपाथ पर सोते हैं, उनके बारे में सोचते हैं तो यह भी देशप्रेम है। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं तो यह भी देशप्रेम है। हम देश हैं, आप देश हैं। जब हम अच्छे होंगे तो हमारा देश भी अच्छा होगा। आज हमारे देश में बलात्कार, भीड़ द्वारा हत्या, लूट, ठगी आदि अपराधों की खबरों से अखबारों की सुर्खियां भरी रहती हैं। इन अपराधों के विरोध में आवाज उठाना भी देशप्रेम है।

● *सैयद अहमद रजा, लखनऊ*

उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। सोलहवीं लोकसभा में भी इसे पेश किया गया था मगर चुनाव आ जाने के कारण यह स्वतः रद्द हो गया था। उम्मीद है कि इस बार इसे दोनों सदनों की मंजूरी मिल जाएगी। वैसे उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का प्रावधान लागू है। फिर भी, समय में बदलाव के साथ इसमें संशोधनों की सख्त आवश्यकता थी। खासकर तब जब अब लोगों का खरीद-फरोख्त करने का तरीका बदल गया है।

इंटरनेट आ जाने से लोग अब ऑनलाइन खरीदारी करने लगे हैं। इसमें बहुत सारे लोग ठगी का शिकार भी बन रहे हैं। लिहाजा, इस विधेयक में इस पर विशेष तवज्जो दी गई है। साथ ही, सबसे बड़ा बदलाव इसमें यह है कि प्रसिद्ध कलाकार या खिलाड़ी जिन वस्तुओं के विज्ञापन करते हैं, उन चीजों को लोग आंख बंद करके खरीदते हैं। इस बार उन कलाकारों या खिलाड़ियों को भी दंडित करने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी भ्रामक विज्ञापनों के जरिए आम लोगों को ठगा जा रहा है। आशा है, इस विधेयक के प्रभावी होते ही इन सब पर लगाम लग पाएगी।

● *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर*

सेल्फी का जुनून

जर्नल ऑफ फेमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर ने हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि अक्तूबर 2011 से नवंबर 2017 के बीच दुनिया भर में सेल्फी लेते समय 259 लोग अपनी जान गंवा बैठे। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सेल्फी लेने में सबसे आगे महिलाएं रहती हैं। हमारे देश में सेल्फी लेते हुए सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हुईं, जो विश्व में हुई कुल मौतों के आधे से भी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक सेल्फी शार्क से भी खतरनाक बन गई है। आज हमारे देश में जिस तरह सेल्फी के चक्कर में जान गंवाने वालों की तादाद बढ़ रही है, वह बहुत चिंताजनक है। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए दूसरों से उम्मीद रखना उचित नहीं है। सेल्फी का जुनून इतना भी अपने सिर क्या चढ़ाना कि जान की भी परवाह न की जाए!

सेल्फी जान पर भारी न पड़े इसके लिए सरकार, प्रशासन और समाज को एकजुट होकर प्रयास करने चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह खतरनाक या जोखिम वाली जगहों पर सेल्फी लेने पर भारी जुर्माने का प्रावधान करे। समाज को चाहिए कि वह ऐसी सेल्फियों को नजरअंदाज करे जो जान पर खेल कर ली गई हों। साथ ही इसकी शिकायत पुलिस को करें ताकि सेल्फी के चक्कर में किसी के घर का चिराग न बुझे।

● *राजेश कुमार चौहान, जालंधर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

कांवड़ मेला

उत्तराखंड के हरिद्वार में लगने वाला कांवड़ मेला गंगा जल की एक अनोखी यात्रा है। इस बार सुरक्षा तो चाकचौबंद रहेगी ही, साथ में श्रद्धालु शिवभक्त कांवड़ियों पर राज्य सरकार हेलिकॉप्टर से पुष्पवर्षा भी करेगी। कांवड़ मेला क्षेत्र में 16 स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इनमें 48 चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। साथ ही 20 फार्मासिस्ट और वार्ड ब्वॉय भी इन चिकित्सक शिविरों में तैनात रहेंगे।

फैलता शहर, डूबती सड़कें

मांडवी मिश्रा
चंडीगढ़।

चंडीगढ़ शहर का नाम सुनते ही एक नियोजित शहर का दृश्य आंखों के सामने आता है जहां अच्छी सड़कें, खूब हरियाली और मनमोहक मौसम होगा। पर इस शहर की एक त्रासदी यह है कि बारिश होते ही सड़कों पर जलभराव हो जाता है। शहर की एक और समस्या है पीने का पानी। जगह-जगह पर जल टैंकर खड़े दिखेंगे। पर ऐसा क्यों है?

ली कारबूजिए ने पांच लाख की आबादी के लिए जिस चंडीगढ़ का नक्शा बनाया गया था, वहां आज 10 लाख से भी अधिक लोग रह रहे हैं। जैसे-जैसे इस जनसंख्या को स्थान देने के लिए शहर और कंक्रीट में तब्दील हुआ, वैसे-वैसे भूजल स्तर कम होता चला गया और मानसून आते ही सड़कों पर पानी भरना एक आम बात हो गई।

चंडीगढ़ नगर निगम के आयुक्त केके यादव ने तो लोगों से बारिश में भरी सड़कों पर कम निकलने की अपील करते हुए यह तक कह दिया कि बारिश लोगों का कार्य समय देखकर नहीं आती है। उन्होंने जलमग्न सड़कों से बचते हुए, ट्रैफिक का रुख बदलने का भी सुझाव दिया जिससे असुविधा न हो। उनका यह भी कहना है कि वह और उनकी बाढ़ नियंत्रण टीम कार्यरत है और जहां कहीं भी पाइप लाइनों में रुकावट की दिक्कत है, उन पर काम किया जा रहा है।

इसके विपरीत आम लोगों सड़कों पर भरे पानी से बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कई सालों से चंडीगढ़ में कैब चला रहे भूपेंदर सिंह का कहना है कि उनके लिए यात्रियों को ले जाने में बड़ी परेशानी होती है। जाम लगने के कारण पहुंचने में देर हो जाती है।

चंडीगढ़ में छह जुलाई को हुई बारिश के दौरान खराब हो गई कार को धक्का देती एक महिला

जल निकास व्यवस्था में पाइप लाइनों की न सही पर चंडीगढ़ के तीन मुख्य चो (छोटा नाला)- सुखना चो, एन चो, व पटियाला की राओ चो को तो साफ रखने के लिए कदम उठाते हुए, उनका विस्तार कर उनकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसी विषय पर रोड डिवीजन 1 के कार्यकारी अभियंता अजय के गर्ग का कहना है कि जो एन-चो समेत अन्य चो हैं वे बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं जिससे पानी निकल नहीं पाता। जब तक एन चो अपने मौलिक आकार में वापस नहीं आएगा, भराव बढ़ेगा क्योंकि साल दर साल विभिन्न कारणों से उसका जलग्रहण क्षेत्र कम हो रहा है। बढ़ती आबादी के साथ संबंधित प्राधिकरण को चो की सफाई और क्षेत्रफल बढ़ाने की आवश्यकता है।

पूर्व मेयर रह चुके अरुण सूध ने पाइप लाइनों को साफ करने के लिए सुपरसक्शन मशीनों को उपयोग में लाने का सुझाव दिया। हालांकि इस बात का दावा जरूर किया जा रहा है कि पाइप लाइनों में रुकावटों का निरीक्षण किया जा चुका है और अधिकतर को साफ किया जा चुका है।

सेक्टर 17 बाजार में बारिश में फंसी अनुपमा कहती हैं कि सड़क पर पानी भरने से घर के बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।

चंडीगढ़ में गहरे जलदायी स्तर से पानी की खपत उसके पुनर्भरण से कहीं ज्यादा है। नगर निगम चंडीगढ़ की वेबसाइट के अनुसार शहर में पानी की अधिकतम मांग लगभग 950 लाख गैलन प्रतिदिन है जबकि मात्र 640 लाख गैलन प्रतिदिन ही उपलब्ध है। चौथे चरण के का काम के पूरा हो जाने पर भी 785 लाख गैलन प्रतिदिन ही मुहैया कराया जा सकेगा।

नगर निगम के मेयर राजेश कुमार कालिया ने बताया कि शहर के बुनियादी नक्शे में पाइप की क्षमता कम होने के कारण वह भारी बारिश के पानी को अंदर ले नहीं सकती। हम कई शहरों में बाढ़ की स्थिति देखते हैं, उनकी तुलना में चंडीगढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने माना की जब चंडीगढ़ बना था तबसे ये पाइप नहीं बदले गए हैं। यहां आबादी भी कई गुना बढ़ गई है और लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे का वे स्वयं संज्ञान लेंगे।

शहर का मास्टर प्लान

चंडीगढ़ सरकार की वेबसाइट पर 2015 में साझा किए गए 'चंडीगढ़ मास्टर प्लान-2031' में पानी के भराव के निम्नलिखित कारण दिए गए हैं-

- 910 मिमी वार्षिक बरसात वाले शहर की जलनिकास व्यवस्था की बनावट मात्र 12 मिमी प्रति घंटा अधिक वर्षा की क्षमता रखती है।
- शहरीकरण के कारण, एन-चो सिमटती जा रही है।
- प्रदूषण से खुले नालों व चो में कचरा व मलबा डालना
- अव्यवस्थित रूप से सर्विस लाइनों व सड़कों का निर्माण
- आवासीय परियोजनाओं के लिए जलधाराओं के प्राकृतिक मार्ग में परिवर्तन।

यह बात विचार करने योग्य है कि चार वर्षों में क्या इन मुद्दों पर कार्य हुआ है?

मंद पड़े ऑटो बाजार में उतरी इलेक्ट्रिक कार

आशीष दुबे
ग्रेटर नोएडा

मंद पड़े भारतीय ऑटो बाजार में अब इलेक्ट्रिक कारें नई उड़ान भरने को तैयार हैं और इसी कड़ी में देश की पहली पूर्ण इलेक्ट्रिक कार से पर्दा उठ चुका है। कार बनाने वाली ह्यूंडई कंपनी ने मंगलवार को एसयूवी-कोना इलेक्ट्रिक को लांच किया। यमुना एक्सप्रेस-वे स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के सभागार में कोना इलेक्ट्रिक के दीदार के लिए ऑटोमोबाइल जानकार समेत कंपनी के डीलर बेताब रहे। पूरी तरह चार्ज होने पर 452 किलोमीटर तक चलने वाली कोना इलेक्ट्रिक की कीमत 25 लाख 30 हजार रुपए रखी गई है, जो एक्स शोरूम कीमत बताई जा रही है। पर्यावरण के अनुकूल कोना इलेक्ट्रिक का नाम विशाल हवाई द्वीप के पश्चिम तटीय क्षेत्र के नाम पर रखा गया है।

कोना क्षेत्र खिलाड़ियों और रोमांच की चाहत रकने वाले पर्यटकों के लिए बेहद लोकप्रिय है। यहीं छवि इस पर्यावरणीय अनुकूल इलेक्ट्रिक एसयूवी को अलग पहचान देती है। उन्नत लिथियम आयन बैटरी युक्त एसयूवी 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार महज 9.7 सेकेंड में हासिल कर लेती है। कार को पूरी तरह चार्ज होने में 6 घंटे 10 मिनट का समय लगता है, जबकि इसे डीसी चार्ज से 80 फीसद केवल 57 मिनट में किया जा सकता है। कंपनी की योजना इस कार को सभी राज्यों में बेचने की है।

ह्यूंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के एमडी व सीईओ ने कहा स्वच्छ एवं एक दूसरे से जुड़ा भारत एक नए युग में कदम रख रहा है। हम सरकार के शेयर्ड, कनेक्टेड और स्वच्छ यातायात माध्यम के लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध हैं। उनका कहना है कि कोना इलेक्ट्रिक को दुनिया भर में प्रशंसा मिली है और यह भारतीय बाजार के लिए सबसे अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहन साबित होगी, जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की उन्नत तकनीक के साथ एसयूवी मॉडल की मजबूती दिखाती है। कंपनी ने कुछ चुनिंदा शहर दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु और चेन्नई में ग्राहकों को आपातकालीन चार्जिंग मदद के लिए विशेष व्यवस्था की है। गाड़ी में सवार यात्रियों को जानकारी देने और मनोरंजन के लिए कोना इलेक्ट्रिक में यूजर फ्रेंडली फंक्शंस के साथ बेहतरीन व उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जिनमें एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी शामिल है।

चार्ज करने के हैं दो विकल्प

कार के साथ दो चार्जर हैं, एक पोर्टेबल चार्जर और एक एसी वाल बॉक्स चार्जर। पोर्टेबल चार्जर को किसी भी सामान्य तीन पिन 15 एंपियर सॉकेट में लगाकर चार्ज किया जा सकता है। इस चार्जर की मदद से गाड़ी को तीन घंटे से कम समय में 50 किलोमीटर तक के सफर के लिए चार्ज किया जा सकता है। वहीं, एससी वाल बॉक्स चार्जर (7.2 किलोवाट) की मदद से गाड़ी को एक घंटे में 50 किलोमीटर तक के सफर के लिए चार्ज किया जा सकता है।

ग्राहकों के घर पर लगेंगे सॉकेट

डीलर ग्राहकों के घर सॉकेट लगाने में मदद करेंगे। साथ ही उन्हें चार्जिंग का प्रयोग (डेमो) भी दिखाएंगे, जिसके लिए कंपनी ने इंस्टालेशन के लिए एक अन्य कंपनी से करार किया है। जो इंस्टालेशन के लिए सर्वे एवं परामर्श देगी। सर्वे में घर के प्रकार और बिजली कनेक्शन के प्रकार, जरूरत पड़ने पर बिजली वितरण व्यवस्था में बदलाव समेत अन्य बिंदुओं पर जानकारी जुटाई जाएगी। वहीं, चार्जिंग की सुविधा के लिए हयूंडई ने मैप माय इंडिया से हाथ मिलाया है। जिसमें ग्राहकों को कोना इलेक्ट्रिक के लिए उपयुक्त चार्जिंग स्टेशन की जानकारी वेबसाइट व मोबाइल एप पर मिल सकेगी। खरीदारों को आकर्षित करने के लिए हाई वोल्टेज बैट्री पर आठ साल और 1.60 लाख किलोमीटर की वारंटी देने की घोषणा की है।

उत्तर प्रदेश

अंक नहीं आत्मविश्वास रखता है मायने

गजेंद्र सिंह
नई दिल्ली।

दिल्ली

पालतू जानवरों की सेहत और उनकी जीवनशैली भी कॅरिअर का हिस्सा हो सकता है। आज का समय उन युवाओं का है जो बने-बनाए ढर्रे से निकल दुनिया को अपने नजरिए से देखते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही उत्साही उद्यमी हैं गरिमा कौशल।

पढ़ाई के दौरान नंबरों से ज्यादा कक्षा में सिखाई गई बातों की अहमियत बताने वालीं गरिमा कौशल आइआइएम अमदाबाद से पढ़ाई के बाद अब अपना काम कर रही हैं। सीबीएसई बारहवीं में 2010 में 96 फीसद अंकों के साथ टॉपर रहीं गरिमा ने पालतू जानवरों की सेहत और उनकी जीवनशैली की देखभाल के संबंध में एक ऐप जारी किया है। गरिमा कहती हैं कि उनके लिए परीक्षा में आए नंबर कॅरिअर को एक राह दिखाती भी हैं और नहीं भी। वे कहती हैं कि यह अंकपत्र आगे के जीवन में सफलता को तय नहीं करता है।

चंडीगढ़ के कैरमल कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ीं गरिमा ने अर्थशास्त्र में स्नातक श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली से और एमबीए आइआइएम अमदाबाद से किया है। वे बताती हैं कि मेरे लिए अंक का महत्त्व श्रीराम कॉलेज और आइआइएम में दाखिला पाने तक ही सीमित रहा।

जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तो वही अंक उनके लिए दूसरे पायदान पर चले गए। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा जो महत्त्व रखता है वह यह है कि आपने अपनी कक्षा में क्या सीखा। गरिमा बताती हैं कि वे हमेशा टॉपर नहीं रहीं। श्रीराम कॉलेज और आइआइएम में पढ़ाई के दौरान वह शीर्ष चौथे स्थान पर रहीं थीं। उन्होंने कहा कि हालांकि उच्च शिक्षा के दौरान मैंने कभी परीक्षा और अंकों की चिंता नहीं की, मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई के बाद मुझे क्या करना है इस पर रहता था। गरिमा कहती हैं कि उनके हर फैसले में उनके माता-पिता ने उनका साथ दिया और वे जो आज कुछ भी हैं उसमें उनका अहम योगदान है।

गरिमा कौशल

गरिमा कौशल बताती हैं कि वे हमेशा से ही पढ़ाई के बाद व्यापार, मार्केटिंग और उद्यम को लेकर उत्साहित थीं। उन्होंने दो साल तक एक पेय पदार्थ कंपनी बडवाईजर में ब्रांड प्रबंधक के तौर पर काम किया। वह पढ़ाई करने वाले छात्रों से कहतीं हैं कि आप हमेशा सुनेंगे कि अच्छे अंक पाने से ही सबकुछ अच्छा होता है लेकिन यह पूरा सच नहीं है। आपको अपने आपको दोबारा से बनाना होगा और नई चीजें सीखनी होंगी।

वे कहती हैं कि शीर्ष बनने के लिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। अपने स्कूली जीवन के समय आपको नियमित पढ़ाई की जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही खेल और अन्य क्रियाकलाप भी आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। गरिमा कौशल की अंतिम नौकरी बडवाईजर के साथ थी जिसमें उनका बहुत ही शानदार अनुभव रहा। वे बताती हैं कि अब आगे उन्हें पालतू पशुओं की देखभाल के लिए अपना स्टार्ट-अप शुरू करना है।

युवाओं को गरिमा कहना चाहती हैं कि अपने आप को जितना समझ सकते हैं उतना समझें, जीवन में सफल होने के लिए खुद का जागरूक होना बहुत जरूरी है।

तीन करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों के पहुंचने की उम्मीद

सुनील दत्त पांडे
देहरादून।

इस बार 17 जुलाई गुरु पूर्णिमा से शुरू होने वाले 15 दिवसीय कांवड़ मेले की तैयारियों के लिए उत्तराखंड प्रशासन ने कमर कस ली है। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ का यात्रामार्ग परिवर्तित रहेगा। केदारनाथ और बदरीनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों को मुजफ्फरनगर से बिजनौर, कोटद्वार, पौड़ी, श्रीनगर होकर जाना पड़ेगा। जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं को सहारनपुर से विकासनगर होते हुए इन दो धामों में पहुंचना होगा।

कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी, आयुक्त गढ़वाल मंडल दिलीप जावलकर, पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंज्याल से लेकर हरिद्वार के जिलाधिकारी दीपेंद्र चौधरी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खंडूड़ी बैठकों के कई दौर कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के पुलिस प्रशासन के उच्चाधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। इस बार प्रशासन को उम्मीद है कि तीन करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार पहुंचेंगे।

सुरक्षा के साथ श्रद्धालु शिवभक्त कांवड़ियों पर राज्य सरकार कांवड़ मेले को यादगार बनाने के लिए हेलिकॉप्टर से पुष्पवर्षा भी करेगी। कांवड़ मेला क्षेत्र में 16 स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इनमें 48 चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। साथ ही 20 फार्मासिस्ट और वार्ड ब्वॉय भी इन चिकित्सक शिविरों में तैनात रहेंगे।

पांच तरह की होती है कांवड़

कांवड़ मेला गंगा जल की एक अनोखी यात्रा है। कांवड़िए सैकड़ों मील का सफर तय कर जिस कांवड में गंगा जल भरकर अपने गंतव्य तक ले जाते हैं, वह कांवड पांच तरह की होती है। पहली खड़ी कांवड़, दूसरी झूला कांवड़, तीसरी बैठी कांवड़, चौथी बैकुंठ कांवड़ व पांचवीं डाक कांवड़।

खड़ी कांवड़ को कांवड़िए साथी कांवड़ियों के कंधे पर रखते हैं और उनका साथी कांवड़ को लेकर तब तक खड़ा रहता है, जब तक वह अपने साथी कांवड़िए को यह कांवड़ नहीं सौंप देता। झूला कांवड़ को कांवड़ियां पेड़ या अन्य किसी जगह लटका सकता है। बैठी कांवड़ को कांवड़ियां जमीन पर भी रख सकता है। बैकुंठ कांवड़ को कांवड़िया कभी भी रख सकता है। डाक कांवड़ वाहनों के जरिए निर्धारित समय में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जानी चाहिए।

खजाना

कांवड़िए कांवड़ में जिस पात्र में जल भरकर ले जाते हैं उसे वे 'खजाना' कहते हैं। क्योंकि यह गंगाजल उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं होता है। इस गंगाजल से वे अपने गांवों के शिवालयों में शिव का जलाभिषेक करते हैं।

उत्तराखंड

कांवड़ियों और स्थानीय निवासियों को किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए इस बार कांवड़ मेला क्षेत्र में विशेष सुविधाएं दी गई हैं। कांवड़ियों पर हेलिकॉप्टर से पुष्पवर्षा की जाएगी। कांवड़ियों को प्लास्टिक की बोतलों की जगह गंगाजल ले जाने के लिए स्टील, पीतल और तांबे के पात्र खरीदने होंगे।

-सतपाल महाराज, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री

इस बार तीन करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों के आने की संभावना हैं। 15-20 सालों से हर साल कांवड़ियों की तादाद बढ़ रही है। 2011 में कांवड़ियों की तादाद डेढ़ करोड़ थी। पिछले साल 2018 में लगभग ढाई करोड़ कांवड़िए हरिद्वार आए। कांवड़ियों के लाठी, डंडे, हॉकी, त्रिशूल ले जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है।

-जन्मेजय खंडूड़ी, हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

कांवड़ मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

-दीपेंद्र चौधरी, हरिद्वार के जिलाधिकारी

कांवड़ मेला क्षेत्र में सफाई व्यवस्था 24 घंटे होगी। सात फुट से ऊंची कांवड़ पर पाबंदी लगाई जाएगी। ट्रेन की छतों पर यात्रा करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है।

-नुपूर वर्मा, नगर आयुक्त, हरिद्वार नगर निगम

मानहानि मामले में गुजरात की दो अदालतों ने राहुल को समन जारी किए

अमदाबाद, 9 जुलाई (भाषा)।

गुजरात की दो अदालतों ने भाजपा नेताओं द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायतों पर मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी किए।

भाजपा नेताओं ने शिकायतें दायर कर राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कथित तौर पर हत्या का आरोपी बताया था। सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएच कपाड़िया ने राहुल को 16 जुलाई को पेश होने के लिए जबकि अमदाबाद की अदालत ने कांग्रेस नेता को नौ अगस्त को पेश होने के आदेश दिए।

सूरत की अदालत मंगलवार को भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की शिकायत पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता ने लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान दिए अपने बयान से पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है। पूर्णेश मोदी सूरत-पश्चिम से विधायक हैं। अमदाबाद में, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डीएस डाभी ने राहुल को फिर से समन जारी किया। इससे पहले एक मई को जारी समन वापस आ गया था। यह समन लोकसभा अध्यक्ष के जरिए भेजा गया था क्योंकि राहुल संसद सदस्य हैं।

शिकायतकर्ता के वकील प्रकाश पटेल ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने समन यह कहते हुए वापस भेज दिया कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। राहुल से नौ अगस्त को पेश होने के लिए कहने वाले नए समन को सीधे कांग्रेसी नेता के नई दिल्ली स्थित आवास पर भेजा जाएगा। इससे पहले अदालत ने कहा था कि राहुल के खिलाफ पहली नजर में भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला बनता है।

स्थानीय भाजपा पार्षद कृष्णवादन ब्रह्मभट्ट ने आरोप लगाया है कि राहुल ने 23 अप्रैल को जबलपुर में एक चुनावी रैली में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। ब्रह्मभट्ट ने कहा कि राहुल की टिप्पणी मानहानिपूर्ण है क्योंकि शाह को सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में 2015 में सीबीआई अदालत बरी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि न तो हाई कोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट ने शाह को बरी किए जाने को चुनौती वाली याचिका स्वीकार की थी।

गाने में अश्लीलता का आरोप, हनी सिंह पर मामला दर्ज

पेज 1 का बाकी

कहा था कि उनके गाने में महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया है। पंजाब के मोहाली जिले के मटौर थाने में यह मामला दर्ज किया गया है।

मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरचरण सिंह भुल्लर ने बताया कि सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (अश्लील कृत्य और गानों के लिए दंड) और धारा 509 (किसी स्त्री की लज्जाभंग करने के आशय से कोई शब्द कहना, भंगिमा बनाना और कार्य करना) लगाई गई हैं। इसके अलावा सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की उचित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

इससे पहले आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी ने इस बारे में राज्य के गृह सचिव को सूचित किया था। गुलाटी ने बताया कि पुलिस को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक शब्दों वाले गीत को राज्य में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। राज्य महिला आयोग ने पुलिस से इस मामले में 12 जुलाई तक स्थिति रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है।

अवैध रोहिंग्या पर केंद्र के निर्णय के खिलाफ

सुप्रीम कोर्ट अगले महीने करेगी सुनवाई

नई दिल्ली, 9 जुलाई (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अवैध रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यामां भेजने के केंद्र के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगस्त में अंतिम सुनवाई की जाएगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के खंडपीठ ने संबंधित पक्षकारों के वकीलों से कहा कि इस बीच वे अपनी लिखित दलीलें पेश करें।

शीर्ष अदालत में 40,000 से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने के सरकार के निर्णय के समर्थन में दायर याचिकाएं भी हैं। ये रोहिंग्या मुसलमान म्यामां के पश्चिमी रखाइन प्रांत में हिंसा भड़कने के बाद भाग कर भारत आ गए थे और इस समय जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में बसे हैं। पीठ ने कहा कि इन याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई की तारीख रजिस्ट्री शीघ्र ही अधिसूचित करेगी।

शुरू में शरणार्थियों के संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग में पंजीकृत दो रोहिंग्या शरणार्थियों- मोहम्मद सलीमुल्ला और मोहम्मद शाकिर-ने केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए 2017 में शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कंवेन्शंस के उल्लंघन सहित कई आधारों पर रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार के इस निर्णय से संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रदत्त समता के अधिकार और अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और अनुच्छेद 51 (सी) का उल्लंघन होता है।

इस याचिका में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इस बीच, जफर उल्लाह नामक व्यक्ति ने एक और याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया कि हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में उनके शरणार्थी शिविरों की स्थिति अच्छी नहीं है। केंद्र ने रोहिंग्या शिविरों में सुविधाओं के लिए गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तिगत याचिकाओं की मंशा पर सवाल उठाया था और स्पष्ट किया था कि स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के मामले में भारतीयों और दूसरे नागरिकों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है।

कर्नाटक पर राहुल ने की नारेबाजी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

कर्नाटक में कांग्रेस व जनता दल (सेकु) के 13 विधायकों के इस्तीफे के बाद से सूबे में जारी सियासी घटनाक्रम को लेकर मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया और पार्टी सांसदों ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों का शिकार करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके सांसद राहुल गांधी भी सदन में अपने स्थान से बैठे बैठे नारेबाजी करते देखे गए। यह पहला मौका था जब 17वीं लोकसभा में राहुल गांधी ने नारेबाजी की। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कर्नाटक में जारी सियासी घटनाक्रम का मुद्दा उठाया और केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी पर राज्य में कांग्रेस सदस्यों का शिकार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिकार की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि कांग्रेस के सदस्यों को कल भी इस विषय को उठाने का मौका दिया गया था। इस बारे में कार्य स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है। उनकी इस व्यवस्था पर कांग्रेस सदस्य अपने स्थान से ही नारेबाजी करने लगे।

कुछ देर बाद कांग्रेस सदस्य आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे।

गांधी जयंती से पटेल जयंती तक पदयात्रा करें भाजपा सांसद

पेज 1 का बाकी

विधायक, कार्यकर्ता सभी शामिल होंगे। इस तरह से सभी रोज 15 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और सभी बूथ कवर करेंगे। प्रत्येक क्षेत्र में 15-20 टीमों का गठन किया जाएगा।

राज्यसभा सांसदों को भी संसदीय क्षेत्र आवंटित किया जाएगा। पदयात्रा के माध्यम से संसद के सदस्य गांधी जी के विचारों, उनकी शिक्षाओं का प्रचार करेंगे और पौधरोपण करेंगे। पार्टी स्तर की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो इन कार्यक्रमों को अमल में लाएगी।

संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि इस पदयात्रा का मुख्य जोर गांव गांव पर होना चाहिए। इसके अलावा अधिक से अधिक लोगों से संवाद स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका मकसद लोगों से संपर्क कर-के सरकार के कार्यों के बारे में उनका विचार जानना और यह पता लगाना है कि लोगों की उम्मीदें क्या हैं।

भाजपा संसदीय पार्टी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और धर्मेंद्र प्रधान सहित पार्टी सांसदों ने हिस्सा लिया।

पर्दे के पीछे चल रही बैठकों पर द्विवेदी ने उठाए सवाल

पेज 1 का बाकी

सिंह द्वारा कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक बुलाने की मांग के बाद मंगलवार को पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी ने भी नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए पर्दे के पीछे चल रही बैठकों को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने जानना चाहा है कि आखिर किसकी मंजूरी से इन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सोमेन मित्रा ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा सौंपा है। हालांकि राज्य में पार्टी के प्रभारी गौरव गोगोई ने मित्रा का इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और उनसे पद पर बने रहने का आग्रह किया है।

तकनीकी रूप से राहुल गांधी को अभी भी कांग्रेस अध्यक्ष करार देते हुए कांग्रेस के पूर्व संगठन महासचिव द्विवेदी ने कहा कि उन्हें नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक समिति का गठन करना चाहिए। राजधानी में संवाददाताओं से बातचीत में द्विवेदी ने कहा कि इस्तीफा देने से पहले राहुल को अगले अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कोई व्यवस्था बनानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अनौपचारिक चर्चा कर रहे पैनल की विश्वसनीयता और अधिक होगी, अगर उसका गठन औपचारिक रूप से किया जाता है। उन्होंने कहा कि गांधी द्वारा समिति का गठन करने के बाद इसे अपने कांग्रेस अध्यक्ष का नाम तय करने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ चर्चा करनी चाहिए।

द्विवेदी ने कहा, राहुल गांधी का इस्तीफा आदर्श स्थापित करता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अध्यक्ष इस्तीफा देता है और बाकी पार्टी जस-की-तस चलती रहती है। जो लोग जिम्मेदार पदों पर हैं, उन्हें राहुल की बातों का पालन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज समन्वय समिति के नाम पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है जबकि यह समिति अस्तित्व में ही नहीं है।

द्विवेदी ने कहा कि उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की थी, तब कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बात से किनारा कर लिया। बाद में जब मोदी सरकार 10 फीसद आरक्षण लेकर आई, तो सभी पार्टियां मौन हो गईं। उन्होंने कहा कि भारतीयता और भगवाकरण को लेकर मेरे विचार से पार्टी सहमत नहीं थी। राहुल के फैसले का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक आप छोड़ेंगे नहीं पाएंगे नहीं। महात्मा गांधी, बिनोबा भावे चाहते तो क्या नहीं बन सकते थे! मैं आज इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि पांच साल पहले पार्टी में ये बातें चली थी कि नए लोग जिम्मेदारी लें और बुजुर्ग दूसरी जिम्मेदारी देखें।

19 राज्यों में सीबीआइ के छापे

पेज 1 का बाकी

आरोपियों के खिलाफ चलाया गया था। मंगलवार को दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओड़ीशा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में छापे मारे गए। इनमें दिल्ली के अलावा भरतपुर, मुंबई, चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, पुणे, जयपुर, गोवा, कानपुर, रायपुर, हैदराबाद, मदुरै, कोलकाता, रांची, बोकारो और लखनऊ और अन्य शहर शामिल हैं। इससे पहले सीबीआइ ने दो जुलाई को 18 शहरों में 50 जगहों पर छापे मारे थे। गौरतलब है कि छह जुलाई को सीबीआइ ने बर्खास्त आयकर आयुक्त संजय कुमार श्रीवास्तव के नोएडा स्थित आवास और कार्यालय पर छापेमारी की थी। सरकार ने हाल में उन्हें बर्खास्त कर दिया था। ठगी, धोखाधड़ी और अनुचित लाभ हासिल करने के आरोप में श्रीवास्तव के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बाद छापे मारे गए थे। सीबीआइ ने दो जुलाई को देश भर में कथित बैंक धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया था, जिसके तहत 640 करोड़ रुपए के घपले के संबंध में 14 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे।

देहरादून से जनसत्ता संवाददाता के मुताबिक, सीबीआइ ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के निलंबित मुख्य शाखा प्रबंधक सुजीत लोहानी के हरिद्वार स्थित आवास पर छापेमारी की। घंटों तक सीबीआइ के अधिकारियों ने इस निलंबित बैंक अधिकारी के घर को खंगाला और महत्त्वपूर्ण दस्तावेज लेकर टीम यहां से मुख्यालय रवाना हो गई। सुजीत लोहानी के खिलाफ सीबीआइ ने एक ऋण घोटाले के मामले में मुकदमा भी दर्ज कर रखा है। सहारनपुर से 'जनसत्ता' के मुताबिक, सीबीआइ टीम ने नगर के थाना सदर बाजार साथ सिटी स्थित कारोबारी सौरभ गुप्ता के आवास पर छापेमारी की। मायावती के शासन काल में बेची गई 11 चीनी निगम के मिलों में से एक मिल सौरभ गुप्ता और उनके पिता ने पूर्व विधान पार्षद इकबाल के साथ मिल कर खरीदी थी। सीबीआइ अब इस मामले की जांच कर रही है। चीनी मिल खरीदने वालों में इकबाल के दो बेटे शावेज और वाजिद के भी नाम हैं और उनके कर्मचारी नसीम का भी नाम है। डीआइजी उपेंद्र अग्रवाल ने जांच की पुष्टि की है।

आइएमए पोंजी घोटाला मामले में एसआइटी ने कांग्रेस के निलंबित विधायक बेग को नोटिस दिया

बंगलुरु, 9 जुलाई (भाषा)।

आइएमए समूह से जुड़े कथित पोंजी घोटाला मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआइटी) ने मंगलवार को कांग्रेस के निलंबित विधायक रोशन बेग को एक नोटिस दिया और उनसे गुरुवार को उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा। शिवाजीनगर से विधायक बेग के विधानसभा से इस्तीफा देने के कुछ घंटों के बाद यह घटनाक्रम हुआ। बेग को उनकी कथित पार्टी-विरोधी गतिविधियों के लिए कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था।

एसआइटी के एक जांच अधिकारी ने कहा, 'हां, हमने एक नोटिस दिया है।' पोंजी योजना को चलाने वाला और आइएमए का मालिक मोहम्मद मंसूर खान एक ऑडियो संदेश में बेग पर उससे 400 करोड़ रुपए लेने और इस धनराशि को वापस नहीं करने का आरोप लगाया था। बेग ने इन आरोपों का खंडन करते हुए इसे निराधार बताया था। हजारों निवेशकों, ज्यादातर मुसलिमों से करोड़ों रुपए की राशि ठगने वाला खान पिछले महीने फरार हो गया था।

कर्नाटक के साथ-साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और यहां तक कि दिल्ली के लोगों ने भी इनके जाल में फंसकर इस पोंजी योजना में अपनी धनराशि निवेश की थी। एसआइटी ने इस घोटाले के संबंध में बंगलुरु शहरी जिले के उपायुक्त बीएम विजय शंकर और बंगलुरु उत्तर उप-मंडल के सहायक आयुक्त एल सी नागराज समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। एसआइटी ने पूर्व में आइएमए के कई शोरूम में छापेमारी की थी और नकदी, सोना, चांदी, मूल्यवान रत्न और महंगे इत्र बरामद किए थे।

तेलंगाना वन अधिकारी पर खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज

हैदराबाद, 9 जुलाई (भाषा)।

तेलंगाना में एक महिला वन रेंज अधिकारी के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। एक लड़के ने पुलिस में शिकायत की थी कि वन अधिकारियों ने उनके खेतों में घुसकर उसके पिता को अपशब्द कहे थे, जिसके बाद उसके पिता ने अपनी जान देने की कोशिश की।

कागजनगर की एफआरओ सी अनीता के खिलाफ यह दूसरा मामला है। छह जुलाई को अनीता और कुछ अन्य वन अधिकारियों के खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। एक आदिवासी महिला ने पुलिस को शिकायत की थी कि वह और उनका स्टाफ उनके खेतों में आया और उनमें से कुछ ने अपशब्द कहे।

तीस जून के दिन आदिवासी महिला ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। उसी दिन अनीता पर आसिफाबाद जिले के कुमुराम भीम से सत्तारूढ़ टीआरएस विधायक के भाई की कथित अगुवाई वाली भीड़ ने हमला किया था और उन्हें जख्मी कर दिया था।

पुलिस ने कहा कि टीआरएस नेता के कृष्ण राव और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अनीता को 'खतरे की धारणा' के मद्देनजर सुरक्षा मुहैया कराई गई है।

पुलिस ने बताया कि आठ जून को, 16 साल के लड़के ने ईसगांव पुलिस को शिकायत की कि पौधारोपण अभियान के दौरान कुछ वन अधिकारी सरासला गांव में उसकी कृषि भूमि में घुसे और उसके पिता को अपशब्द कहे, जिसके बाद उसके पिता ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की।

पुलिस ने बताया कि अनीता और तीन अन्य अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाने) और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कागजनगर के मंडलीय वन अधिकारी एम राजा रमन रेड्डी ने बताया कि एफआरओ और रेंज स्टाफ इलाके में जंगली घास साफ कराने के लिए गया था और कुछ ग्रामीणों ने उन्हें रोका तथा उनपर हमला करने की कोशिश की।

उन्होंने दावा किया कि भीड़ ने यह अफवाह फैला दी कि व्यक्ति ने कीटनाशक पी लिया है लेकिन वह ठीक था। उन्होंने शिकायत को फर्जी करार दिया और कहा कि व्यक्ति आदिवासी नहीं है और पिछड़ा वर्ग समुदाय से ताल्लुक रखता है और जिस जमीन पर पौधरोपण का काम हुआ था, वह वन क्षेत्र है। कुछ गैर आदिवासी लोगों ने उसपर अतिक्रमण कर लिया है।

नौ विधायकों के इस्तीफे तय प्रारूप में नहीं : विधानसभाध्यक्ष

पेज 1 का बाकी

14 विधायकों ने अपने इस्तीफे दिए हैं, उनमें एसटी सोमशेखर, मुनिरत्ना, बीए बसवराज, प्रताप गौड़ा पाटील, बीसी पाटील, रमेश जरकिहोली, ए शिवराम हेब्बर, महेश कुमातली, रामलिंगा रेड्डी, आनंद सिंह और आर रोशन बेग (सभी कांग्रेस) और गोपालैया, नारायण गौड़ा, अडागुर एच विश्वनाथ (सभी जेडी सेकु) से हैं।

बागी विधायकों ने सोमवार की रात को उपनगर मुंबई के होटल से रवाना होने के बाद इन विधायकों के ठिकानों पर अटकलें तेज हो गई थीं। वे पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा से पश्चिम महानगर लौट आए। उनमें से कुछ के बंगलुरु में होने की खबर है।

कांग्रेस के बागी नेता की बेटी सौम्या रेड्डी समेत कुछ और विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेता रामलिंगा रेड्डी के असंतुष्ट विधायकों के खेमे में शामिल होने की संभावना संबंधी रिपोर्टों के बीच संकट को समाप्त करने में मदद के लिए कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं गुलाम नबी आजाद और बी के हरिप्रसाद को बंगलुरु के लिए भेजा है। सूत्रों ने बताया कि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के केंद्रीय नेताओं से सरकार को बचाने के लिए कोई रास्ता निकालने को कहा है।

इससे पहले कांग्रेसी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष कुमार से मुलाकात की थी और उनसे दलबदल विरोधी कानून के तहत बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की। गठबंधन के 13 विधायकों के शनिवार को इस्तीफे के बाद उपजे संकट से निपटने के लिए मंगलवार को यहां कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया था कि जिन बागी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग करेगी।

कांग्रेस-जद (सेकु) गठबंधन सरकार के सभी मंत्रियों ने सोमवार को इस्तीफे देकर असंतुष्ट विधायकों को शामिल करने के लिए मंत्रिमंडल में फेरबदल का मार्ग प्रशस्त किया था। इस बीच, शिवाजीनगर से कांग्रेस के विधायक आर रोशन बेग ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बेग को कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए हाल में ही निलंबित किया गया था।

बागी विधायक कांग्रेस की ओर से उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के लिए उठाए गए कदम से बेपरवाह नजर आए और उन्होंने कहा कि इस्तीफे वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस विधायक एसटी सोमशेखर ने पत्रकारों से कहा, 'इस्तीफा वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता है। हमने स्वेच्छा से इस्तीफे दिए हैं और हम किसी पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं हैं।'

दो अन्य बागी विधायकों रमेश जारकिहोली और बी बासवराज ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए। 224 सदस्यीय विधानसभा में दो निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ भाजपा के पास 107 विधायक हैं जबकि बहुमत का आंकड़ा 113 है। अगर इन 14 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए जाते हैं तो कांग्रेस-जद (सेकु) गठबंधन का समर्थन करने वाले विधायकों की संख्या घटकर 102 हो जाएगी। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष का भी एक वोट है। भाजपा ने विधायकों के इस्तीफे देने के मामले में उसकी संलिप्तता के आरोपों को खारिज किया है।

भाजपा का दावा है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस-जद (सेकु) के 14 विधायकों के इस्तीफे के बाद कुमारस्वामी बहुमत खो चुके हैं। पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख बीएस येदियुरप्पा ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'मैंने अपने विधायकों से चर्चा की है और हमने बहुमत खो चुके मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के इस्तीफे की मांग को लेकर सुबह 11 बजे गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन करने का फैसला किया है।' सूत्रों के अनुसार, येदियुरप्पा के बुधवार को राजभवन में राज्यपाल वजूभाई वाला से मुलाकात करने की संभावना है।

स्टेट बैंक ने ब्याज दर में 0.05 फीसद कटौती की

पेज 1 का बाकी

फीसद कटौती की घोषणा कर दी। बैंक की यहां जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि नई दरें बुधवार से प्रभावी हो जाएंगी। चालू वित्त वर्ष में बैंक ने यह तीसरी कटौती की है। इससे पहले वह अप्रैल व मई में ब्याज दर में 0.05-0.05 फीसद कर चुका है। इस दौरान उसके आवास ऋण पर ब्याज दर में 0.20 फीसद की कमी आई है। देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक ने कहा कि एक वर्ष की अवधि के कर्ज पर सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) यानी कर्ज की न्यूनतम ब्याज दर को 0.05 फीसद घटाकर 8.40 फीसद कर दिया गया है। बैंक ने एक जुलाई से रेपो दर से जुड़े आवास ऋण उत्पाद पेश किया है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आम बजट पेश होने के बाद वित्त मंत्री के साथ होने वाले पारंपरिक बैठक के मौके पर पत्रकारों को कहा था कि रेपो दर में एक के बाद एक तीन बार में 0.75 फीसद कटौती किए जाने के बाद उन्हें बैंकों द्वारा इसका लाभ ग्राहकों तक जल्द पहुंचाए जाने की उम्मीद है। मौद्रिक नीति की जून में हुई समीक्षा के बाद रेपो दर में 0.25 फीसद कटौती होने पर बैंक आफ महाराष्ट्र, कार्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक और आइडीबीआइ बैंक ने अपनी एमसीएलआर दर को 0.05 से 0.10 फीसद तक कम किया है। मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 5 से 9 अगस्त के बीच होगी।

दरअसल

कर्नाटक के विधायक अब भी मुंबई में

पेज 1 का बाकी

असंतुष्ट विधायकों से मिलने बुधवार को मुंबई पहुंचेंगे। मंत्री के एक सहयोगी ने कहा कि मुंबई में मुलाकात की जगह के बारे में अभी पता नहीं है। मंगलवार को शुरू में खबरें थीं कि विधायक सतारा के नजदीक थे और बाद में मुंबई लौट गए। लेकिन पाटील ने कहा कि विधायक शनिवार से मुंबई में ही ठहरे हुए हैं। पाटील ने कहा, 'विधायक सोमवार की रात केवल एक होटल से दूसरे होटल गए।' उन्होंने कहा, 'हम खुद ही चीजों का प्रबंधन कर रहे हैं। भाजपा शामिल (यात्रा और ठहरने का खर्च वहन करने में) नहीं है। भाजपा ने नई सरकार के गठन के लिए हमें कोई पेशकश नहीं की है।' पाटील ने कहा कि उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि विधायक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मांगे गए फॉर्मेट में इस्तीफा देंगे। पाटील ने कहा, 'अध्यक्ष से कोई आधिकारिक संदेश मिलने पर हम फैसला करेंगे कि कब बंगलुरु जाना है।' मुंबई में 12 बागी विधायक हैं। इनमें से सात कांग्रेस के, तीन जद (सेकु) के और दो निर्दलीय हैं।

पत्नी के रिश्तेदारों ने की दलित युवक की हत्या

पेज 1 का बाकी

अंदर ही रहा और हेल्पलाइन सेवा के अधिकारी उसके ससुराल वालों के घर गए व उर्मिला को वापस भेजने के लिए, उन्हें समझाया। जब उर्मिला के रिश्तेदारों को पता चला कि सोलंकी अधिकारियों के साथ है तो वे घर से बाहर गए और धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया।

'बालाकोट और लक्षित हमले के बाद घुसपैठ में कमी'

पेज 1 का बाकी

आई है। आतंकियों के मारे जाने में 22 फीसद से ज्यादा का इजाफा हुआ है। गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों की जानकारी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को दी। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ के संबंध में पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा, 'सुरक्षाबलों के समन्वित प्रयासों से इस साल की पहली छमाही में 2018 की इसी अवधि की तुलना में राज्य में सुरक्षा हालात में सुधार हुआ है।' गृह मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर सीमापार घुसपैठ को रोकने के लिए बहुआयामी उपाय किए हैं। इनमें अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर बहुस्तरीय तैनाती, सीमा पर बाड़ लगाना और खुफिया व परिचालन समन्वय में सुधार शामिल है।

सुरक्षाबलों को आधुनिक हथियार दिए गए हैं और घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। नियंत्रण रेखा पर इलेक्ट्रिक बाड़ यानी 'एंटी इनफिल्ट्रेशन ऑब्स्टकल सिस्टम' घुसपैठ को रोकने में ताकतवर टूल बन कर उभरा है। इसके लिए बिजली की जरूरतों को पावर ग्रिड के जरिए और दूसरी जगहों पर जेनरेटर से निर्बाध रूप से आपूर्ति की जा रही है।

लखनऊ में भिखारी करेंगे काम, मिलेगी पगार

पेज 1 का बाकी

लोगों को उनकी योग्यता व क्षमता के मुताबिक काम दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में बहुत से भीख मांगने वाले वित्तीय मजबूरियों और आर्थिक तंगी की वजह से भीख मांगने पर मजबूर हुए हैं और इन्हें इनकी क्षमता के अनुसार काम दिया जाएगा। ऐसे भिखारियों को पहले उनकी क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। बाद में उनको काम पर लगाया जाएगा। इस काम में समाज कल्याण विभाग की भी मदद ली जा रही है।

त्रिपाठी ने बताया कि ऐसे लोगों को उनकी कार्यक्षमता के अनुसार आठ से नौ हजार रुपए वेतन दिया जाएगा। भिखारियों को रोजगार देने के लिए वार्डों में सर्वेक्षण का काम हो रहा है। अगले माह से इस कार्ययोजना को अमल में लाने का काम शुरू हो जाएगा।

सांसदों के कॉल डिटेल अनधिकृत रूप से जुटाना विशेषाधिकार का हनन : समिति

नई दिल्ली, 9 जुलाई (भाषा)।

राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के फोन कॉल डिटेल (सीडीआर) का ब्योरा कथित तौर पर अनधिकृत रूप से जुटाने के मामले में दर्ज आपराधिक मामले को गंभीरता से आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस को कहा है।

समिति ने मंगलवार सभापति को सौंपी अपनी 66वीं रिपोर्ट में जेटली के मामले में कहा कि संसद सदस्यों के अनधिकृत रूप से सीडीआर जुटाना, जिससे उनके संसदीय दायित्वों के निर्वाह में बाधा उत्पन्न हो, आपराधिक कानून के तहत निजता के उल्लंघन के साथ ही संसदीय विशेषाधिकार का मामला भी है। समित ने गृह मंत्रालय के माध्यम से दिल्ली पुलिस को इस मामले में दर्ज आपराधिक मुकदमे को गंभीरता से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया, जिससे दोषियों को सजा मिल सके, साथ ही समिति को इस मामले के न्यायिक फैसले से भी अवगत कराने को कहा है। 2013 में राज्यसभा के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष जेटली द्वारा दर्ज कराए गए मामले में विशेषाधिकार समिति ने मई 2015 में 61वीं रिपोर्ट दे दी थी। कुछ सदस्यों ने फिर से विचार किए जाने की मांग की। इस पर समिति ने फिर से मामले की जांच कर सांसदों के सीडीआर जुटाने के विषय पर दिल्ली पुलिस आयुक्त व भारत के अटॉर्नी जनरल से विचार विमर्श कर 66वीं रिपोर्ट में यह बात कही है।

विशेषाधिकार समिति ने तीन अन्य मामलों में भी 67वीं, 68वीं और 69वीं रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें सभापति को सौंपी है। इनमें समिति ने टीवी चैनलों पर अपुष्ट खबरों का प्रसारण करने के मामले में सरकार को सभी टीवी चैनलों के लिए आवश्यक दिशनिर्देश जारी करने की भी सिफारिश की है। समिति ने 69वीं रिपोर्ट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सिफारिश की है कि खबरों के प्रसारण में सभी टीवी चैनलों को सतर्कता बरतने के दिशानिर्देश जारी किए जाएं। समिति ने जुलाई 2017 में तत्कालीन राज्यसभा सदस्य नरेश अग्रवाल के खिलाफ एक टीवी चैनल द्वारा अपमानजनक तथ्य प्रसारित करने की शिकायत पर यह सिफारिश की है।

समिति ने मामले को अधिक महत्व देने से संसद की गरिमा को कम होने की बात कही है। समिति ने शिकायत पर अग्रिम कार्रवाई नहीं करते हुए मंत्रालय को कहा कि दिशानिर्देश में सभी टीवी चैनलों को संसदीय कार्यवाही के प्रसारण और रिपोर्टिंग में सतर्कता बरतने व सदन की कार्यवाही से हटाए गये हिस्सों का पुनर्प्रसारण करने से बचने को कहा जाए। समिति ने माकपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य सीताराम येचुरी को फरवरी 2016 में धमकी भरे फोन कॉल किए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस को अदालत में विचाराधीन मुकदमे का निस्तारण हो जाने तक इसकी प्रगति से समिति को अवगत कराने को कहा है।

पति की हत्या, पत्नी व बेटी गिरफ्तार

भागलपुर 9 जुलाई (जनसत्ता)।

यहां प्रेमी के प्यार में अंधा होकर पत्नी ने अपने पति कैलू दास (35) की हत्या कर लाश को घर के आंगन में ही दफना दिया। इस काम में पत्नी के प्रेमी और बेटी ने भी सहयोग ही किया। प्रेमी ने तेजधार वाले हथियार से उसका गला रेता और फिर कुदाल से घर की जमीन खोद कर लाश को दफना दिया। पत्नी सरिता देवी ने पुलिस के सामने यह कबूल किया है। यह वाकया भागलपुर के सन्हौला थाना के तहत बड़ी रामसी गांव का है।

कैलू दास के पिछले शुक्रवार से गुम होने की सूचना दर्ज कराने उसकी पत्नी सोमवार को थाने पहुंची थी। इधर आस पड़ोस के लोग थाने पर लाश के बदबू की शिकायत लेकर पहुंच गए। पुलिस ने वहां पहुंच कर जमीन खोद कैलू की लाश बरामद कर मामले को उजागर कर दिया। थानेदार ब्रजेश कुमार के मुताबिक सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कैलू की हत्या पांच दिन पहले ही कर दी गई थी और शव को दफना दिया गया था। घटना की वजह पत्नी का गांव के दिनेश यादव से अवैध संबंध है। जिसका कैलू दास विरोध करता था। इसे लेकर कई बार पति-पत्नी के बीच विवाद भी हुआ था। वह सन्हौला-घोघा सड़क पर छोटे तौर पर चायपान व होटल चलाता था। पुलिस ने मृतक कैलू की पत्नी सरिता देवी और उसकी नाबालिग बेटी को गिरफ्तार कर लिया है और पत्नी के प्रेमी दिनेश की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। लाश का पोस्टमार्टम करने जवाहरलाल नेहरू भागलपुर मेडिकल कालेज अस्पताल भेजा गया है।

SBI

भारतीय स्टेट बैंक
तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा
प्रथम तल, स्थानीय मुख्यालय भवन, सैक्टर–17ए,
चंडीगढ़–160017, फोनः 0172–4567159, 4567160, 4567167

सार्वजनिक सूचना

एतदद्वारा सामान्यतः आम जनता और कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) जिनका नाम विषेष रूप से नीचे वर्णित किये जा रहे हैं को सूचित किया जाता है कि बैंक से कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) द्वारा लिये गये ऋण/क्रेडिट सुविधा का कई सूचनाएं देने के बावजूद भी उन्होंने बैंक को इसका पुनर्भुगतान नहीं किया है। आगे बैंक द्वारा उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में घोषित किया गया है। आम जनता को सचेत किया जाता है कि निम्नलिखित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) के साथ कोई भी लेनदेन बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रिया के अधीन होगा। कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को एतदद्वारा 15 दिनों के भीतर अपनी बकाया राशि का भुगतान करने की सलाह दी जाती है और ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

क्र. सं.	यूनिट/कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) का नाम एवं उनका पता	कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) का फोटोग्राफ
1.	**कर्जदारः मैसर्स लक्ष्मी ग्रेन्स प्रा. लि.** कैथल रोड, पुण्डरी, जिला कैथल, हरियाणा **1. निदेशकः श्री हरबंस लाल मिगलानी** पुत्र श्री शेर चंद, पताः मकान नं. 1115, वार्ड नं. 8, सैक्टर–6, अर्बन एस्टेट करनाल, हरियाणा–132001	
	2. निदेशकः श्री राकेश मिगलानी पुत्र श्री हरबंस लाल मिगलानी, पताः मकान नं. 1115, वार्ड नं. 8, सैक्टर–6, अर्बन एस्टेट करनाल, हरियाणा–132001	
	3. निदेशकः श्री सुमित मिगलानी पुत्र श्री हरबंस लाल मिगलानी, पताः मकान नं. 1115, वार्ड नं. 8, सैक्टर–6, अर्बन एस्टेट करनाल, हरियाणा–132001	
	यूनिट का नामः मैसर्स लक्ष्मी ग्रेन्स प्रा. लि. **कुल बकाया 30.06.2019 को रु. 25,82,33,761.00 (पच्चीस करोड़ बयासी लाख तैतीस हजार सात सौ एकसठ रुपए) और 01.07.2019 से आगे उस पर भावी ब्याज/प्रभार/लागत।**	
2.	**कर्जदारः मैसर्स रिची रिच एग्रो फूड्स प्रा. लि.** **पताः** बरारा–शाहबाद रोड बरारा, तहसील–बरारा, जिला–अम्बाला, हरियाणा–133201 **पताः पंजीकृत कार्यालय गांव तोलनवाली, तहसील–बरारा–133201, जिला–अम्बाला (हरियाणा)**	
	1. निदेशकः श्री नीरज गोयल पुत्र श्री श्याम लाल गोयल **पताः मकान नं. 1293, रेलवे रोड बरारा तहसील–बरारा, जिला–अम्बाला (हरियाणा) पिन–133201**	
	2. निदेशकः श्री अतुल गोयल पुत्र श्री श्याम लाल गोयल **पताः मकान** नं. 1293, रेलवे रोड बरारा तहसील–बरारा, जिला–अम्बाला (हरियाणा) पिन–133201	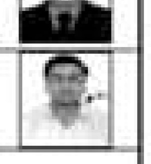
	यूनिट का नामः मैसर्स रिची रिच एग्रो फूड्स प्रा. लि. **कुल बकाया 30.06.2019 को रु. 67,47,54,517.00 (सड़सठ करोड़ सैतालीस लाख चौवन हजार पांच सौ सत्रह रुपए) और 01.07.2019** से आगे उस पर भावी ब्याज/प्रभार/लागत।	
3.	**यूनिट का नामः मैसर्स सर्वोदय हाइवेज लि., पताः** एससीओ–128–129, सैक्टर–8सी, चंडीगढ़–160017	
	1. श्री आषुतोष गर्ग (निदेशक) पुत्र श्री गुरिन्दर कुमार गर्ग, मकान नं. 66, शिवालिक एन्क्लेव, एनएसी, मनीमाजरा, चंडीगढ़	
	2. श्री आयुष गर्ग (निदेशक) पुत्र श्री गुरिन्दर कुमार गर्ग, मकान नं. 66, शिवालिक एन्क्लेव, एनएसी, मनीमाजरा, चंडीगढ़	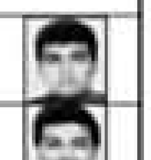
	3. श्री गुरिन्दर कुमार गर्ग (निदेशक) पुत्र स्वर्गीय श्री बलदेव सिंह गर्ग, मकान नं. 66, शिवालिक एन्क्लेव, एनएसी, मनीमाजरा, चंडीगढ़	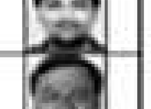
	4. श्रीमती अरूणा गर्ग (निदेशक) पत्नी श्री गुरिन्दर कुमार गर्ग, मकान नं. 66, शिवालिक एन्क्लेव, एनएसी, मनीमाजरा, चंडीगढ़	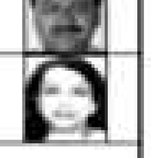
	यूनिट का नामः मैसर्स सर्वोदय हाइवेज लि., **कुल बकाया 23.05.2018 को रु. 93,73,64,655.80 (तिरानबे करोड़ तिहत्तर लाख सौसठ हजार छह सौ पचपन रुपए एवं अस्सी पैसे) और 24.05.2019 से** आगे उस पर भावी ब्याज/प्रभार/लागत।	
4.	**कर्जदार/यूनिटः मैसर्स एल एम फूड्स, पताः साबमली रोड, निसिंग, जिला करनाल, हरियाणा** **पार्टनरः 1. श्री केवल कृष्ण** पुत्र श्री लालु राम, मकान नं. 3358, अनाज मंडी, निसिंग, जिला करनाल	
	पार्टनरः 2. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल, मकान नं. 3358, अनाज मंडी, निसिंग, जिला करनाल	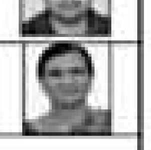
	यूनिट का नामः मैसर्स एल एम फूड्स **कुल बकाया 05.02.2018 को रु. 31,07,61,271.34 (एकतीस करोड़ सात लाख एकसठ हजार दो सौ एकहत्तर रुपए एवं चौतीस पैसे) और 06.02.2018** से आगे उस पर भावी ब्याज/प्रभार/लागत।	
5.	**यूनिट का नामः मैसर्स सैनसंस पल्प एंड पेपर लिमिटेड** **कर्जदारः** **1. श्री रमेश कुमार सैनी** पुत्र स्वर्गीय श्री जिवा सिंह सैनी, पताः मकान नं. 1086, सैक्टर–7, पंचकुला 2. **श्रीमती शषि बाला सैनी** पत्नी श्री रमेश कुमार सैनी, पताः मकान नं. 1086, सैक्टर–7, पंचकुला **3. श्री रणधीर सिंह सैनी** पुत्र स्वर्गीय श्री जिवा सिंह सैनी, पताः मकान नं. 1086, सैक्टर–7, पंचकुला **4. श्री रबिन्दर कुमार गुप्ता** पुत्र श्री जयंती दास गुप्ता, पताः मकान नं. 96, गोल्डन एस्टेट, बलटाना, जिरकपुर **5. गारंटरः श्रीमती राज रानी गुप्ता** पत्नी श्री रबिन्दर कुमार गुप्ता पताः मकान नं. 96, गोल्डन एस्टेट, बलटाना, जिरकपुर	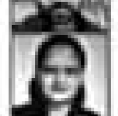 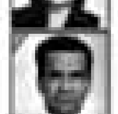 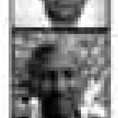
	यूनिट का नामः मैसर्स सैनसंस पल्प एंड पेपर लिमिटेड **कुल बकाया 30.06.2019 को रु. 2,99.97 करोड़ (दो सौ निरानबे करोड एवं सतानबे लाख) और 01.07.2019** से आगे उस पर भावी ब्याज/प्रभार/लागत।	
6.	**यूनिट का नामः मैसर्स आरएच एग्रो ओवरसीज प्रा. लि.** पताः ए–7, साउथ एक्सटेंशन–2, नई दिल्ली **कर्जदार/गारंटरः** **1. श्री सुख चैन चावला (निदेशक)** पताः ए–7, साउथ एक्सटेंशन–2, नई दिल्ली **2. श्री दिलबाग राय चावला (निदेशक)** पताः ए–7, साउथ एक्सटेंशन–2, नई दिल्ली	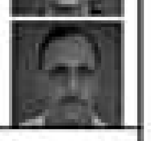
	यूनिट का नामः मैसर्स आरएच एग्रो ओवरसीज प्राइवेट लि. **कुल बकाया 30.11.2018 को रु. 203.69 करोड़ (दो सौ तीन करोड़ एवं उनसत्तर लाख) और 01.12.2018** से आगे उस पर भावी ब्याज/प्रभार/लागत।	

दिनांकः 10.07.2019 **उप महाप्रबंधक**

(This is only an advertisement for information purpose and not a Prospectus announcement. This does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities. Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India)

CITY PULSE MULTIPLEX LIMITED

Our Company was incorporated as "City Pulse Multiplex Private Limited" at Ahmedabad, Gujarat as a Private company under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated March 22, 2000 bearing Registration no. 04-37606 of 1999-2000 issued by Registrar of Companies, Gujarat, Dadra & Nagar Haveli. Consequent upon the conversion of our Company to public limited company and as approved by the shareholders of our company pursuant to a special resolution dated May 19, 2018, the name of our Company was changed to "City Pulse Multiplex Limited" and fresh certificate of incorporation dated May 28, 2018 was issued by the Registrar of Companies, Ahmedabad, Gujarat. The Corporate Identification Number of our Company is U92199GJ2000PLC037606. For details of change in name and address of our Registered Office, see "History and Certain Corporate Matters" on page 105 of the Prospectus.

Registered Office: 401, 4th Floor, Sachet 1, Swastik Cross Road, Navrangpura, Ahmedabad-380009, Gujarat, India. **Tel. No:** 079 40070706 / 708;
E-mail: cs@wowcinepulse.com; **Website:** www.wowcinepulse.com **Corporate Identification Number:** U92199GJ2000PLC037606
Contact Person: Ms Divya Jitendrakumar Agrawal, Company Secretary and Compliance officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. ARPIT KUMAR MEHTA AND MRS. RAJAL ARPIT KUMAR MEHTA

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 13,28,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.10.00 EACH OF CITY PULSE MULTIPLEX LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS.30 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 20 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO RS 398.40 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 72,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.10.00 EACH FOR CASH AT A PRICE OF RS. 30 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS.20 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS.21.60 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 12,56,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.10.00 EACH AT A PRICE OF RS. 30 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 376.80 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 40.02% AND 37.85% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

In terms of Rule 19(2)(b)(I) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "SCRR") the Issue has been made for at least 25% of the post- issue paid-up Equity Share capital of our Company. The Issue was made through the Fixed Price Process, in compliance with Chapter IX of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended the ("SEBI ICDR Regulations") wherein no reservation was made for Qualified Institutional Buyers ("QIBs"). Further, 50% of the Net Issue was available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and 50% of the Net Issue was available for allocation to Retail Individual Investors, in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at the Issue Price. For further details please refer the section titled 'Issue Information' beginning on page 194 of the Prospectus. In terms of SEBI Circular No. CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015 dated November 10, 2015 and the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, all the investors (except Anchor Investors) applying in a public Issue were required to use only Application Supported by Blocked Amount (ASBA) process for application providing details of the bank account which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks (SCSBs) for the same. Further, pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 01, 2018, Retail Individual Investors applying in public offer were required to use either Application Supported by Blocked Amount (ASBA) facility for making application or also can use UPI (Unified Payment Interface) as a payment mechanism with Application Supported by Blocked Amount for making application. For details in this regards, specific attention are invited to the chapter titled "Issue Procedure" beginning on page 197 of the Prospectus.

RISKS TO INVESTORS:

I. This being the first public Offer of our Company, there has been no formal market for the Equity Shares. The face value of the Equity Shares is Rs 10 each. The Issue Price as stated in "Basis for Issue Price" on page 66 of Prospectus should not be taken to be indicative of the market price of the Equity Shares after the Equity Shares are listed on SME Platform of BSE Limited. No assurance can be given regarding an active or sustained trading in the Equity Shares or regarding the price at which the Equity Shares will be traded after listing.

II. As on date of the Prospectus, the average cost of acquisition per Equity Share by our Promoters viz. Mr. Arpit Kumar Mehta is Rs. 12.84 and Mrs. Rajal Arpit Mehta is Rs. 10.24.

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS Rs. 10/- EACH.
THE ISSUE PRICE IS Rs. 30.00/- PER EQUITY SHARES
ISSUE OPENED ON: THURSDAY, JUNE 27, 2019 AND
CLOSED ON: WEDNESDAY, JULY 03, 2019

The Equity Shares of our Company issued through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ('BSE SME'), in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In – Principle approval letter dated June 20, 2019 from BSE Limited for using its name in the Offer document for listing of our shares on the SME Platform of BSE Limited. For the purpose of this Issue, BSE Limited shall be the Designated Stock Exchange.

SUBSCRIPTION DETAILS

The Issue has received 586 applications for 3,768,000 Equity shares (before rejections, before bids not banked but after Invalid Multiple/Duplicate bids) including Market Maker Application of 72,000 Equity Shares. The issue was subscribed to the extent of 2.84 times as per the application data (before rejections, before bids not banked but after Invalid Multiple/Duplicate bids). After considering the technical rejections cases, the issue was subscribed 2.27 times.

The details of application received (Before Technical Rejection but after bids not banked and application banked but bid not registered)

SN	Category	No. of Applications Received	Number of Shares Applied for	AMOUNT RS
1	Retail Individual Investors	500	2,000,000	60,000,000
2	Other Than Retail Individual Applicants	45	1,000,000	30,000,000
3	Market Maker	1	72,000	2,160,000
	TOTAL	**546**	**3,072,000**	**92,160,000**

ALLOCATION: The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange – BSE Limited on **July 08, 2019.**

A. **Allocation to Market Maker (After Technical Rejections):** The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of Rs. 30.00/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category was subscribed by 1.00 time. The total number of shares allotted in this category is 72,000 Equity shares in full out of reserved portion of 72,000 Equity Shares.

B. **Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections):** The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the issue price of Rs. 30.00/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category was subscribed by **2.33** times. Total number of shares allotted in this category is **832,000** Equity Shares. The category wise basis of allotment is as under:

Sr. No.	No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications received	% to total	Total No. of Equity Shares applied in each category	% to total	Proportionate Shares Available	Allocation per Applicant: Before rounding off	Allocation per Applicant: After rounding off	Ratio of Allottees to the Applicants	Number of successful applicants (after rounding off)	% of Total	Total No. of Equity Shares Allotted	% of Total	Surplus / (Deficit) (13) - (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	4000	486	100.00	19,44,000	100.00	832,000	1711.93	4000	104 243	208	100.00	832,000	100.00	0

C. **Allocation to Non Institutional Investor (After Technical Rejection):** The Basis of Allotment to other than Retail Individual Investors, at the issue price of Rs. 30.00/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category was subscribed by **2.33** times. Total number of shares allotted in this category is **424000** Equity Shares. The category wise basis of allotment is as under:

Sr. No.	No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications received	% to total	Total No. of Equity Shares applied in each category	% to total	Proportionate Shares Available	Allocation per Applicant: Before rounding off	Allocation per Applicant: After rounding off	Ratio of Allottees to the Applicants	Serial Number of Qualifying applicants	Number of successful applicants (after rounding off)	% of Total	Total No. of Equity Shares Allotted	% of Total	Surplus / (Deficit) (14) - (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	8000	25	56.82	200000	20.16	85484	3419.16	4000.00	21 25		21	52.50	84000	19.81	(1484)
2	12000	3	6.82	36000	3.63	15387	5129.00	4000.00	1 1		3	7.50	12000	2.83	(3387)
	12000	4000 additional share is allocated for Serial no 2 in the ratio of 1:3							1 3			0.00	4000	0.94	4000
3	16000	4	9.09	64000	6.45	27355	6838.75	4000.00	1 1		4	10.00	16000	3.77	(11355)
	16000	4000 additional share is allocated for Serial no 3 in the ratio of 3:4						4000.00	3 4			0.00	12000	2.83	12000
4	20000	3	6.82	60000	6.05	25645	8548.33	8000.00	1 1		3	7.50	24000	5.66	(1645)
5	24000	1	2.27	24000	2.42	10258	10258	12000.00	1 1		1	2.50	12000	2.83	1742
6	40000	5	11.36	200000	20.16	85484	17096.80	16000.00	1 1		5	12.50	80000	18.87	(5484)
	40000	4000 additional share is allocated for Serial no 6 in the ratio of 1:5						4000.00	1 5			0.00	4000	0.94	4000
7	100000	1	2.27	100000	10.08	42742	42742	44000.00	1 1		1	2.50	44000	10.38	1258
8	152000	1	2.27	152000	15.32	64968	64968	64000.00	1 1		1	2.50	64000	15.09	(968)
9	156000	1	2.27	156000	15.73	66677	66677	68000.00	1 1		1	2.50	68000	16.04	1323
GRAND TOTAL		**44**	**100.00**	**992000**	**100.00**	**424000**	**424000**				**40**	**100.00**	**424000**	**100.00**	**0**

The Board of Directors of the Company at its meeting held on July 08, 2019 has taken on record the Basis of Allocation of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange viz. BSE Limited and authorized corporate action for allotment of shares in dematerialized form to various successful applicants.

The CAN and allotment advice and/or notices shall be dispatched to the address of the Applicants as registered with the depositories / as filled in the application form on or before July 09, 2019. Further, the instructions to SCSBs have been issued on July 09, 2019 for unblocking of funds. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. In case the same is not received within prescribed time, Investors may contact the registrar to the Issue at the address given below. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the SME Platform of BSE Limited within six working days from the date of the closure of the Issue. **The trading is proposed to commence on or before Thursday, July 11, 2019 subject to receipt of listing and trading approvals from BSE Limited.**

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made will be hosted on the website of the Registrar to the Offer at www.linkintime.co.in. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar quoting full name of the First/ Sole applicant, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

LINK Intime

LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED
C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bhadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083, Maharashtra, India
Tel: +91 22 4918 6200; **Fax:** +91 22 4918 6195; **Email:** cpml.ipo@linkintime.co.in
Website: www.linkintime.co.in;
Investor Grievance Id: cpml.ipo@linkintime.co.in
Contact Person: Ms. Shanti Gopalkrishnan;
SEBI Registration Number: INR000004058

For City Pulse Multiplex Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Mr. Rajnikant Ashabhai Mehta
Whole Time Director

Date: July 09, 2019
Place: Ahmedabad

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF CITY PULSE MULTIPLEX LIMITED.
Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus.

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
आईएनसी 26
केन्द्र सरकार
नैगम कार्य मंत्रालय,
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र,
दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6)(क) के विषय में
तथा
फोर्टिज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
(CIN-U70109DL2007PTC170912)
पंजीकृत कार्यालय आई–99, गढ़वाली मोहल्ला, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092
.... **याचिकादाता**

एतदद्वारा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा बृहस्पतिवार, **13 जून, 2019** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय **"एनसीटी दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के संबंध में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों में कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत एक आवेदन केन्द्र सरकार (शक्तियां क्षेत्रीय निदेशक को प्रति नियोजित) के समक्ष, प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई व्यक्ति, जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित संशोधन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित तथा आवेदन के विरोध के आधारों के उल्लेखयुक्त शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां क्षेत्रीय निदेशक **एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर या क्षेत्रीय निदेशक, नैगम कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है और उसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके निम्नवर्णित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भिजवाई जानी चाहिए

आई–99, गढ़वाली मोहल्ला, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092

कृते एवं हिते
फोर्टिज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
अली अमजद रिजवी
निदेशक
डीआईएन:02123532
स्थानः दिल्ली पताः डी–189, सेक्टर–41,
दिनांकः 09.07.2019 नोएडा–उ.प्र.

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
आईएनसी 26
केन्द्र सरकार
नैगम कार्य मंत्रालय,
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र,
दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6)(क) के विषय में
तथा
यशोवृद्धि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN-U45201DL2005PTC132195)
पंजीकृत कार्यालय एक्स–3382, गली नं. 2, रघुबरपुरा II, गांधी नगर, दिल्ली–110031
.... **याचिकादाता**

एतदद्वारा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा **सोमवार, 8 जुलाई, 2019** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय **"एनसीटी दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के संबंध में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों में कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत एक आवेदन, केन्द्र सरकार (शक्तियां क्षेत्रीय निदेशक को प्रति नियोजित) के समक्ष, प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई व्यक्ति, जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित संशोधन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित तथा आवेदन के विरोध के आधारों के उल्लेखयुक्त शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां क्षेत्रीय निदेशक **एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर या क्षेत्रीय निदेशक, नैगम कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है और उसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके निम्नवर्णित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भिजवाई जानी चाहिए

एक्स–3382, गली नं. 2, रघुबरपुरा II, गांधी नगर, दिल्ली–110031

कृते एवं हिते
यशोवृद्धि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
संदीप कुमार
निदेशक
डीआईएन:00156410
स्थानः दिल्ली पताः ई–71, सेक्टर–39
दिनांकः 09.07.2019 नोएडा–201301–उ.प्र.

DCB BANK

मनोज कुमार आवेदक
संजीता सह- आवेदक
दोनो निवासी- मकान सं. 1497, गली नं. 1, वार्ड नं. 16,
श्री राम कॉलोनी तहसील एवं जिला करनाल, हरियाणा-132001

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी इस बैंक, कार्यालयः 7/56, 3 रा तल, देश बंधु रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 के प्राधिकृत अधिकारी हैं।

आप, उपरोक्त आवेदक तथा सह-आवेदक ने डीसीबी बैंक लिमिटेड से साख सुविधा प्राप्त की थी तथा उसका पुनर्भुगतान करने में विफल रहे। आपके द्वारा की गई चूक के कारण बैंक जिला मजिस्ट्रेट, करनाल की न्यायालय के समक्ष सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 14 के अंतर्गत एक आवेदन दाखिल करने के लिये विवश हुआ।

जिला मजिस्ट्रेट, करनाल की न्यायालय ने आदेश तिथि 8.2.2018 के माध्यम से आवेदन को सहर्ष स्वीकार किया जिसके द्वारा संबंधित प्राधिकरणों को गिरवी सम्पत्ति सं. मकान नं. 1497, गली नं. 1, वार्ड नं. 16, श्री राम कॉलोनी, करनाल, हरियाणा-132001 का भौतिक कब्जा करने में बैंक को सहयोग करने का निर्देश दिया

यह आप एड्रेसी को अग्रिम में 15 दिनों की सूचना है कि आदेश तिथि 8.2.2018 के अनुपालन ने प्रतिभूत क्रेडीटर, को खाली स्थिति में उपरोक्त गिरवी सम्पत्ति का शांतिपूर्ण भौतिक कब्जा सौंप दें, अन्यथा बैंक जिला मजिस्ट्रेट, करनाल के निर्देश के अनुसार संबंधित प्राधिकरणों की सहायता से उसका भौतिक कब्जा करने के लिये बाध्य होगा।

हस्ता./-
(प्राधिकृत अधिकारी)
करनाल (मयंक दत्त चौधरी)
तिथिः 7.7.2019 डीसीबी बैंक लिमिटेड

ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लि.
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
CIN : U27310WB1920GOI003601
"कंकड़िया सेन्टर", (4था एवं 5वाँ तल), 2/1, रसेल स्ट्रीट, कोल-71

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

निम्नलिखित कार्य के लिये प्रख्यात् साधन-सम्पन्न तथा अनुभवी पार्टियों जो आवश्यक योग्यता मानदंडों को पूरा करते हों, से दो भाग प्रणाली में वस्तु दर प्रस्ताव(वों) आमंत्रित हैः

क्रम सं.	कार्य का विवरण तथा एनआईटी सं. बीएंड आर/एचओ/ईआई/71061/बीएलआर-आरई/एलसी/03 तिथि 08.07.2019	निविदा दस्तावेज बीएआर की वेबसाईट पर उपलब्ध है	बोली जमा करने की नियत तिथि
1.	यूनिट (स्टेज III) 1x800 मे.वा., उत्तर चेन्नई कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना, तमिलनाडु की सभी दृष्टियों से पूर्ण बैलेंस रोटरी इक्विपमेन्ट, नान-प्रेशर पार्ट अर्थात् कोल पाइपिंग डक्ट एवं एयर प्री हीटर्स, आईडी फैन, एफडी फैन, पीए फैन, कोल मिल्स फीडर्स सील एयर फैन आदि से शामिल उसके हैंडलिंग इक्विपमेन्ट्स का ईरैक्शन, एलाइन्मेन्ट, वेल्डिंग, परीक्षण, पैन्टिंग, प्रचालनारम्भ, ट्रॉयल प्रचालन तथा सुपुर्दगी।	8.7.2019	22.7.2019

इच्छुक साधन-सम्पन्न ठेकेदार क. की वेबसाईट **http://www.bridgeroof.co.in** से निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं। शुद्धिपत्र/संबर्धन, यदि कोई हो, केवल क. की वेबसाईट : **http://www.bridgeroof.co.in** पर ही प्रकाशित की जायेगी।

सुब्रोस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एलजीएफ, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-110 001
टेली. नं.: 011-23414946-49; **फैक्स नं.:** 011-2341-4945
सीआईएनः L74899DL1985PLC020134
ई-मेलः rakesh.arora@subros.com, **वेबसाईटः** www.subros.com

एजीएम, ई-वोटिंग और बही बंदी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 9 अगस्त, 2019 को प्रातः 11.00 बजे कमानी ऑडिटोरियम नं. 1, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज का निष्पादन किया जाएगा। एजीएम की सूचना कम्पनी के सदस्यों को कम्पनी में पंजीकृत उनके पते/ई-मेल पते पर भेज दी गई है। कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सूचीयन विनियम के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुसरण में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई-वोटिंग) का विवरण नीचे दिया गया हैः

(i) एजीएम में निर्धारित कामकाज ई-वोटिंग द्वारा निपटाया जा सकता है। कम्पनी ने ई-वोटिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (www.evoting.nsdl.com) को नियुक्त किया है।
(ii) ई-वोटिंग 6 अगस्त, 2019 (प्रातः 9.00 बजे) प्रारंभ होगी।
(iii) ई-वोटिंग 8 अगस्त, 2019 (सायं 5.00 बजे) समाप्त होगी।
(iv) ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ तिथि 2 अगस्त, 2019 है।
(v) कोई व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिग्रहित करता है और सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारण करता है, वह ई-वोटिंग के साथ ही बैलेट पेपर के माध्यम से एजीएम में वोट देने के लिए योग्य होगा।
(vi) 8 अगस्त, 2019 को सायं 5.00 बजे के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(vii) जिन सदस्यों ने ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है उनके लिए एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
(viii) ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट देने वाले सदस्य भी एजीएम में भाग ले सकता है लेकिन उसे एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
(ix) ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार किये गये लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वही ई-वोटिंग के साथ ही एजीएम में वोट देने के लिए योग्य होगा।
(x) एजीएम के आयोजन की सूचना कम्पनी की वेबसाइट (www.subros.com) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध है।
(xi) किसी भी शिकायत और दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सम्पर्क विवरण में उपरोक्त दिये गये पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी सचिव के पास लिखित अनुरोध किया जा सकता है।
(xii) **कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शुक्रवार, 2 अगस्त, 2019 से शुक्रवार, 9 अगस्त, 2019 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।**
(xiii) किसी भी पूछताछ के लिए आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं।
(xiv) सदस्यों से अनुरोध है कि सूचना, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करने के लिए एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि., एफ-65, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020 के पास अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत/नवीनीकृत करायें।

कृते सुब्रोस लिमिटेड
हस्ता/-
स्थान : नई दिल्ली राकेश अरोड़ा
दिनांक : 9 जुलाई 2019 कम्पनी सचिव

फार्म नं. आईएनसी–25ए

[illegible]

नूटिका सेनानिस (इंडिया) लिमिटेड

[illegible]

सूचना

[illegible]

कृते आवेदक की ओर से
हस्ता/–
अनुज कुमार सुरेश चंद्र निगम
डीआईएन : 01282893
तिथि : 10.07.2019
स्थान : दिल्ली

[illegible]

प्रपत्र सं. आईएनसी–26

[illegible]

फार्म नं. आईएनसी–25ए

पब्लिक कम्पनी से प्राइवेट कम्पनी में बदलने के लिए विज्ञापन

[illegible]

गर्ग दयूब लिमिटेड

[illegible]

OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
SHRI MATA VAISHNO DEVI SHRINE BOARD, KATRA

EXPRESSION OF INTEREST

For and on behalf of the Chairman, Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board, Katra, EOI are invited from Eligible Reputed Companies or their Franchisees/ Distributors for various space on "Leave and License Basis" on the Tarakote Marg, between Katra-Ardhkuwari, for Installation of Kiosks for conducting Food and Beverages business. The offers should reach the Office of the Chief Executive Officer, SMVDSB, Katra, on 25th of July, 2019 upto 1500 hrs. The offers should be complete in all respect and duly signed by the Representative of the Principal Company/ Franchisee/ Distributor. Incomplete/ Conditional offer received or offers received after the stipulated date and time shall not be considered.

The EOI along with detailed terms and conditions can be downloaded from our official website **(www.maavaishnodevi.org.)**, Free of Cost.

No.: CO/Cat/335/429
Dated: 09.07.2019

Sd/- (Dr. J.C. Mehra), KAS,
Deputy Chief Executive Officer

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली – 110020

निविदा सूचना (केवल ई–टेंडरिंग प्रक्रिया)

[illegible] **(www.tenderwizard.com/CCIL)** [illegible]

निविदा सं.	[illegible] /2019
अनुमानित लागत	₹ 1,11,21,768/– [illegible]
अनुबंध की अवधि	[illegible]
धरोहर जमा राशि	₹ 2,22,500/– केवल ई–भुगतान द्वारा
निविदा दस्तावेज की कीमत	₹ 1,000/– [illegible]
निविदा प्रक्रिया शुल्क (ई–टेंडरिंग)	₹ 5310/– [illegible]
[illegible]	10.07.2019 (15:00 बजे) से 06.08.2019 [illegible]
निविदा–पूर्व बैठक	24.07.2019 को 15:00 बजे तक
[illegible]	26.07.2019 को [illegible] www.tenderwizard.com/CCIL [illegible]
[illegible]	07.08.2019 (16:00 बजे तक)
[illegible]	08.08.2019 (15:30 बजे तक)

[illegible] www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग ऑन करें। कार्यकारी निदेशक/उत्तरी क्षेत्र

ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लि.
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
CIN : U27310WB1920GOI003601
'कंकड़िया सेन्टर'', (4था एवं 5वां तल), 2/1, रसेल स्ट्रीट,कोल– 71

''ईपीसी अनुबंध पद्धति पर चिकित्सा शिक्षा व शोध विभाग (डीएमईआर) हरियाणा सरकार, पंचकूला, हरियाणा– 135115 के अंतर्गत ग्राम कुटैल, जिला करनाल, हरियाणा में पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नियोजन, डिजायनिंग, निर्माण, फर्नीचर, आईटी (नेटवर्किंग) तथा अनुरक्षण'' के सिलसिले में निम्न कार्यों के लिये योग्यता मानदंड तथा आईटीबी के प्रति विशेष ध्यान/ टिप्पणियों का अनुपालन करने वाले प्रख्यात, साधन– सम्पन्न एवं अनुभवी पार्टियों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिये आमंत्रण (ईओआई) आमंत्रित है:

क्रम सं.	कार्य का विवरण एवं अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना (ईओआई) सं.	वेबसाइट के साथ ही साथ सीपीपी पोर्टल में ईओआई निविदा दस्तावेज की उपलब्धता की तिथि	बोली जमा करने (ऑन-लाइन) की अंतिम तिथि
1.	एमजीपीएस एवं एमओटी की आपूर्ति एवं संस्थापन सहित हॉस्पीटल ब्लॉक के लिये [ईओआई नं. बीएंडआर/ एचओ/ डीएमईआर/ 51160/ करनाल/ ईपीसी-ईओआई/ सीडब्ल्यू/ पीकेजी–1]	10.7.2019	24.7.2019
2.	एमजीपीएस एवं एमओटी की आपूर्ति एवं संस्थापन सहित हॉस्पीटल ब्लॉक के लिये [ईओआई नं. बीएंडआर/ एचओ/ डीएमईआर/ 51160/ करनाल/ ईपीसी-ईओआई/ सीडब्ल्यू/ पीकेजी–2]	10.7.2019	24.7.2019
3.	ऑडिटोरियम सहित संस्थानिक भवन के लिये [ईओआई नं. बीएंडआर/ एचओ/ डीएमईआर/ 51160/ करनाल/ ईपीसी-ईओआई/ सीडब्ल्यू/ पीकेजी–3]	10.7.2019	24.7.2019
4.	आवासीय ब्लॉक तथा अन्य सामान्य सिविल कार्यों के लिये [ईओआई नं. बीएंडआर/ एचओ/ डीएमईआर/ 51160/ करनाल/ ईपीसी-ईओआई/ सीडब्ल्यू/ पीकेजी–4]	10.7.2019	24.7.2019

इच्छुक बोलीदाताओं को **https://eprocure.gov.in** पर लॉग ऑन कर सरकार की ई–प्रापण प्रणाली में सूचीकरण एवं पंजीकरण कराना होगा।
संवर्धन/ शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, कंपनी की वेबसाइट: **www.bridgeroof.co.in** तथा सीपीपी पोर्टल: **https://eprocure.gov.in** पर ही प्रकाशित की जायेगी।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
दिल्ली अंचल कार्यालय 15, एनबीसीसी टॉवर, तीसरी मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–66, फोन: 011-26164617/26197769 फैक्स: 011-26171554, ई–मेल: legal_del@mahabank.co.in

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

[illegible]

बैंक को गिरवी रखी गई और बैंक द्वारा कब्जे में ली गई संपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है :

1. [illegible]

2. [illegible] 2049/2315, ब्लॉक–आर, गली नंबर 1 और 2, रैगरपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली –110005 जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग गज है [illegible]

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए
सहायक महाप्रबंधक और
प्राधिकृत अधिकारी (सरफेसी अधिनियम, 2002)
दिनांक: 08.07.2019
स्थान: नई दिल्ली

फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड
CIN : L15133UR1990PLC023970
पंजी. कार्या.: लाल तप्पर इंडस्ट्रियल एरिया, पी. ओ. रेशम मांजरी, हरिद्वार रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन : +91-135-2499262, फैक्स : +91-135-2499235
वेबसाइट : www.flexfoodsltd.com, ईमेल : secretarial@uflexltd.com

सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि फ्लैक्स फूड्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 29वीं वार्षिक साधारण सभा ('एजीएम') **सोमवार, 5 अगस्त, 2019 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में पंजीकृत कार्यालय लाल तप्पर इंडस्ट्रियल एरिया, पी.ओ. रेशम मजरी, हरिद्वार रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड** में आयोजित की जाएगी जिसमें सूचना तिथि 25 मई, 2019 के अनुसार व्यवसाय को निष्पादित किया जाएगा। [illegible] www.flexfoodsltd.com [illegible] **8 जुलाई, 2019** [illegible] secretarial@uflexltd.com [illegible]

[illegible]

सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 30 जुलाई, 2019 से 05 अगस्त, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

क) [illegible]
ख) रिमोट ई–वोटिंग शुरू होने की तिथि एवं समय : **शुक्रवार, 02 अगस्त, 2019 को 9.00 बजे पूर्वा.**
ग) रिमोट ई–वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समय : **रविवार, 04 अगस्त, 2019 को 5.00 बजे सायं**
घ) [illegible] **सोमवार, 29 जुलाई, 2019** [illegible]
ङ) [illegible] **29 जुलाई, 2019** [illegible]
च) [illegible]
i) **04 अगस्त, 2019 को 5.00 बजे** [illegible]
ii) [illegible]
iii) [illegible]
iv) [illegible]
छ) [illegible] www.flexfoodsltd.com [illegible] www.evotingindia.com [illegible]
ज) [illegible] secretarial@uflexltd.com [illegible] 011-26440917, 011-26440925 [illegible]

बोर्ड के आदेश द्वारा
हस्ता/–
(राजेश मीर)
कम्पनी सचिव
FCS No. : 3060
स्थान : नोएडा
तिथि : 09.07.2019

ब्रिज एंड रूफ कं० (इंडिया) लि०
(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN No. U27310WB1920GOI003601
''कांकरिया सेंटर'', (4था व 5वां तल), 2/1, रसेल स्ट्रीट, कोलकाता–71

ई–निविदा आमंत्रण सूचना (ई–निआसू) सं० : बी एंड आर/ एचओ/ ईआरई/ 61010/ फायर प्रूफिंग/ एचएमईएल/ एनआईटी/ 01, दिनांक 10.07.19

एचएमईएल, भटिंडा, पंजाब स्थित डीएफसीयू यूनिट के कंपोजिट कार्य हेतु ''स्ट्रक्चरल अवयव व उपकरणों पर फायर प्रूफिंग का उपयोग व आपूर्ति'' हेतु निर्दिष्ट अर्हता मानदंड को पूरा करने वाले प्रतिष्ठित, साधनसंपन्न व अनुभवी एजेंसियों से दो भाग बोली प्रणाली में आनलाइन एकल प्रतिशतता दर प्रस्ताव आमंत्रित है।

इच्छुक बोलीदाताओं को http://eprocure.gov.in/eprocure/app में लॉगिंग के जरिए सरकारी ई–प्रापण प्रणाली में सूचीबद्ध व पंजीकृत होना होगा।

प्रस्ताव दाखिले की अंतिम तिथि : 24.07.2019 को 16.00 बजे तक।

इस संदर्भ में कोई भी संयोजन / शुद्धिपत्र सिर्फ कंपनी की वेबसाइट : www.bridgeroof.co.in व सीपीपी पोर्टल : http://eprocure.gov.in/eprocure/app पर जारी की जाएगी।

OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
SHRI MATA VAISHNO DEVI SHRINE BOARD, KATRA

Abridged Tender Notice

For and on behalf of the Chairman, Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board, Katra, sealed tenders are invited on prescribed Performa from Eligible Reputed Companies or their Franchisees/ Distributors for conduct of Food & Beverage from earmarked premises enroute Holy Shrine Board via Bhairon. Sealed Technical Bid and Commercial Bid should reach the Office of the Chief Executive Officer, Katra, on 31st of July, 2019 upto 1500 hrs. Offers should be complete in all respect and duly signed by the tenderer. Incomplete/ conditional tender or tender received after the stipulated date and time shall not be considered.

Tender Performa along with detailed terms and conditions of the tender can be downloaded from our official website **(www.maavaishnodevi.org)**, Free of Cost.

No.: CO/Cat/333/430
Dated: 09.07.2019

Sd/- (Dr. J.C. Mehra), KAS,
Deputy Chief Executive Officer

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!
एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच, पहला तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110 008, (फोन : 011–25854313), ईमेल: bo4168@pnb.co.in

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित खाताओं के ऋणधारक/ गारन्टरों ने बैंक से ऋण सुविधाएं प्राप्त की थी तथा उसके पुनर्भुगतान में चूक के कारण उनके खाताओं को दर्शाई गई तिथियों को एनपीए घोषित कर दिया गया है। बैंक द्वारा इन ऋणधारकों/ गारंटरों को जान–बूझकर चूककर्ता घोषित कर दिया गया है। इन ऋणधारकों/ गारंटरों को उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य लागतों/ चार्जों के साथ नीचे वर्णित राशि का बैंक को भुगतान करना है जिसके लिए बैंक ने उनके विरुद्ध वसूली कार्यवाई शुरू की है। जन हित में सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा जान–बूझकर चूककर्ता घोषित कर दिए गए नीचे वर्णित को आम ऋणधारक किसी भी बैंक/ वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

जुगल किशोर राणा

खाता का नाम: **मै. छाबड़ा ज्वैलर्स**
एनपीए की तिथि: 30.09.2003
बकाया राशि: रु. 52.48 लाख तथा 30.09.2003 से ब्याज तथा अन्य चार्जेज।
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु. 50.00 लाख

दीपक राणा

खाता का नाम: **मै. छाबड़ा संस**
एनपीए की तिथि: 30.09.2003
बकाया राशि: रु. 53.16 लाख तथा 30.09.2003 से ब्याज तथा अन्य चार्जेज।
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु. 50.00 लाख

नरेश कुमार

खाता का नाम: **मै. नरेश इम्ब्रोडरी वर्क्स**
एनपीए की तिथि: 30.09.2003
बकाया राशि: रु. 37.68 लाख तथा 30.09.2003 से ब्याज तथा अन्य चार्जेज।
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु. 50.00 लाख

कमल कुमार नागिया

खाता का नाम: **मै. छाबड़ा साड़ी संगम**
एनपीए की तिथि: 30.09.2003
बकाया राशि: रु. 52.62 लाख तथा 30.09.2003 से ब्याज तथा अन्य चार्जेज।
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु. 50.00 लाख

कमल कुमार नागिया

खाता का नाम: **मै. मेट्रो टेक्सटाइल**
एनपीए की तिथि: 30.09.2003
बकाया राशि: रु. 52.60 लाख तथा 30.09.2003 से ब्याज तथा अन्य चार्जेज।
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु. 50.00 लाख

ओंकारमल अग्रवाल

खाता का नाम: **मै. कल्यान लक्ष्मी ओवरसीज**
एनपीए की तिथि: 30.06.2008
बकाया राशि: रु. 154.28 लाख तथा 30.06.2008 से ब्याज
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु. 260.00 लाख

अंकुर अग्रवाल

खाता का नाम: **मै. कृष्णा आईएनसी**
एनपीए की तिथि: 30.06.2008
बकाया राशि: रु. 173.25 लाख तथा 30.06.2008 से ब्याज
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु. 350.00 लाख

नवीन मलहोत्रा

परिनीता मलहोत्रा

खाता का नाम: **मै. स्टार हेरिटेज होटल्स प्रा. लि.**
एनपीए की तिथि: 20.06.2011
बकाया राशि: रु. 264.76 लाख तथा 20.06.2011 से ब्याज
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु. 3274.07 लाख

संजय खन्ना

खाता का नाम: **मै. एडिगियर इंटरनेशनल**
एनपीए की तिथि: 31.03.2014
बकाया राशि: रु. 34,90,79,417.00 तथा 01.04.2014 से अग्रसर ब्याज
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु. 36.84 लाख

संदीप कौर चोना

खाता का नाम: **मै. इम्पीरियल पैकर्स**
एनपीए की तिथि: 31.03.2013
बकाया राशि: रु. 1,43,33,480.00 तथा 01.04.2014 से अग्रसर ब्याज
कुल स्वीकृत एक्सपोजर: रु. 150.00 लाख

तिथि: 09.07.2019, स्थान: दिल्ली — शाखा प्रमुख

ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लि.
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
CIN : U27310WB1920GOI003601
''कांकड़िया सेन्टर, (4था एवं 5वां तल), 2/1, रसेल स्ट्रीट,कोल– 71

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

निम्नलिखित कार्य के लिये प्रख्यात् साधन–सम्पन्न तथा अनुभवी पार्टियों जो आवश्यक योग्यता मानदंडों को पूरा करते हों, से दो भाग प्रणाली में वस्तु दर प्रस्ताव(वों) आमंत्रित हैं:

क्रम सं.	कार्य का विवरण तथा एनआईटी सं. बी एंड आर/ एचओ/ ईआरई/ 71061/ बीएलआर-एसटीआर/ एलसी/ 02 तिथि 8.7.2019	निविदा दस्तावेज बीएआर की वेबसाईट पर उपलब्ध है	बोली जमा करने की नियत तिथि
1.	यूनिट (स्टेज–III) 1x800 मे.वा., उत्तर चेन्नई कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रॉजेक्ट, तमिलनाडु की सभी दृष्टियों से पूर्ण बैलेंस मैन बॉयलर एवं ऑक्जिलरी, बॉयलर स्ट्रक्चर जिसमें शामिल हैं, बंकर, प्लेटफार्म, लिफ्ट स्ट्रक्चर आदि का ईरैक्शन, एलाइन्मेन्ट, वेल्डिंग, टेस्टिंग, पैन्टिंग, प्रचालनारम्भ, ट्रॉयल प्रचालन तथा सुपुर्दगी।	8.7.2019	22.7.2019

इच्छुक साधन–सम्पन्न ठेकेदार क. की वेबसाईट **http://www.bridgeroof.co.in** से निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं।

शुद्धिपत्र/ संबर्धन, यदि कोई हो, केवल क. की वेबसाईट: **http://www.bridgeroof.co.in** पर ही प्रकाशित की जायेगी।

कार्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक
अंचल कार्यालय: दिल्ली उत्तर, द्वितीय तल, फेज रोड–1, नई दिल्ली–110005, फोन : 011-28754815, 28754842,
ईमेल : dlirec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com

शुद्धिपत्र

दिनांक 09.07.2019 को फाईनेंशियल एक्सप्रेस और जनसत्ता, दिल्ली संस्करण में छपे विज्ञापन ई–नीलामी बिक्री सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि :

1. सम्पत्ति नं. 1 आरक्षित मूल्य रु. 3,95,00,000/– के स्थान पर 3,96,10,000/– और धरोहर राशि रु. 35,90,000/– के स्थान पर रु. 39,61,000/– पढ़ा जाए।

2. सम्पत्ति नं. 2 धरोहर राशि रु. 75,00,000/– के स्थान पर रु. 77,50,000/– पढ़ा जाए।

3. सम्पत्ति नं. 3 में कर्जदार और गारंटर का विवरण इस प्रकार पढ़ा जाए: [illegible] XIV/11163-2 [illegible] रु. 9,22,31,327/- [illegible] रु. 9,35,90,199/- [illegible]

अन्य नियम एवं शर्तें और विवरण पूर्वानुसार रहेंगी।

प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

फार्म नं. आईएनसी–26

[illegible]

भटनागर सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U00324DL1965PTC019819)
[illegible] **बी–366, लोक विहार, पीतम विहार, दिल्ली–110034 में है,** के मामले में
....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता

[illegible] **13 जून, 2019** [illegible] (www.mca.gov.in) [illegible] **बी–366, लोक विहार, पीतम विहार, दिल्ली–110034** [illegible]

कृते भटनागर सीमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
दिनांक: 03 जुलाई, 2019 [illegible] (निदेशक)
स्थान: दिल्ली डीआईएन: 01760863

फार्म नं. आईएनसी–26

[illegible]

प्रैस्टीज़ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U70101DL2012PTC234112)
[illegible] **5/5, देश बंधु गुप्ता रोड, पहाड़गंज, [illegible] नई दिल्ली–110055 में है, के मामले में**
....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता

[illegible] **20 जून, 2019** [illegible] (www.mca.gov.in) [illegible] **5/5, देश बंधु गुप्ता रोड, पहाड़गंज, [illegible] नई दिल्ली–110055** [illegible]

कृते प्रैस्टीज इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
दिनांक: 03 जुलाई, 2019 [illegible] (निदेशक)
स्थान: दिल्ली डीआईएन: 01534785

DCM HYUNDAI LTD.
CIN: U93090DL1995PLC273604
Regd. Office: 508, 5th Floor, Akash Deep Building, 26-A Barakhamba Road, New Delhi– 110 001.
Tel. No. (91)11-2331 2267 **Fax No.**(91)11-2331 3494
E-mail: umeshsharma@dcmhl.com **Website:** www.dcmhl.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, the 03rd August, 2019 at 11.00 A.M. at 6th Floor, Kanchenjunga Building, 18 Barakhamba Road, New Delhi-110001 to transact the business as set out in the AGM Notice dated 23.05.2019.

Annual Reports along with Notice of AGM have been sent to all the shareholders of the Company. Dispatch of the aforesaid documents has been completed on 08.07.2019. However, shareholders who have not received the same may download the same from the Company's website (www.dcmhl.com) or request the Company for copies thereof.

Members holding shares as on cut off date 22.07.2019 (Book closure 23.07.2019 to 03.08.2019 both days inclusive), may cast their vote on the business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system. All members are hereby informed that :

a) the business as set out in the Notice of AGM shall be transacted through voting by electronic means and by poll at the AGM. E-Voting is optional .
b) the remote e-voting shall commence on 31.07.2019 at 10.00 A.M. and shall end on 02.08.2019 at 5 P.M. and shall be disabled thereafter and the same shall not be allowed beyond the said time.
c) the cutoff date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or at the AGM is 22.07.2019
d) once the vote on a Resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
e) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the Members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
f) the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend and participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
g) Shri. Swaran Kumar Jain, Company Secretary in Practice (C.P. No. 4906), has been appointed as Scrutinizer for providing facility to the Members of the Company to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.
h) any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on cut off date i.e. 22.07.2019, may obtain the login ID and password by sending a request at beetal@beetalfinancial.com
i) a person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut- off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through postal ballot.
j) if a person is already registered with RTA for remote e-voting then he can use his existing user ID and password for casting his vote.

The AGM Notice will be available on the website of the Company (www.dcmhl.com). In case of any queries/grievances, Members may call to Mr. S.P.Gupta, Vice-President, Phone No: 011-29961281-83 or 011-23759350 (E-mail: beetal@beetalfinancial.com)

Place: New Delhi
Date: 09.07.2019

For DCM Hyundai Limited
Umesh Kumar Sharma
Whole–time Director cum CFO
DIN: 01957315

जिंदल पॉलि फिल्म्स लिमिटेड
[सीआईएन : L17111UP1974PLC003979]
पंजीकृत कार्यालय : 19वां के.एम., हापुड़–बुलंदशहर रोड, पी.ओ. गुलावठी, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश – 203408
फोन नंबर : 05732–228057
कार्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नंबर 12, सेक्टर बी–1, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070
फोन नंबर (011) 40322100, फैक्स नंबर (011) 40322129
ई–मेल : cs_jpoly@jindalgroup.com वेबसाइट : www.jindalpoly.com

शेयरधारकों को सूचना
इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियमावली, 2016 [illegible]

[illegible] 2011–12 [illegible] https://www.jindalpoly.com/download-reports [illegible]

[illegible] 2011–12 [illegible] 500 032 [illegible] suresh.d@karvy.com ; फोन : 040 67161517 [illegible]

[illegible]

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
हस्ता./–
संजीव कुमार
कम्पनी सेक्रेटरी
एसीएस : 18087
दिनांक : 09–07–2019
स्थान : नई दिल्ली

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

HDB FINANCIAL SERVICES
From the trusted family of HDFC Bank

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोड– 380009
शाखा कार्यालयः एडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लि., बिल्डिंग नं. 59, पंचकूइयां रोड, आर.के. आश्रम मेट्रो स्टेशन के निकट, नई दिल्ली–110001

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 4) के अंतर्गत एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित रूप में जारी कर संबंधित ऋणधारक को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि के साथ भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, चार्जेज, खर्चे आदि को वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

उक्त ऋणधारक/ सह–ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, सह–ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यहां नीचे वर्णित रूप में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित तिथि को यहां नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय संबंधित तिथि से आगे के ब्याज, लागतों एवं चार्जेज के साथ उसमें निर्दिष्ट राशि के लिए एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक/ सह–ऋणधारकों/ गारन्टरों, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि, प्रतिभूतियों का विवरण मांग सूचना तिथि, मांगी गई राशि तथा कब्जा की तिथि का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं.	1) ऋणधारक/ सह–ऋणधारक/ गारन्टर का नामः 2) ऋण खाता संख्या; 3) ऋण की राशि; 4) प्रतिभूतियों का विवरण; 5) मांग सूचना तिथि; 6) आईएनआर में मांगी गई राशि; 7) कब्जा की तिथि
1.	1) डीपीएल फार्म्स एंड बिल्डर्स प्रा.लि., श्री करण दत्ता, सुश्री चांद रानी, सुश्री नीलम दत्ता, श्री कमल दत्ता, सुश्री कणिका दत्ता, डीपीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड एवं डीपीएल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड, सभीः साउथ गणेश नगर, एच.नं. 46, प्लॉट नं. 4, पटपड़गंज रोड, नई दिल्ली– 110092 तथा ए–119, मधुवन, शंकरपुर, बरमाड शकरपुर, गांधी नगर, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली– 110092, 2) ऋण खाता संख्याः 415847, 295237, तथा 745259 जो यूनिक आईडी नंबर 369919 से जुड़ा है; 3) ऋण राशिः रु. 29714000/– (रुपये दो करोड़ सत्तानवे लाख चौदह हजार मात्र); 4) प्रतिभूति का विवरणः नीलम दत्ता तथा चांद रानी के नाम में दर्ज सम्पत्ति सं. प्लॉट नं. 119, 3रा तल, छत के अधिकार के साथ, मधुवन कॉलोनी, नई दिल्ली– 110092, माप 275.913 वर्ग मी. पंजीकरण दस्तावेजः उप रजिस्ट्रार– VIII, दिल्ली/ नई दिल्ली के कार्यालय में तिथि 12.2.2012 को क्रम सं. 937 में बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 6039, पेज 179 से 187 पर। चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 118, पश्चिमः सड़क, उत्तरः प्लॉट नं. 100, दक्षिणः सड़क; 5) मांग सूचना तिथिः 24.11.2018; 6) मांग की गई राशि (आईएनआर में) 16 नवम्बर, 2018 को रु. 14016181 (रुपये एक करोड़ चालिस लाख सोलह हजार एक सौ इक्यासी मात्र) तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसूली तक आगे का अनुबंधित ब्याज; 7) कब्जा की तिथिः 5.7.2019

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए कृपया सम्पर्क करेंः श्री हरदीप सभरवाल, फोन नं. 9654965496, श्री यग्येश मेधावी, फोन नं. 9310890352, एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड, बिल्डिंग नं. 59, पंचकूइयां रोड, आर.के. आश्रम मेट्रो स्टेशन के निकट, नई दिल्ली– 110001

हस्ता./–
एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिये
प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः मुम्बई
तिथिः 10.7.2019

एनटीपीसी ने बीजीआर के साथ खत्म किया कोयला खनन समझौता

नई दिल्ली, 9 जुलाई (भाषा)।

देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने बीजीआर माइनिंग एंड इंफ्रा लिमिटेड के साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ में अपनी कोयला खानों के विकास व खनन का समझौता समाप्त कर दिया है। कंपनी ने यह निर्णय बीजीआर के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगने से किया है। कंपनी ने बीजीआर को एक निजी खनन कंपनी के तौर पर यह ठेका दिया था।

एनटीपीसी ने चार जुलाई 2019 को भेजे दो अलग-अलग पत्रों में झारखंड की चट्टी-बारिआतु कोयला खान और छत्तीसगढ़ कर तलाईपल्ली कोयला खान से जुड़े समझौतों को समाप्त कर दिया है।

घर खरीदारों की समस्या के समाधान के लिए केंद्र एक समान प्रस्ताव लाए : सुप्रीम कोर्ट

जेपी इंफ्राटेक मामला

नई दिल्ली, 9 जुलाई (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि रियल एस्टेट बिल्डरों को बहुत मोटी रकम देने के बावजूद मकान का कब्जा नहीं मिलने से परेशान लाखों मकान खरीदारों की परेशानियों का समाधान करने के वास्ते वह सभी मामलों के लिए 'एक समान' प्रस्ताव तैयार करे।

शीर्ष अदालत ने जेपी इंफ्राटेक लि. से संबंधित मकान खरीदारों के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला लाखों फ्लैट खरीदारों से जुड़ा हुआ है और केंद्र को इसके समाधान के लिए प्रस्ताव पेश करना चाहिए। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा- हम केंद्र सरकार से सुझाव चाहते हैं जो ऐसे सभी मामलों के लिये एकसमान हो सकते हैं। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल माधवी दीवान से पीठ ने कहा- यह मुद्दा लाखों मकान खरीदारों को परेशान कर रहा होगा। दीवाला व शोधन अक्षमता संहिता के दायरे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाहर, आप (केंद्र) कुछ सुझाव दे सकते हैं। हम उन पर विचार कर सकते हैं। पीठ ने जेपी इंफ्राटेक लि के कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की समय सीमा खत्म हो जाने के बावजूद मामले को परिसमापन के लिए नहीं भेजने के लिए, दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। इसमें कहा गया है कि इससे हजारों मकान खरीदारों को अपूर्णीय क्षति होगी। अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ने अदालत से कहा कि इस आवेदन का जवाब देने के लिए उचित प्राधिकार पेशेवर समाधानकर्ता या संबंधित बैंक हो सकते हैं।

पीठ ने कहा- क्या केंद्र सरकार इस समय जारी प्रक्रिया को बाधित किए बगैर कोई और सुझाव दे सकती है। हम यह जानने को उत्सुक हैं कि क्या आपके पास कुछ सुझाव हैं? पीठ ने कहा- नीति संबंधी मुद्दे का समाधान तो केंद्र को ही करना होगा। इसके साथ ही पीठ ने इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई के लिए स्थगित कर दी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल नौ अगस्त को जेपी इंफ्राटेक लि के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया था और इस फर्म और इसकी होल्डिंग कंपनी और प्रवर्तकों के किसी भी नई बोली प्रक्रिया में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक को जयप्रकाश एसोसिएट्स लि. के खिलाफ भी कॉर्पोरेट दीवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने का बैंकों को निर्देश देने की अनुमति प्रदान कर दी थी। अदालत में दायर नई याचिका में जेपी इंफ्राटेक लि. का स्वतंत्र और गहन फॉरेंसिक आडिट कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

जेट एअरवेज : नरेश गोयल को देश छोड़ने की छूट नहीं

हाई कोर्ट ने निगरानी नोटिस पर सरकार से भी किया जवाब तलब

नई दिल्ली, 9 जुलाई (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने जेट एअरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को बिना पर्याप्त गारंटी के विदेश जाने की छूट देने से मंगलवार को मना कर दिया। अदालत ने साथ ही गोयल की उस याचिका पर सरकार से जवाब तलब किया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ 'लुक आउट सर्कुलर' (एलओसी) को चुनौती दी है। न्यायाधीश सुरेश कैत ने कहा कि गोयल को फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती । वह अगर इस समय विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें 18,000 करोड़ रुपए की गारंटी जमा करानी होगी।

अदालत ने गोयल के नाम जारी लुक आउट सर्कुलर के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान यह यह टिप्पणी की। गोयल ने चुनौती दी है कि उन्हें 25 मई को जब दुबई जाने वाले विमान से उतारा गया था उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय या सीबीआइ की ओर से कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। गोयल ने कहा कि उन्हें लुक आउट सर्कुलर की जानकारी ही 25 मई को तब मिली जब उन्हें और उनकी पत्नी अनीता को दुबई जाने वाले विमान से उतार दिया गया था। वह दुबई होते हुए लंदन जा रहे थे। अदालत इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को करेगी।

गोयल के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि जब गोयल दंपती को विमान से उतारा गया तो उस समय उनके खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके आधार पर कहा जा सके कि वह जांच से बचने के लिए भाग रहे थे। सिंह ने कहा कि छह जुलाई को गोयल के हाई कोर्ट में यह याचिका दाखिल करने के वक्त तक उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। जब यह मामला सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष आया तभी उन्हें गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआइओ) से 10 जुलाई को पेश होने और जांच में सहयोग देने का समन मिल गया।

उन्होंने कहा कि गोयल का दुबई और लंदन जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वह वित्तीय संकट का सामना कर रही जेट एअरवेज के लिए कोष जुटाना चाहते हैं। गोयल की याचिका का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर आचार्य और केंद्र सरकार के वकील अजय दिग्पाल ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह 18,000 करोड़ रुपए की गंभीर धोखाधड़ी का मामला है और एसएफआइओ इसकी जांच कर रहा है। सरकारी वकील ने याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगते हुए अदालत से कहा कि गोयल को जांच में सहयोग करना चाहिए।

गोयल की याचिका के मुताबिक उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर एसएफआइओ के कहने पर जारी किया गया है। एसएफआइओ कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत आता है। उन्होंने अपनी याचिका में एलओसी को खत्म करने के साथ-साथ कई ऐसे कार्यालयी दिशानिर्देश हटाने के लिए कहा है जिनकी वजह से उनके यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा है। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय का कहना है कि गोयल के खिलाफ एलओसी मंत्रालय की जांच के बाद जारी की गयी है। मंत्रालय ने जेट एअरवेज में बड़े स्तर की अनियमिताएं पाई हैं। जेट एअरवेज ने नकदी संकट की वजह से अप्रैल से परिचालन बंद कर रखा है। गोयल दंपत्ति ने जेट एअरवेज के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। नरेश कंपनी के चेयरमैन का पद भी छोड़ चुके हैं और कंपनी के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। उन्होंने 26 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत की थी।

शेयर सूचकांक में हल्की बढ़त

मुंबई, 9 जुलाई (भाषा)।

बड़ी कंपनियों के शेयरों में उछाल के दम पर देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में दो दिन की गिरावट का सिलसिला थम गया और बंबई शेयर बाजार का 30 बड़े शेयरों वाला बीएसई सूचकांक 10 अंक की नाम मात्र की बढ़त के साथ बंद हुआ।

सूचकांक दिन में 378 अंक के दायरे में उतार-चढ़ाव के बाद आखिरकार 10.25 अंक की बढ़त के साथ 38,730.82 अंक टिका। हालांकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 2.70 अंक नीचे आ कर 11,555.90 पर बंद हुआ। निफ्टी चार दिन से गिर रहा है।

सूचकांक की कंपनियों में फाइनेंस, सन फार्मा, हीरो मोटोकॉर्प, एल एंड टी, आरआइएल और भारती एअरटेल में 5.60 फीसद लाभ में रहा। टीसीएस के तिमाही परिणाम जारी किए जाने से इसका शेयर 2.05 फीसद तक गिर गया। येस बैंक, आइटीसी, एचसीएल टेक, मारुति, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक के शेयरों में 1.88 फीसद की गिरावट दर्ज की गई।

क्षेत्रवार टिकाऊ उपभोग से जुड़ी कंपनियों के शेयर सबसे अधिक 6.76 फीसद तक गिरे। इसके बाद सूचना-प्रौद्योगिकी और दैनिक उपयोग की वस्तु बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में 0.98 फीसद तक की गिरावट देखने को मिली। कारोबारियों के मुताबिक ऊर्जा, तेल एवं गैस और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में उछाल से घरेलू शेयर बाजारों को फिर से बढ़त हासिल करने में मदद मिली।

पांच अरब डालर की अर्थव्यवस्था हासिल करना संभव : नीति आयोग

कोलकाता, 9 जुलाई (भाषा)।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने मंगलवार को कहा कि 2024- 25 तक 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पक्के तौर पर हासिल किया जा सकता है और इस काम में निजी क्षेत्र को अग्रणी भूमिका निभानी होगी।

भारतीय वाणिज्य व उद्योग मंडल की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए राजीव कुमार ने कहा कि सरकार अकेले ही 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार अकेले ही इसे नहीं कर सकती है, इसके लिए निजी क्षेत्र के निवेशकों को इस मामले में अग्रणी भूमिका निभानी होगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि बजट में ऐसी कई पहलों के बारे में प्रस्ताव किया गया है जो कि सरकार की निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करने की इच्छा की तरफ इशारा करती हैं।

उन्होंने बताया कि इन पहलों में विनिवेश लक्ष्य को बढ़ाना, सरकार की तरफ से एनबीएफसी को समर्थन दिया जाना और कारपोरेट बांड बाजार को और गहरा बनाने के लिए दीर्घकालिक योजना का खाका पेश करना शामिल है। कुमार ने कहा कि भारत कोई निरंकुश देश नहीं है, यहां जो कुछ भी किया जायेगा वह सब लोकतांत्रिक प्रणाली के भीतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह जरूरी है। कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने की जरूरत है।

धानुका एग्रीटेक लिमिटेड
CIN:L24219DL1985PLC020126
पंजी. कार्यालय: 82, अभिनाश मेनशन, प्रथम तल, जोशी रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005 (भारत), फोन: +91-11-2353 4551-52, कॉर्पोरेट कार्यालय: 14 तल, बिल्डिंग 5ए, साइबर सिटी, डीएलएफ फेस-II, गुरुग्राम-122002, फोन: +91-124-3838500
ई-मेल: investors@dhanuka.com, वेबसाइट: www.dhanuka.com

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47(1) के अनुसरण में कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 19 जुलाई, 2019 को कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट और बीएसई एवं एनएसई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

कृते धानुका एग्रीटेक लिमिटेड
हस्ता./-
ज्योति वर्मा
कम्पनी सचिव
अनुपालन अधिकारी
एफसीएस-7210
स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 09.07.2019

प्ररूप संख्या आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
[illegible]
केंद्रीय सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में
और
[illegible] प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय [illegible] नई दिल्ली-110030 स्थित है, के मामले में
याचिकाकर्ता
[illegible]
www.mca.gov.in [illegible]
[illegible] नई दिल्ली -110030
दिनांक: 10 जुलाई 2019
स्थान: नई दिल्ली
[illegible]

सार्वजनिक सूचना
फार्म नं. आईएनसी-25ए
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में
समक्ष केंद्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003
कंपनी अधिनियम 2013 धारा 14 कंपनी अधिनियम 2013 की कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के संबंध में
एवं
गुप्ता शेयर ब्रोकर्स लिमिटेड
CIN: U74899DL1993PLC054289 जिसका पंजीकृत कार्यालय: 304, [illegible] नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
...आवेदक
[illegible]
कृते एवं ओर से
गुप्ता शेयर ब्रोकर्स लिमिटेड
हस्ता/-
[illegible]
निदेशक
स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 08.07.2019
डीआईएन: 00378403

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 और 13 के तहत सूचना
ओ.ए. सं. 273/2018 के मामले में
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया — आवेदक
विरूद्ध
मैसर्स महाशक्ति इंटरनैशनल (प्रा.) लिमिटेड — प्रतिवादीगण

डी-1 मैसर्स महाशक्ति इंटरनैशनल (प्रा.) लिमिटेड,
10/3, द्वितीय तल, सुभाष नगर, नई दिल्ली-110027

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरुद्ध एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक 12-07-2019 को पूर्वा. 10.30 बजे इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।
ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।
मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 09 मई, 2019 को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा
सहायक निबन्धक, डीआरटी-III, नई दिल्ली

optiemus
ऑप्टाइमस इन्फ्राकॉम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: के-20, 2रा तल, लाजपत नगर, पार्ट-II, नई दिल्ली-110024
फोन नं.: 011-29840906, फैक्स: 011-29840908
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. 2 ए, प्रथम तल, विंग-ए, सेक्टर 126, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301
फोन नं.: 0120-6721900
वेबसाईट: www.optiemus.com, ई-मेल: info@optiemus.com
CIN: L64200DL1993PLC054086

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोलिखित शेयर प्रमाणपत्रों के गुम हो जाने/ स्थानच्युत हो जाने की सूचना मिली है तथा ऐसे शेयर प्रमाणपत्रों के धारक ने डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कम्पनी के पास आवेदन किया है:

क्रम सं.	फोलिओ नं.	शेयरधारक का नाम	प्रमाणपत्र सं.	विशिष्ट सं.	शेयरों की सं.
1.	1976	विनोद पी मांडविया	34968	3495901-3496000	100
			34974	3496501-3496600	100
			35269-35270	3526001-3526200	200
			35274	3526501-3526600	100
कुल					500

यदि किसी व्यक्ति का उक्त प्रमाणपत्र (त्रों) के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई दावा हो, वे इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर प्लॉट नं. 2 ए, प्रथम तल, विंग ए, सेक्टर-126, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 में स्थित उसके कार्पोरेट कार्यालय में "ऑप्टाइमस इन्फ्रॉकॉम लिमिटेड" के पास ऐसे दावे दाखिल करें या info@optiemus.com पर हमें लिखें जिसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं की जाएगी तथा कम्पनी डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने की कार्रवाई करेगी।

ऑप्टाइमस इन्फ्रॉकॉम लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
विकास चन्द्रा
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
स्थान: नोएडा (उ.प्र.)
तिथि: 8.7.2019

फार्म जी
प्रस्ताव योजना के लिये आमंत्रण
{दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के उप-विनियमन (5) अंतर्गत}
विपुल ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड के संभावित प्रस्ताव आवेदकों के ध्यानार्थ

क्रम सं.	विवरण	विवरण
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	विपुल ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	23.7.2015
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत हैं	कम्पनी रजिस्ट्रार दिल्ली एवं हरियाणा
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U63000DL2015PTC283120
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजी. कार्यालय: 35, जीएफ.आर/एस ख. नं.-316, ग्राम नेव सराय, नई दिल्ली डीएल 110068
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	30.4.2019
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	10.7.2019
8.	संहिता की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है:	rpvipultravels@gmail.com अथवा lekhrajbajaj@rediffmail.com ईमेल द्वारा प्रस्ताव कर्मी
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	rpvipultravels@gmail.com अथवा lekhrajbajaj@rediffmail.com ईमेल द्वारा प्रस्ताव कर्मी
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	25.7.2019
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	2.8.2019
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	7.8.2019
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	15.8.2019
14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	7.8.2019
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	rpvipultravels@gmail.com अथवा lekhrajbajaj@rediffmail.com ईमेल द्वारा प्रस्ताव कर्मी
16.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	8.9.2019
17.	प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	पत्राचार के पते पर आरपी के पास मुहरबंद लिफाफे में डाक द्वारा/हाथों-हाथ। उसे पास्वर्ड से संरक्षित पेन ड्राइव में इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति में भी जमा किया जायेगा।
18.	स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि	29.9.2019
19.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	लेखराज बजाज IBBI/IPA-002/IP-N00039/2016-17/10078
20.	बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल	लेखराज बजाज ई-मेल आईडी: lekhrajbajaj@rediffmail.com, 107, अग्रवाल प्रेस्टिज मॉल, एम 2 के पीतमपुरा के समीप, दिल्ली-110034
21.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	ई-मेल आईडी: lekhrajbajaj@rediffmail.com, 107, अग्रवाल प्रेस्टिज मॉल, एम 2 के पीतमपुरा के समीप, दिल्ली-110034
22.	विस्तृत विवरण प्राप्त किये जा सकते हैं	ई-मेल द्वारा प्रस्ताव कर्मी से
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	10.7.2019

तिथि: 10.7.2019
स्थान: नई दिल्ली
हस्ता./-
लेखराज बजाज
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल
विपुल ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड के लिये

Government of Jharkhand
Department of Higher, Technical Education & Skill Development.
State Project Directorate (RUSA)
Yojna Bhawan (Nepal House Campus), Doranda, Ranchi- 834002

Advertisement No:-31 Dated:- 09-07-2019

Recruitment Notice

The State Project Directorate under Department of Higher, Technical Education & Skill Development intends to recruit Consultant RUSA (Dy. Project Leader) on Contractual basis for smooth functioning of **Rashtriya Ucchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)**, a Centrally Sponsored Scheme to support Jharkhand State Higher Education Council (JSHEC) governed by Jharkhand State Higher Education Council Act, 2016.

Applications are invited for the Post of Consultant RUSA (Dy. Project Leader) for rendering services to the position as detailed below:-

Sl No	Name of the post invited	No. of personnel to be engaged	Mode of recruitment	Emolument per month (In Rs)
1	Consultant RUSA (Dy. Project Leader)	01	Contractual	90,000 to 1,10,000

Qualification and Experience
Eligibility criteria
- MBA with a minimum of 60% marks in regular course only.
- Experience in working as a consultant in any of the Social Sector for a period of eight (08) years.
- Candidates having experience of Consultant in education will be given preference.
- Experience of preparing plan document and in implementation of Plan.
- Maximum age limit 50 years

Mode of Recruitment:
- On the basis of evaluation of marks in Academics, Relevant Work Experience and Interview.

Terms of Engagement:
1. Contractual recruitment will be made initially for a period of 03 years from the date of appointment. However, contract may be terminated in-case of unsatisfactory services. It may be extended depending upon the requirement of the Scheme.
2. Remuneration is negotiable subject to qualification and experience.
3. Last date for receiving of application is 30-07-2019 till 5.00 P.M.
4. The successful candidate will be required to execute contractual agreement.
5. 6 to 8 percent lump sum annual increase in remuneration would be made depending upon the satisfactory services of the selected candidate.

Mode of Application:
1. Interested candidates may apply in prescribed application format (available on www.rusajharkhand.com) along with all required certificate. The applications could be sent by email to jharkhandrusa@gmail.com or by Registered Post at office address before the last date.

Office Address:- RUSA Cell, Room No - 327, 3rd Floor,Yojna Bhawan (Nepal House Campus), Doranda, Ranchi, Jharkhand - 834002

2. All self certified supporting documents in terms of qualifications, Work Experience etc must be attached along with the application.
3. The list of short listed candidates will be uploaded on the website www.rusajharkhand.com
4. The short listed candidates would be called for personal interview in Ranchi. The date and time shall be communicated through email.
5. The Department reserves the right to cancel and postpone the recruitment. No claim shall be admissible in case of transport and logistics.

S/d
(Director)
Higher-cum-State Project Directorate (RUSA)
Govt. of Jharkhand

PR 211259 (Higher Education,Technical Education and Skill Development Department) 19-20 (D)

फिनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: दानी कॉर्पोरेट पार्क, 5वाँ तल, 158, सी.एस.टी. रोड, कलीना, सांताक्रुज (ई), मुंबई- 400098, टेली.: 022-67412314, फैक्स: 022-67412313
CIN: U67190MH2007PTC168303
ई-मेल: info@phoenixarc.co.in, वेबसाईट: www.phoenixarc.co.in

ऑनलाईन ई-नीलामी के लिये सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 (नियमावली) के नियम 8 एवं 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में तथा प्रतिभूत ऋणों की वसूली के लिए उक्त सरफैसी अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी में निहित शक्तियों के अनुसार यहां नीचे वर्णित ऋणधारक/ गारन्टर की प्रतिभूत परिसम्पत्ति के कब्जे के अनुपालन में प्राधिकृत अधिकारी ने नीलामी बिक्री द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री करने का फैसला किया है।

एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को तथा विशेष रूप से ऋणधारकों एवं गारंटरों को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संबंधित ट्रस्टों के ट्रस्टी की हैसियत में कार्यरत फिनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड (फिनिक्स) के पास गिरवी रखी गयी नीचे वर्णित सम्पत्ति (एसाइन्मेंट अनुबंध जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है के माध्यम से फिनिक्स के पक्ष में नीचे वर्णित विभिन्न बैंकों (एसाईनर बैंकों) के द्वारा ऋणों के एसाइन्मेन्ट के अनुपालन में) की वेबसाईट **https://www.bankeauctions.com** के माध्यम से प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित सरफैसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे वर्णित बकाए तथा आगे के ब्याज, शुल्कों एवं लागतों आदि की वसूली के लिए "ऑनलाइन ई-नीलामी" द्वारा "**जैसा है जहां है**" **आधार तथा** "**जो भी वहां है**" शर्त पर बिक्री की जाएगी।

मद सं. 1

ऋणधारक	नेट 4 कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (परिसमापन में) प्रतिनिधित्व द्वारा राजकीय परिसमापक, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय से सम्बद्ध, 9, पुराना डाकघर कार्यालय गली, 4था एवं 5वां तल, कोलकाता- 700001, पंजीकृत कार्यालय: प्लैट नं 3-ई, 20-बी, अब्दुल हमीद गली, ईस्ट इंडिया हाउस, कोलकाता- 700069
सह-देनदार/गारन्टर	1) स्व. श्री अमरजीत सिंह सॉहनी, प्रतिनिधित्व द्वारा उनके सांविधिक उत्तराधिकारियों 2) श्री जसजीत सिंह सॉहनी 3) नेट 4 इंडिया लिमिटेड
एसाइन्मेट का विवरण	एसाईनर बैंक- बैंक स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ट्रस्ट-फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 16-23, एसाइन्मेन्ट की तिथि: 28.3.2016

मांग सूचना तिथि 3.5.2014
1) फिनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड (फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई-16-23 के ट्रस्टी) (एसाईनी स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद): रु. 25,95,56,351.51 (रुपये पच्चीस करोड़ पंचानवे लाख छप्पन हजार तीन सौ इक्यावन तथा पैसे इक्यावन मात्र)
2) यनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया: रु. 18,02,27,238.98 (रुपये अठारह करोड़ दो लाख सत्ताईस हजार दो सौ अड़तीस एवं पैसे अन्ठानवे मात्र)
3) स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर: रु. 16,86,35,343.00 (रुपये सोलह करोड़ छियासी लाख पैंतीस हजार तीन सौ तैंतालिस मात्र)
कुल बकाया: 01.05.2014 को रु. 60,84,18,933.49 (रुपये साठ करोड़ चौरासी लाख अठारह हजार नौ सौ तैंतीस एवं पैसे उन्चास मात्र) तथा आगे का ब्याज, दंड ब्याज तथा अन्य लागत, चार्जेज, खर्चे आदि।)

अचल सम्पत्ति का विवरण: उनके कानूनी उत्तराधिकारी एवं श्रीमती पवन जोत कौर सॉहनी के माध्यम से स्व. श्री अमरजीत सिंह सॉहनी के स्वामित्व की सम्पत्ति (यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया तथा स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर में पैरी पस्सू)
प्लॉट नं. 70, 1ला तल, पूर्वी मार्ग, बसंत विहार, नई दिल्ली- 110057, माप 767 वर्ग यार्ड्स तथा कवर्ड एरिया 2868 वर्ग फीट तथा चौहद्दी इस प्रकार है: पूर्व: गली नं. एफ-9, पश्चिम: प्लॉट नं. 71, उत्तर: पूर्वी भाग, 80 फीट रोड, दक्षिण: 15 फीट चौड़ा सर्विस रोड।

कब्जे का विवरण	फीनिक्स के भौतिक कब्जे में
सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	26.7.2019 (शुक्रवार) 10.30 बजे पूर्वा. से 12.30 बजे अप.
आरक्षित मूल्य	रु. 7,70,32,000/- (रुपये सात करोड़ सत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र)
धरोहर राशि भुगतान	रु. 77,03,200/- (रुपये सतहत्तर लाख तीन हजार दो सौ मात्र)

ईएमडी प्रेषण का विवरण: बैंक खाता-"फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 16-23" चालू खाता: 0711733334
कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, शाखा: कलीना, मुम्बई, आईएफएससी कोड: KKBK0000631

बृद्धि मूल्य	रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	20.8.2019 (मंगलवार) 8 बजे अप. से पूर्व
ई-नीलामी की तिथि एवं समय	21.8.2019 (बुधवार) 11 बजे पूर्वा. से 12 बजे दोपहर

निविदा दस्तावेज का लिंक: http://phoenixarc.co.in/saleauction.php?id=NDM4

मद सं. 2

ऋणधारक का नाम	नेहा पॉलीमर्स
सह-देनदार/गारन्टर्स	1. हरिओम दत्त शर्मा, 2. नारायण दत्त
एसाइन्मेंट का विवरण	एसाईनर बैंक-कर्णाटका बैंक लिमिटेड : ट्रस्ट-फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 16-15 एसाइन्मेन्ट की तिथि: 28.12.2015

मांग सूचना: सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी मांग सूचना तिथि 2.8.2014 के अनुसार आगे के ब्याज, अन्य चार्जेज, लागत तथा खर्चे, के साथ रु. 1,51,24,978.50 (रुपए एक करोड़ इक्यावन लाख चौबीस हजार नौ सौ अठहत्तर एवं पैसे पचास मात्र।)

सम्पत्ति 2 : सम्पत्ति का विवरण: श्री नारायण दत्त के स्वामित्व में उस पर निर्मित भवन के साथ प्लॉट नं. 2, खसरा नं. 577/542/212/3 (नया नं. 768), शम्भू नगर (त्रिनगर), ग्राम चौकरी, मुबारकाबाद, दिल्ली में, माप 80 वर्ग यार्ड्स।

कब्जे का विवरण	फीनिक्स के भौतिक कब्जे में
सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	26.7.2019 (शुक्रवार) 2.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप.
आरक्षित मूल्य	रु. 69,00,000/-(रुपये उनहत्तर लाख मात्र)
धरोहर राशि भुगतान	रु. 6,90,000/-(रुपये छः लाख नब्बे हजार मात्र)

ईएमडी प्रेषण का विवरण: "फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 16-15" चालू खाता: 4911649020
कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, शाखा: कलीना, मुम्बई, आईएफएससी कोड: KKBK0000631

बोली वृद्धि	रु. 10,000.00 (रुपए दस हजार मात्र)
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	20.8.2019 (मंगलवार) 8 बजे अप. से पूर्व
ई-नीलामी की तिथि एवं समय	21.8.2019 (बुधवार) 11 बजे पूर्वा. से 12 बजे दोपहर

निविदा दस्तावेज का लिंक: http://phoneixarc.co.in/saleauction.php?id=NDM3

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें:
1. यह नीलामी बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी पद्धत्ति की मदद एवं माध्यम से सरफैसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। नीलामी/बिक्री केवल वेबसाईट http://www.bankeauctions.com के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति" में ही होगी। ई-नीलामी मंच की व्यवस्था करने के लिए **M/s C1 India Private Limited** सेवा प्रदाता है।
2. यह नीलामी बोली दस्तावेजों के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा उसमें निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोली दस्तावेजों, नीलामी पर रखी गई प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरणों/ बोली प्रपत्र प्राप्त करने के लिए बोलीदाता फिनिक्स की वेबसाईट www.phoenixarc.co.in तथा यहाँ ऊपर वर्णित प्रत्येक मद के संबंधित लिंकों के साथ-साथ सेवा प्रदाता की वेबसाईट www.bankeauctions.com देखें।
3. बोलीदाता अपने स्वयं के कार्यालय/ पसंद की जगह से ई-नीलामी कोटिंग/बोली में भाग ले सकते हैं। बोलीदाता को स्वयं ही इन्टरनेट कनैक्टिविटी की व्यवस्था करनी होगी। प्राधिकृत अधिकारी/ फिनिक्स/ सेवा प्रदाता इन्टरनेट कनैक्टिविटी, नेटवर्क की समस्या, सिस्टम की विफलता, बिजली आपूर्ति में बाधा आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. विवरणों, सहायता, ई-नीलामी, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता **M/s.C1India Private Limited के श्री हरीश गौड़ा, सम्पर्क नंम्बर:** 91-124-4302020/2021/2022/2013/2024, 91-9594597555/07291981124/25/26, **ई-मेल आईडी: support@bankeauctions.com** से सम्पर्क करें।
5. नीलामी में रखी गयी प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण की जांच करने/बोली प्रपत्र प्राप्त करने के लिए बोलीदाता फिनिक्स की वेबसाईट **www.phoenixarc.co.in** भी देख सकते हैं।
6. ई-नीलामी यहां ऊपर वर्णित तिथि एवं समय में आयोजित की जाएगी जब उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति की "**जैसा है जहां है आधार**" **तथा** "**जो भी वहां है**" शर्त पर बिक्री की जाएगी।
7. सभी इच्छुक क्रेताओं/ बोलीदाताओं को उपरोक्त पोर्टल http:// www.bankeauction.com पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा तथा उपरोक्त तिथि एवं समय को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए निशुल्क यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा।
8. ई नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को उपरोक्त ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि या पूर्व में पैन कार्ड, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों तथा पता के प्रमाण को प्रतियों के साथ प्रतिभूत परिसंपत्ति के आरक्षित मूल्य के 10% की प्रतिदेय धरोहर राशि के भुगतान के विवरणों को जमा करना होगा। इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को ऊपर वर्णित प्रत्येक मद के लिये अलग-अलग ईएमडी जमा करना होगा।
9. सफल क्रेता/ बोलीदाता को ऊपर वर्णित नीलामी की तिथि को बैंकिंग अवधि में या उससे पूर्व यहां ऊपर वर्णित खाता में आरटीजीएस/एनईएफटी के द्वारा अपने प्रस्ताव की 25% (ईएमडी सहित) राशि का भुगतान करना होगा जिस भुगतान की पुष्टि फिनिक्स द्वारा की जाएगी अन्यथा बिक्री को विफल मानी जाएगी तथा उक्त सफल क्रेता/ बोलीदाता की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
10. अन्य बोलीदाता जो ई-नीलामी में सफल नहीं होंगे, की ईएमडी नीलामी की समाप्ति के 48 घंटे के भीतर फिनिक्स द्वारा वापस लौटा दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
11. सफल क्रेता/ बोलीदाता को उक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति की बिक्री की पुष्टि के पंद्रहवें दिन या उससे पूर्व अथवा लिखित में स्वीकृत विस्तारित अवधि के भीतर क्रय मूल्य की शेष राशि का भुगतान करना होगा। डिफॉल्ट की स्थिति में उस समय तक जमा की गई सभी राशि जब्त कर ली जाएगी।
12. सम्पत्ति के निरीक्षण अथवा अधिक जानकारी के लिए संभावित बोलीदाता श्री पार्थ मिश्रा/ सुश्री पल्लवी चावान/ श्री जिमित त्रिवेदी से उपरोक्त पते पर अथवा parth-mishra@phoenixarc.co.in/ pallavi.chavan@phoenixarc.co.in/ jimit.trivedi@phoenixarc.co.in (ई मेल) या 08291950363/ 09167490366/ 07045417248 (मोबाईल) पर संपर्क कर सकते हैं।
13. नीलामी के किसी भी चरण में प्राधिकृत अधिकारी उसका कोई भी कारण बताए बिना तथा बिना किसी पूर्व सूचना के बोली/ प्रस्ताव को स्वीकार/ अस्वीकार/ संशोधित/ निरस्त या नीलामी को निलंबित कर सकते हैं।
14. लागू होने वाले कानून के अनुसार उनके/ अपने पक्ष में संपत्ति को प्राप्त करने के लिए सफल क्रेता/ बोलीदाता को जमा किए जाने के लिए वांछित किसी प्रकार के वैधानिक बकाए, कर, देय शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का वहन करना होगा।
15. सभी सांविधिक/ गैर-सांविधिक बकाये, कर, दर, गणना चार्जेज, सोसायटी के बकाये, शुल्क जो किसी भी समय में देय हो, के भुगतान के लिए केवल सफल क्रेता ही उत्तरदायी होंगे।
16. उनके पक्ष में अधिकारों के अंतरण के लिए सोसायटी/ किसी अन्य प्राधिकरण को देय किसी भी लागत/ खर्चे/ शुल्कों/ प्रभारों आदि के लिए सफल क्रेता/ बोलीदाता ही एकाकी रूप से उत्तरदायी होंगे।
17. ऋण धारक/ गारंटर्स जो उक्त बकाया राशि के देनदार हैं, वे उपरोक्त नीलामी बिक्री के आयोजन के विषय में प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली के नियम 8 (6) के अंतर्गत इस बिक्री सूचना को एक सूचना रूप में समझें।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
फिनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड
स्थान: दिल्ली
तिथि: 10.7.2019

एक दिन स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा

जम्मू, 9 जुलाई (भाषा)।

अमरनाथ यात्रा पूरे एक दिन स्थगित रहने के बाद मंगलवार को जम्मू से फिर शुरू हो गई। अधिकारियों ने बताया कि 5,964 श्रद्धालुओं का जत्था यहां के आधार शिविर से रवाना हुआ।

एक जुलाई को गांदरबल जिले के बालटाल और अनंतनाग जिले के पहलगाम मार्गों से शुरू हुई 46 दिवसीय यात्रा में शामिल होने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या सोमवार को एक लाख से ऊपर हो गई। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू के ज्यादातर हिस्सों में हो रही बारिश का सामना करते हुए 5,964 श्रद्धालुओं का नौवां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार सुबह भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। यह जत्था शाम को घाटी पहुंचेगा।

उन्होंने बताया कि इस जत्थे में सबसे अधिक श्रद्धालु थे, जिन्हें अब तक एक ही दिन इतनी संख्या में यात्रा के लिए रवाना किया गया। हिज्बुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर बुरहान वानी की तीसरी बरसी मनाने के लिए अलगाववादियों द्वारा घाटी में आहूत बंद के मद्देनजर यात्रा को सोमवार को स्थगित कर दिया गया था।

मंगलवार के जत्थे में 640 महिलाएं, 15 बच्चे और 286 साधुओं समेत 3,997 श्रद्धालु पारंपरिक 36 किलोमीटर लंबे मार्ग से तीर्थयात्रा करने के लिए पहलगाम जा रहे हैं, वहीं 403 महिलाओं, आठ बच्चों और 47 साधुओं समेत 1,967 श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था 14 किलोमीटर के बालटाल मार्ग से यात्रा करेगा।

पीएफ, पेंशन के लिए यूएएन को आधार से जोड़ने के खिलाफ याचिका दायर

चेन्नई, 9 जुलाई (भाषा)।

पेंशन और भविष्य निधि का लाभ पाने के लिए आधार को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) के साथ जोड़ने को अनिवार्य बनाने वाली अधिसूचना के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलीशा एबेनेजर ने याचिका में दावा किया है कि चार जनवरी, 2017 की यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 300 ए का उल्लंघन करने के चलते असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उलट है जिनमें स्पष्ट किया गया था कि आधार केवल समाज कल्याण योजनाओं एवं सबसिडी के लिए जरूरी है।

न्यायमूर्ति एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने याचिका स्वीकृत कर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को जवाब देने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि जनवरी, 2017 की अधिसूचना से पहले आधार का प्रयोग केवल उन सदस्यों तक सीमित था, जिन्हें पेंशन मिलनी शुरू हो गई है और उन्हें पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण-पत्र जमा करना होता था। हालांकि अधिसूचना के मद्देनजर पेंशन योजना के सभी सदस्यों को इस योजना में अपनी सदस्यता को जारी रखने के लिए उनके आधार को यूएएन के साथ जोड़ना जरूरी है।

अर्जुन सम्मान विजेता समेत कई राष्ट्रीय खिलाड़ी भाजपा में शामिल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 जुलाई।

अर्जुन अवार्ड विजेता जूडो खिलाड़ी यशपाल सोलंकी समेत कई राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने मंगलवार को भाजपा की सदस्यता ली। पार्टी में शामिल होने वाले अन्य प्रमुख खिलाड़ियों में अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी योगेश कादरिया, राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुमीत शुक्ला शामिल हैं।

इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी समेत पार्टी के अन्य नेता भी उपस्थित थे। 29 वर्षीय दिव्यांग लड़की दिशा मारू ने भी पार्टी की सदस्यता ली है।

आन्ध्रा बैंक ANDHRA BANK (A Govt. of India Undertaking)

एसएआरएम शाखा, कनॉट सर्कस (3102) एम-35, प्रथम तल,
आन्ध्रा बैंक का परिसर, कनॉट सर्कस शाखा, नई दिल्ली-110001
टेली. नं. 011-26569005/26536993

प्रतिभूति हित के प्रवर्तन के लिये अधिनियम 54 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना मांग सूचना

की ओर से: श्री प्रभात रंजन सिंह (प्राधिकृत अधिकारी) आन्ध्रा बैंक, 2002 के अधिनियम 54 के अंतर्गत, एसएआरएम शाखा, नई दिल्ली-110016

के लिये:

1. एडुकॉम्प इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड स्कूल मैनेजमेन्ट लिमिटेड (ऋणधारक, मार्टगैजर, हाइपोथेकेटर, शेयरों का गिरवी-कर्ता) (जानकारी के लिये)
   514, उद्योग विहार, फेज-III, गुड़गाँव-122001
2. शान्तनु प्रकाश (गारन्टर, निदेशक एवं शेयरों के गिरवी-कर्ता)
   सी-11/1, डीएलएफ सिटी फेज-I, गुड़गाँव-122002
3. श्री जगदीश प्रकाश (गारन्टर एवं निदेशक)
   सी-11/1, डीएलएफ सिटी फेज-I, गुड़गाँव-122002
4. स्ट्रोटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड (गारन्टर एवं मार्टगैजर)
   1211, पदमा टावर-I, 5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
5. बोस्टन रीअलटेक प्राईवेट लिमिटेड (गारन्टर, हाइपोथेकेटर)
   802, पदमा टावर-I, 5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
6. एवरग्रीन रीअलटेक प्राईवेट लिमिटेड (गारन्टर, मार्टगैजर एवं हाइपोथेकेटर)
   एल-74, महिपालपुर एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110037
7. ग्रिडर इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड (गारन्टर, मार्टगैजर एवं हाइपोथेकेटर)
   एल-74, महिपालपुर एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110037
8. हेरोल्ड प्राईवेट लिमिटेड (गारन्टर, मार्टगैजर एवं हाइपोथेकेटर)
   1211, पदमा टावर-I, 5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
9. हाइड्रेम कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड (गारन्टर, मार्टगैजर हाइपोथेकेटर)
   एल-74, महिपालपुर एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110037
10. लेजरविजन, इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड (गारन्टर, मार्टगैजर एवं हाइपोथेकेटर)
    802, पदमा टावर-I, 5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
11. लीडिंग एड्ज इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड (गारन्टर, मार्टगैजर एवं हाइपोथेकेटर)
    802, पदमा टावर-I, 5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
12. मार्कस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड (गारन्टर, मार्टगैजर एवं हाइपोथेकेटर)
    1211, पदमा टावर-I, 5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
13. मॉडजेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड (गारन्टर, मार्टगैजर हाइपोथेकेटर)
    एल-74, महिपालपुर एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110037
14. न्यू जोन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड (गारन्टर, मार्टगैजर एवं हाइपोथेकेटर)
    1211, पदमा टावर-I, 5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
15. ओनेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड (गारन्टर, मार्टगैजर एवं हाइपोथेकेटर)
    एल-74, महिपालपुर एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110037
16. रॉकस्ट्रांग इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड (गारन्टर, मार्टगैजर एवं हाइपोथेकेटर)
    1211, पदमा टावर-1, 5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
17. वर्च्युअल बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड (गान्टर, मार्टगैजर एवं हाइपोथेकेटर)
    802, पदमा टावर-I, 5 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
18. क्रॉसहोम डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (गारन्टर एवं हाइपोथेकेटर)
    एल-74, महिपालपुर एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110037
19. जीता बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड (गारन्टर एवं हाइपोथेकेटर)
    802, पदमा टावर-I, 5 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
20. रेवेरी इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड (गारन्टर एवं हाइपोथेकेटर)
    1211, पदमा टावर-I, 5 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
21. फाल्केट बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड (गारन्टर एवं हाइपोथेकेटर)
    1211, पदमा टावर-I, 5 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
22. ग्रोजोन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड (गारन्टर एवं हाइपोथेकेटर)
    802, पदमा टावर-I, 5 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
23. गुडलक स्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड (गारन्टर एवं हाइपोथेकेटर)
    802, पदमा टावर-I, 5 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
24. रिचमांड एजुकेशनल सोसायटी (मार्टगैजर एवं हाइपोथेकेटर)
    ए-52, सेक्टर-4, नोएडा, उत्तर प्रदेश
25. लर्निंग लीडरशिप फाउण्डेशन (मार्टगैजर एवं हाइपोथेकेटर)
    1208, पदमा टावर 5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
26. विद्या प्रभात स्कूल ट्रस्ट (हाइपोथेकेटर)
    802, पदमा टावर-I, 5 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
27. श्री सत्य साई एजुकेशनल ट्रस्ट (हाइपोथेकेटर)
    सी-10, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110049
28. श्याम सुन्दर एजुकेशनल ट्रस्ट (हाइपोथेकेटर)
    सी-10, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110049
29. सूर्य किरण एजुकेशनल ट्रस्ट (हाइपोथेकेटर)
    सी-10, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110049
30. श्री लक्ष्मी गणेश एजुकेशनल ट्रस्ट (हाइपोथेकेटर)
    सी-10, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110049
31. सियाराम एजुकेशनल ट्रस्ट (हाइपोथेकेटर)
    803, पदमा टावर-I, 5 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
32. श्री लक्ष्मी नारायण एजुकेशनल ट्रस्ट (हाइपोथेकेटर)
    803, पदमा टावर-I, 5 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
33. श्री राधे रमण एजुकेशनल ट्रस्ट (हाइपोथेकेटर)
    802, पदमा टावर-I, 5 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
34. श्री राधे एजुकेशनल ट्रस्ट (हाइपोथेकेटर)
    सी-10, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110049
35. श्री राधे कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट (हाइपोथेकेटर)
    सी-10, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110049
36. श्री नाथ एजुकेशन सोसायटी, सिलॉड (हाईपोथेकेटर)
    सिलॉड, अम्बिका मशीनरी, सर्राफा मार्केट, सिल्ड जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र-431001
37. श्री कृष्ण हरे एजुकेशनल ट्रस्ट (हाइपोथेकेटर)
    802, पदमा टावर-I, 5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
38. श्री हरे एजुकेशनल ट्रस्ट (हाइपोथेकेटर)
    सी-10, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110049
39. सम्बृद्धि एजुकेशनल ट्रस्ट (हाइपोथेकेटर)
    डब्ल्यू जेड-743 बी, बाटा चौक, पालम गॉव, नई दिल्ली-110045
40. नवीन शिक्षा एजुकेशनल ट्रस्ट (हाइपोथेकेटर)
    801, पदमा टावर-I, 5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
41. मसूरी इन्टरनेशनल स्कूल सोसायटी (हाइपोथेकेटर) श्रीनगर इस्टेट, पोलो ग्राउण्ड के नीचे, मसूरी, जिला देहरादून, उत्तराखंड
42. मौर्या एजुकेशनल ट्रस्ट (हाइपोथेकेटर)
    79, अनुपम अपार्टमेन्ट्स, एमबी रोड, नई दिल्ली-110068
    साथ हीः 802, पदमा टावर-I, 5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
43. ज्ञान कुंज एजुकेशनल ट्रस्ट (हाइपोथेकेटर)
    सी-10, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110049
44. भक्ति सागर स्कूल ट्रस्ट (हाइपोथेकेटर)
    802, पदमा टावर-I, 5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
45. बाल शिक्षा एजुकेशनल ट्रस्ट (हाइपोथेकेटर)
    सी-10, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110049
46. विज्ञान एजुकेशनल ट्रस्ट (हाइपोथेकेटर)
    802, पदमा टावर-I, 5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
47. ऑरलैण्डो बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड (हाइपोथेकेटर)
    एल-74, महिपालपुर एक्स्टेंशन, नई दिल्ली, दिल्ली-110037
48. शिक्षा भारती एजुकेशनल ट्रस्ट (हाइपोथेकेटर)
    सी-10, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110049
49. एडुकॉम्प एपीएसी सर्विसेस लिमिटेड (हाइपोथेकेटर)
    2रा तल, एबॉट बिल्डिंग, रोड टाउन, टोर्टोला, ब्रिटिश वर्जिन आइलैण्ड्स
50. एडुकॉम्प इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड (हाइपोथेकेटर)
    1211, पदमा टावर-I, 5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
51. अंजली प्रकाश (शेयरों के गिरवी-कर्ता)
    सी-11/1, डीएलएफ सिटी, फेज-1, गुड़गाँव-122002
52. एडुकॉम्प स्कूल मैनेजमेन्ट लिमिटेड (शेयरों के गिरवी-कर्ता)
    1211, पदमा टावर-I, 5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

महोदय/महोदया,

कृपया ध्यान रहे कि एड्रेसी नं. 1 ने बैंक से अधोलिखित साख सुविधाएं प्राप्त की हैं:

क्रम सं.	सुविधा/ऋण	लिमिट (रु.)	दौरान	31.3.2019 को बकाया (रु.)
1.	सावधि ऋण खाताः 016230100000946	750000000.00	2009-2019	73,60,12,469.67

परिशिष्ट 1 में वर्णित परिसम्पत्तियों के हापोथेकेशन तथा परिशिष्ट 11 में वर्णित सम्पत्तियों को गिरवी रख कर।

चूंकि एड्रेसी नं. 1 ने मूलधन ऋण/सुविधा एवं अथवा किस्तों/ब्याज अथवा दोनों के भुगतान में चूक की है एवं/अथवा आरबीआई मानकों से अधिक समय तक निष्क्रिय रहा है, अतः 31.12.2013 को इस खाता को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है तथा आप सभी संयुक्त एवं अथवा पृथक रूप से अनुबंधों के अनुसार पारवर्ती ब्याज के साथ 31.3.2019 को रु. 736012469.67 (रूपये तिहत्तर करोड़ साठ लाख बारह हजार चार सौ उन्हत्तर एवं पैसे सड़सठ मात्र) की राशि का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं।

आपको इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर अद्यतित ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसकी विकलता पर, बैंक को ऊपर दिए गए दृष्टिबंधक/बंधक संपत्तियों के खिलाफ अदालत के हस्तक्षेप के बिना, राशि वसूलने के लिए निम्नलिखित उपायों में से एक या अधिक लेने के लिए बाध्य किया जाएगा, जैसे कि वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (54 ऑफ 2002) के तहत प्रदान किया गया; यानी

1. सुरक्षित संपत्ति की उगाही करने के लिए लीज, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार सहित उधारकर्ता की सुरक्षित संपत्तियों का अधिकार लेना;
2. उधारकर्ता की सुरक्षित संपत्तियों का प्रबंधन अधिग्रहण, जिसमें लीज, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से स्थानांतरित करने का अधिकार शामिल है और सुरक्षित संपत्ति का अधिग्रहण करना;
3. सुरक्षित लेनदार द्वारा लिया गया सुरक्षित संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए किसी भी व्यक्ति (जो प्रबंधक के रूप में जाना जाता है) को नियुक्त करना;
4. उधारकर्ता से किसी भी सुरक्षित संपत्ति को हासिल करने वाले किसी भी व्यक्ति को लिखित में नोटिस द्वारा किसी भी समय आवश्यकता होती है और जिसके द्वारा कोई भी उधारकर्ता के कारण कोई भी धन होता है, सुरक्षित लेनदार या भुगतान करने के लिए, जितना पैसा पर्याप्त होता है सुरक्षित ऋण का भुगतान करने के लिए।

कृपया ध्यान दें कि इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, आप बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना नोटिस में उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों में से किसी एक को बिक्री, पट्टा या अन्यथा स्थानांतरित नहीं करेंगे। उपरोक्त कार्रवाई को करने के लिए किए गए शुल्क, बिक्री आय से किए जाएंगे और यदि बिक्री की आय बैंक की पूरी राशि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त पाई जाती है, शेष राशि के लिए सरफैसी अधिनियम 2002 के अधिनियम 54 तथा अन्य किसी अधिनियम में प्रदान की गई उचित कानूनी कार्रवाई या आवश्यक समझा जाने वाला कोई भी अन्य अधिनियम आपके खिलाफ लिया जाएगा, जो आप सभी को संयुक्त रूप से और अलग अलग लागत और इसके परिणामों के लिए उत्तरदायी बनाएगा। यह नोट किया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के तहत, बैंक द्वारा की गई सभी लागतों, शुल्कों और व्यय, किसी भी समय, नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले, सार्वजनिक नीलामी के लिए या उद्धरण आमंत्रित करने या सार्वजनिक या निजी संधि से निविदा के लिए निविदा के माध्यम से बैंक की देय राशि का भुगतान करके सुरक्षित संपत्तियों का पट्टा, असाइनमेंट या बिक्री से छुटकारा का अधिकार आपके लिए उपलब्ध है- यह नोटिस किसी भी अन्य कानून के तहत उपलब्ध बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना जारी किया गया है।

मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
आन्ध्रा बैंक

ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लि.
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
CIN : U27310WB1920GOI003601
"कंकड़िया सेन्टर", (4था एवं 5वाँ तल), 2/1, रसेल स्ट्रीट, कोल-71

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

निम्नलिखित कार्य के लिये प्रख्यात् साधन-सम्पन्न तथा अनुभवी पार्टियों जो आवश्यक योग्यता मानदंडों को पूरा करते हों, से दो भाग प्रणाली में वस्तु दर प्रस्ताव(वों) आमंत्रित हैं:

क्रम सं.	कार्य का विवरण तथा एनआईटी सं. बीएंड आर/ईआरई/71061/बीएलआर-आरपी/एनसी/05 तिथि 09.07.2019	निविदा दस्तावेज बीएआर की वेबसाईट पर उपलब्ध है	बोली जमा करने की नियत तिथि
1.	यूनिट (स्टेज III) 1x800 मे.वा., उत्तर चेन्नई आधारित सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रॉजेक्ट, तमिलनाडु की सभी दृष्टियों से पूर्ण क्लाइन्ट्स के स्टोर/यार्ड से ईरैक्शन साइट तक सामग्री का संग्रहण एवं परिवहन, बैलैंस बॉयलर प्रेसर पार्ट, नान प्रेसर पार्ट तथा ऑक्जिलरी बॉयलर आदि का ईरैक्शन, एलाइन्मेन्ट, वेल्डिंग, परीक्षण, पैन्टिंग एवं प्रचालनारम्भ, ट्रॉयल प्रचालन तथा सुपूर्दगी।	9.7.2019	23.7.2019

इच्छुक साधन-सम्पन्न ठेकेदार क. की वेबसाईट **http://www.bridgeroof.co.in** से निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं। शुद्धिपत्र/संबर्धन, यदि कोई हो, केवल क. की वेबसाईट : **http://www.bridgeroof.co.in** पर ही प्रकाशित की जायेगी।

भारतीय स्टेट बैंक
आरएसीपीसी-सह-एसएआरसी फरीदाबाद
एससीओ-98, प्रथम एवं द्वितीय तल, सैक्टर-16 मार्केट, फरीदाबाद,
फोन: 0129-2289222, फैक्स: 0129-2290222

कब्जा सूचना

चूंकि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (अधिनियम), 2002 के प्रवर्तन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-सह-एसएआरसी फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 01.06.2018 जारी की जिसमें कर्जदारों/गारंटरों श्रीमती एकता दास और श्री सजल भटनागर निवासी मकान नं. 1202, टॉवर-एम, बीपीटीपी पार्क ग्रेंडयूरा, सैक्टर-82, फरीदाबाद-121002 को कथित सूचना में उल्लिखित राशि रु. 70,51,812.00 (सत्तर लाख एकावन हजार आठ सौ बारह रुपए) + 01.06.2018 से ब्याज और उस पर उपार्जित व्यय, लागत एवं प्रभार का पुनर्भुगतान कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया।

कर्जदार/गारंटर खाता सं. 35500092937 एवं 35499948796 के जरिए राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहे हैं इसलिए एतद्द्वारा विशेषकर कर्जदारों/गारंटरों एवं आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा 4 जुलाई, 2019 को ले लिया है।

विशेषकर कर्जदारों/गारंटरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति का लेनदेन न करें और कथित सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन भारतीय स्टेट बैंक को 03.07.2019 को रु. 70,21,872 (सत्तर लाख एक्कीस हजार आठ सौ बहत्तर रुपए) + 04.07.2019 से ब्याज और उस पर उपार्जित व्यय, लागत एवं प्रभार का भुगतान करने के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती एकता दास पत्नी श्री सजल भटनागर और श्री सजल भटनागर के नाम पर सम्पत्ति मकान नं. फ्लैट नं. 1202, 12वां तल, टॉवर-एम, बीपीटीपी पार्क ग्रेंडयूरा, सैक्टर-82, फरीदाबाद, एरिया परिमाप 2032 वर्ग फीट से शामिल सम्पत्ति।

तिथि: 08.07.2019
स्थान: फरीदाबाद

प्राधिकृत अधिकारी
भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-सह-एसएआरसी

फ़ोनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 5वां तल 158 दानी कॉर्पोरेट पार्क
सी.एस.टी रोड, कलिना, सांताक्रूज़ (ई), मुंबई -400098

एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

आप नीचे उल्लिखित कर्जदारों और सह-कर्जदारों ने अपनी अचल संपत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी रखकर बैंक/वित्तीय संस्थान से ऋण(ओं) का लाभ उठाया है और आप इसका पुनर्भुगतान करने में असफल रहे हैं। आपकी ओर से पुनर्भुगतान में चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋणों को नॉन-परफार्मिंग एसेटस के रूप में वर्गीकृत किया गया है और फ़ोनिक्स आर्क ने (नीचे तालिका में वर्णित संबंधित विवरण के न्यासी के रूप में), प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्ति के पुनर्निर्माण की धारा 13(2) और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत उक्त असाइनमेंट का अनुसरण करते हुए बकाया राशि की वसूली और उल्लिखित असाइनमेंट के अलग-अलग दस्तावेज़ के माध्यम से सभी अधिकार, हक विलेख और ब्याज के साथ ऋण खाते, लाभ प्राप्तियों के अधीन फ़ोनिक्स आर्क ने कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमए 2002 की धारा 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के तरहत इस विषय पर वैकल्पिक सेवा के माध्यम से यह सूचना प्रकाशित की जा रही है।

उक्त धारा 13(2) के तहत कर्जदारों, सह-कर्जदारों, प्रतिभूतियों, ऋणदाता, बकाया राशि का विवरण, भेजी गई मांग सूचना और दावा की गई राशि का विवरण निम्नानुसार दिया गया हैः

क्र. सं.	कर्जदारों, सह-कर्जदारों का नाम और पता, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	1. ऋणदाता का नाम 2. असाइनमेंट की तिथि 3. फोनिक्स ट्रस्ट का नाम 4. मांग सूचना की तिथि 5. बकाया राशि रु. में
1.	श्री सुरेंद्र सोनी पुत्र श्री हरिओम और श्री महेंद्र सोनी पुत्र श्री हरिओम और श्रीमती भारती सोनी पत्नी श्री सुरेंद्र सोनी सभीः 1/5161 गली नंबर 6, बलबीर नगर, शाहदरा, ऋण खाता न.: 15494699. ऋण स्वीकृत राशिः रु. 20,95,000/- (केवल बीस लाख पंचनबे हजार रुपए)	1/5161 प्लॉट नं-12 और 14 के सभी भाग एवं हिस्से, भूमि का क्षेत्रफल 100 वर्ग यार्ड (20.4 फीट * 44.5 फीट) खसरा नं-2262/224 गोपाल ब्लॉक गली- 6 बलबीर इलाका शाहदरा दिल्ली-32 के अबादी में ग्राम सिकदर पुर में स्थित है। संपत्ति निम्नानुसार घिरी है : उत्तर में: श्री अशोक आनंद की संपत्ति, दक्षिणः श्रीमती शीला श्रीवास्तव की संपत्ति नंबर-1/5161 का हिस्सा, पूर्वः सड़क 20 फीट चौड़ा, पश्चिमः अन्य की संपत्ति। कर्जदार का नामः श्रीमती भारती सोनी पत्नी श्री सुरेंद्र सोनी	1. सिटी फाइनेंसियल कंस्यूमर फाइनेंस इंडिया लिमिटेड (CCFIL) 2. 19.12.2014 3. फोनिक्स ट्रस्ट वि.व. 15-19 4. 29.03.2019 5. रु. 20,36,177 /- (रूपये बीस लाख छत्तीस हजार एक सौ सत्तत्तर केवल) देय और 09.09.2016 तक लागू ब्याज के साथ 10.09.2016 से भुगतान पूर्ण होने तक देय।
2.	श्रीमती अनुराधा भल्ला पत्नी श्री पंकज भल्ला और श्री पंकज भल्ला पुत्र श्री इंदर देव भल्ला और श्रीमती नंदी भल्ला पत्नी श्री आईडी भल्ला और श्रीमती प्रभा सचदेवा पत्नी श्री सुभाष सचदेवा और श्री सुभाष सचदेवा पुत्र स्वर्गीय मदन लाल, आवास : बी-143, सरिता विहार, नई दिल्ली- 110044 और सभी यहाँ भीः एम/एस अंजलि (पार्टनर श्रीमती अनुराधा भल्ला के माध्यम से) बी-106, गोल्फ लिंक्स, सेक्टर-40, नोएडा, उत्तर प्रदेश -20101, ऋण खाता संख्याः 14871200, ऋण स्वीकृत राशिः रु. 28,87,000/- (रुपए अटठाईस लाख सत्तासी हजार केवल)	सरिता विहार, नई दिल्ली-110044 के लेआउट प्लान में फ्लैट नंबर 143, ब्लॉक नंबर बी, फ्लोर नंबर एस एंड टी के सभी भाग एवं हिस्से, कर्जदार का नामः श्रीमती नंदी भल्ला पत्नी श्री आईडी भल्ला।	1. रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (RFL) 2. 15.10.2018 3. फोनिक्स ट्रस्ट वि. वर्ष 19-5 स्कीम K 4. 08.05.2019 5. रू..43,29,319/- (रुपए तिरालिस लाख उन्नतीस हजार तीन सौ उन्नीस) केवल देय और पूर्ण भुगतान तक 09.05.2019 से लागू ब्याज के साथ 08.05.2019 तक देय।
3.	श्री कुलदीप कुमार और आशिमा सिंह पत्नी कुलदीप कुमार दोनों का निवासः 414 शुभम अपार्टमेंट, ओल्ड मथुरा आगरा रोड, हलवाई की बागीची, सिविल लाइन, आगरा, यूपी -282002 और श्री कुलदीप कुमार यहाँ भी निवास : एकेएस इंटरप्राइजेज शॉप नंबर 1 ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नंबर-5, जूता मार्केट, संजय प्लेस, आगरा -282002 और श्री कुलदीप कुमार यहाँ भी निवासः शॉप नंबर 11, 2 मंजिल खंड नंबर 25, जूता मार्केट संजय प्लेस, आगरा- 282002, ऋण खाता संख्याः 4610HL42944635 और 461PFH42946770, स्वीकृत ऋण राशि रु. 57,54,000/- (रुपए सत्तावन लाख चौवन हजार केवल)	मोहला / ग्राम हस्तिपुरम योजनाए फेज- I, वार्ड परगना लोहा मंडी सदर तहसील आगरा, आगरा -282007 में स्थित एक मंज़िला MIG हाउस नंब., - 151, क्षेत्रफल- 24 फीट X 54 फीट, I.E., 144 वर्ग गज, परिपाम- 120.39 वर्गमीटर। संपत्ति निम्नानुसार घिरी हैः : पूर्व - अदा की शेष भूमि, पश्चिम - MIG हाउस नं .50, उत्तर - MIG माकन सं .152, दक्षिण - 12.19 मीटर चौड़ा रास्ता। कर्जदार का नामः श्रीमती आशिमा सिंह पत्नी श्री कुलदीप कुमार	1. बजाज फाइनेंस लिमिटेड (BFL) 2. 03.12.2018 3. फीनिक्स ट्रस्ट वित्त वर्ष 19-5 योजना 4. 17.06.2019 5. रू. 66,15,858/- (छाछट लाख पंद्रह हजार आठ सौ अट्ठावन रूपए मात्र) देय और 8.06.2019 से लागू ब्याज सहित 17.06.20191 तक पूर्ण भुगतान देय ।

इसलिए आप कर्जदारों और सह-कर्जदारों को उपरोक्त मांग के अनुसार उपरोक्त निर्दिष्ट राशि पर ब्याज सहित उक्त बकाया राशि का भुगतान इस मांग सूचना के 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा जाता है, इसमें असफल होने पर अधोहस्ताक्षरी उपर्युक्त प्रतिभूतियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत कार्रवाई करने के लिए विवश होगें। अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (8) के प्रावधानों के तहत आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके आधार पर आप उपरोक्त प्रावधान में निर्धारित अवधि के भीतर सुरक्षित संपत्ति को छुड़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको हमारी सहमति के बिना सम्पत्ति की बिक्री, पट्टे या अन्यथा उपर्युक्त प्रतिभूतियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

स्थान : दिल्ली, दिनांकः 28.06.2019 — **कृते फ़ोनिक्स आर्क प्राइवेट लिमिटेड, अधिकृत अधिकारी**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

[परिशिष्ट- IV ए (नियम 8(6)/9(1) का प्रावधान देखें)]
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के परंतुक 8 (6)/9 (1) के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदारों और गारंटरों को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी गई निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका भौतिक कब्जा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रत्याभूत क्रेडिटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, निम्नवर्णित कर्जदारों तथा गारंटरों से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रत्याभूत क्रेडिटर) नीचे उल्लिखित बकाया राशि की वसूली के लिए संविदात्मक ब्याज और लागत आदि पर आगे ब्याज के साथ **"जैसी है जहां है", "जो है जैसी है", "जो भी है वहां है"** आधार पर 26-07-2019 (शुक्रवार) को बेची जाएगी। नीलामी का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	प्रत्याभूत क्रेडिटर का नाम, एवं पता / प्राधिकारी अधिकारी का विवरण	ऋणी/गारंटर का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	ऋण देय रुपये में	सुरक्षित मूल्य	धरोहर राशि (10%)
1.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रोहिणी सेक्टर-16 ब्रांच फो.न. 011-27573662. ईमेल cbsrohinisec16@unionbankofindia.com श्री अशोक कुमार 8569816777	इजहार-उल-हक और जिशान-उल-हक	फ्लैट नं. ई-670, गली नं. 3, एलआईजी फ्लैट, छत के अधिकार के साथ तीसरा तल, मस्जिद वाली गली, बाबरपुर, शाहदरा, दिल्ली-110032	रु. 29,35,312.80 पैसे + ब्याज एवं लागत	रु. 8,42,000/-	रु. 84,200/-
2.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रोहिणी सेक्टर-16 ब्रांच फो.न. 011-27573662. ईमेल cbsrohinisec16@unionbankofindia.com श्री अशोक कुमार 8569816777	अनिल कुमार झा और अर्चना झा	सम्पत्ति सं. 272/2, दूसरा तल खसरा नं. 316, गली नं. 12, भजन पुरा, दिल्ली-110053	रु. 33,89,919.02 पैसे + ब्याज एवं लागत	रु. 23,85,000/-	रु. 2,39,000/-
3.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रोहिणी सेक्टर-16 ब्रांच फो.न. 011-27573662. ईमेल cbsrohinisec16@unionbankofindia.com श्री अशोक कुमार 8569816777	फूल जहाँ और शान मोहम्मद	सम्पत्ति सं. मकान नं. दूसरा तल, छत के अधिकार के बिना, एमआईजी फ्लैट, सम्पत्ति सं. ए-48, गली नं. 1, ब्लॉक-ए खसरा नं. 42/1, कबीर नगर इलाका, शाहदरा, दिल्ली-110024	रु. 28,90,410.80 पैसे + ब्याज एवं लागत	रु. 15,00,000/-	रु. 1,50,000/-
4.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मौर्या एन्क्लेव ब्रांच फो. नं. - 011 27325682 ईमेल : maurya@unionbankofindia.com श्री अशोक कुमार 8569816777	श्री विनोद तिवारी और श्री वेद प्रकाश शर्मा	आवासीय सम्पत्ति सं. 133, प्रथम तल, सेक्टर 22, रोहिणी, दिल्ली-110085, माप 28 वर्ग मी.	रु. 20,70,167.80 पैसे + ब्याज एवं लागत	रु. 16,00,000/-	रु. 1,60,000/-
5.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मौर्या एन्क्लेव ब्रांच फो. नं. - 011 27325682 ईमेल : maurya@unionbankofindia.com श्री अशोक कुमार 8569816777	श्रीमती पूनम चड्ढा और श्रीमती नीतू दुदेजा	आवासीय फ्लैट नं. 100, भूतल, पॉकेट-8, सेक्टर-23, रोहिणी, दिल्ली-110085, माप 32 वर्ग मी.	रु. 23,09,109.80 पैसे + ब्याज एवं लागत	रु. 16,25,000/-	रु. 1,63,000/-
6.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मौर्या एन्क्लेव ब्रांच फो. नं. - 011 27325682 ईमेल : maurya@unionbankofindia.com श्री अशोक कुमार 8569816777	नीरू और गौरव	मकान सं. 257, माप 28 वर्ग मी. तीसरा तल, छत के अधिकार के साथ तथा पॉकेट-1, सेक्टर 25, रोहिणी, दिल्ली-110085 में 7 वर्ग मी. के एरिया का आनुपातिक भूमि।	रु. 21,36,351.58 पैसे + ब्याज एवं लागत	रु. 22,00,000/-	रु. 2,20,000/-
7.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, चन्दर नगर ब्रांच फो. नं. - 011-22547739 ईमेल : chandernagar@unionbankofindia.com श्री पंकज कुमार 7738313367	मैसर्स माँ कालका ट्रेडर्स स्वामी श्री सुरेन्द्र चौहान	आवासीय सम्पत्ति फ्लैट नं. एच-3/13, 2रा तल, माप 117.33 वर्ग यार्ड्स अथवा 98 वर्ग मी. (कवर्ड एरिया 85.64 वर्ग मी. जो कृष्णानगर, दिल्ली-110051 में सुरेन्दर चौहान के नाम में है।)	रु. 50,78,069.22 पैसे + ब्याज एवं लागत	रु. 68,00,000/-	रु. 6,80,000/-

ऑनलाइन ई-नीलामी वेबसाइट **www.bankeauctions.com** के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।
संपर्क सूत्र – विनोद, मोबाइल सं. +91-9813887931, हेल्प लाइन संपर्क सं. +91-1244302020-24; ई-मेल आईडी support@bankeauctions.com

ई-नीलामी की तिथि: 26.07.2019 (शुक्रवार) पूर्वाह्न 11.00 बजे से अप. 1.00 बजे के मध्य
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 25.07.2019 (गुरुवार) या उससे पहले शाम 5.00 बजे तक

विवरण के नियम और शर्तों के लिए कृपया दिए गए लिंक का संदर्भ लें www.unionbankofindia.co.in
इसे उपरोक्त निर्दिष्ट तिथि को ई-नीलामी के बिक्री के आयोजन के बारे में निम्न कथित ऋण के कर्जदारों तथा गारंटीदाताओं के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8 (6) एवं नियम 9 (1) के अंतर्गत सूचना के रूप में भी समझा जायेगा।

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Navratna Undertaking of Govt. of India)
(CIN: L63011DL1988GOI030915)
Regd. Office & Investors Relation Centre: CONCOR Bhawan, C-3, Mathura Road, New Delhi-110076
Phone: 91-11-41673093/94/95/96, Fax: 91-11-41673112 www.concorindia.com

ई-निविदा सूचना आमंत्रण सूचना

कॉनकॉर द्वारा निम्न कार्य के लिये निविदा की एक पैकेट प्रणाली में खुली ई-निविदा आमंत्रित हैः

निविदा सं.	सीओएन/ईपी/एमएमएलपी/एमआईएचएएन/सीसी-पेवमेन्ट एराउण्ड डब्ल्यूएच/2019
कार्य का नामः	एमएमएलपी, मिहान (नागपुर) में गेट कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के सामने बेअरहाउस नं. 3 (बी 4) एवं 4 (बी6), सम्पर्क सड़क के चारों ओर सीसी पेवमेन्ट(पीक्यूसी) का निर्माण तथा अन्य संबंधित कार्य।
अनुमानित लागत	रु. 994.54 लाख
पूर्णता अवधि	10 (दस)
धरोहर राशि भुगतान	रु. 6,47,270/- (ई-भुगतान द्वारा)
निविदा दस्तावेज मूल्य (अ-प्रतिदेय)	रु. 1000/- (सभी करों एवं शुल्कों सहित) (ई-भुगतान द्वारा)
निविदा प्रॉसेसिंग शुल्क	रु. 5310/- (सभी करों एवं शुल्कों सहित) (ई-भुगतान द्वारा)
निविदा बिक्री तिथि (ऑनलाइन)	10.7.2019 (11.00 बजे) से 31.07.2019 (17.00 बजे तक)
निविदा जमा करने की तिथि एवं समय	2.8.2019 के 17.00 बजे
निविदा खुलने की तिथि एवं समय	5.8.2019 के 11.30 बजे

वित्तीय पात्रता मानदंड, समान प्रकार के कार्यों से संबंधित अनुभव आदि के लिये कृपया वेबसाईट www.concorindia.com पर उपलब्ध विस्तृत निविदा सूचना देखें, लेकिन सम्पूर्ण निविदा दस्तावेज वेबसाईट www.tenderwizard.com/CCIL से ही डाउनलोड की जा सकती है। आगे, इस निविदा में शुद्धि पत्र/संबर्धन, यदि कोई हो, केवल वेबसाईट www.concorindia.com, www.tenderwizard.com/CCIL तथा केन्द्रीय प्राप्ण पोर्टल (सीपीपी) से ही डाउनलोड की जा सकती है। इसके लिये समाचार पत्र में प्रेस विज्ञापन जारी नहीं की जायेगी।

ग्रुप महा प्रबंधक (ईसी)
फोन नं.: 011-41673093-96

CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Navratna Undertaking of Govt. of India)
(CIN: L63011DL1988GOI030915)
Regd. Office & Investors Relation Centre: CONCOR Bhawan, C-3, Mathura Road, New Delhi-110076
Phone: 91-11-41673093/94/95/96, Fax: 91-11-41673112 www.concorindia.com

(केवल ई-निविदा पद्धति में)

निविदा सूचनाः सीओएन/आईटी/2427/19/01

केवल ई-निविदा पद्धति के माध्यम से कॉनकॉर के कॉर्पोरेट कार्यालय/सेन्ट्रल साईट, नई दिल्ली में एक वर्ष की वारन्टी, चार वर्षों के एएमसी तथा एटीएस सपोर्ट के साथ इन्क्रीमेन्टल हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के साथ टर्न की आधार पर उसके मोबाईल एप्लिकेशन के एचआर पेरॉल, एम्प्लाई पोर्टल, आनलाइन विजिलैन्स क्लीयरैन्स सिस्टम तथा विकास के लिये ऑन-प्रेमाईज सॉफ्टवेयर के प्रोन्नयण के लिये दो बोली प्रणाली में ऑन लाइन खुली निविदायें आमंत्रित है। बोलीदस्तावेज वेबसाईट (www.tenderwizard.com/CCIL)से हीं डाउनलोड की जा सकती है।

अनुमानित लागत	रु. 149603158.90
पूर्णाता अवधि	210 दिन (आपूर्ति, संस्थापन, कमीशनिंग, एकीकरण, कार्यान्वयन, परीक्षण, प्रवासन, गो-लाइन, स्वीकृति तथा एक माह के सफल संचालन की अवधि), एक वर्ष की वारन्टी, प्रथम वर्ष एटीएस तथा एएमसी एवं एटीसए की अवधि के लिये 4 वर्ष।
धरोहर राशि भुगतान*	रु. 10.00 लाख (दस लाख मात्र) ई-भुगतान द्वारा
दस्तावेज मूल्य	रु.1000.00 सभी करों एवं शुल्कों सहित ई-भुगतान द्वारा
निविदा प्रॉसेसिंग शुल्क*	रु.4500.00 तथा लागू होने वाले कर (अप्रतिदेय) ई-भुगतान द्वारा
बिक्री की तिथि (ऑन लाइन)	11.07.2019 को 11.00 बजे से 31.07.2019 (16.00 बजे तक)
जमा करने की तिथि एवं समय	01.08.2019 के 11.00 बजे
खुलने की तिथि एवं समय	02.08.2019 के 11.30 बजे

* ई-भुगतान द्वारा
कॉनकॉर को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी या सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार है।
सम्पूर्ण विवरणों के लिये www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉन ऑन करें।

कार्यकारी निदेशक (एमआईएस एंड सीएसआर)

TALBROS ENGINEERING

टलब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड
सीआईएन:L74210HR1986PLC033018
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं. 74-75-76, सैक्टर-6, फरीदाबाद, हरियाणा-121006
टेलीफोनः +91-129-4284300, फैक्सः +91-129-4061541
ई-मेलः cs@talbrosaxles.com वेबसाइटः www.talbrosaxles.com

शेयरधारकों के लिए सूचना
(निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि में शेयरों के अंतरण के लिए)

टलब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड ("कम्पनी") के शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 यथासंशोधित (यहां के बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) के अनुसरण में सभी शेयर जिनके संबंध में किसी शेयरधारक द्वारा सात (7) निरंतर वर्षों या उससे अधिक से लाभांश का भुगतान नहीं लिया है या दावा नहीं किया है, उन्हें कथित नियमों के अनुपालन में कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ प्राधिकरण) को अंतरित किया जाएगा।

कम्पनी ने जिन शेयरधारकों के शेयर आईईपीएफ को अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं, उन शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से उनके वर्तमान में उपलब्ध पते पर पहले ही सूचना भेज दी है और उन्हें 31 अक्टूबर, 2019 तक उचित एवं जरूरी कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया है। उनके फोलियो नम्बर या डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी एवं अंतरण के लिए देय शेयरों सहित ऐसे शेयरधारकों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.talbrosaxles.com पर भी उपलब्ध है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वह आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरण के लिए पात्र शेयरों के विवरणों की जांच कर लें।

आगे सभी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वह वर्ष 2011-12 और उससे आगे के लिए अप्रदत्त लाभांश के लिए अनुरोध करने हेतु कम्पनी/रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास 31 अक्टूबर, 2019 तक अपेक्षित लिखित अनुरोध कर लें जिससे उनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित नहीं किये जाएं। यदि ऐसे शेयरधारकों से कोई भी संवाद प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी नियमों में अधिसूचित प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे और कोई सूचना दिये बिना निम्नानुसार शेयरों को आईईपीएफ को अंतरित कर देगी:

(i) भौतिक प्रारूप में धारित शेयरों के मामले में: उनके स्थान पर डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करके उसके बाद इन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित करना।
(ii) डिमेट प्रारूप में धारित शेयरों के संबंध में: आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में सीधे शेयरों कोब अंतरित करना ।

संबंधित शेयरधारक कृपया नोट करें कि कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट में अपलोड किये गये विवरणों को आईईपीएफ प्राधिकरण को भौतिक शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु कम्पनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाएगा।

शेयरधारक नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके अंतरित किये गये शेयरों के साथ ही अदावाकृत लाभांश और ऐसे शेयरों पर उपार्जित कॉर्पोरेट हितलाभ, यदि कोई हो, को वापिस पाने के लिए आईईपीएफ के पास दावा कर सकते हैं। नियमों के अनुसार आईईपीएफ को अंतरित किये गये अदावाकृत लाभांश और शेयरों के संबंध में कम्पनी के पास कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। इस विषय में एवं नियमों के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए शेयरधारक कम्पनी से ई-मेल cs@talbrosaxles.com या कम्पनी के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को ई-मेल beetalrta@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते टलब्रोस इंजीनियरिंग लिमिटेड
हस्ता./-
अंकुश जिन्दल
कम्पनी सचिव

फरीदाबाद
दिनांकः 09.07.2019

खबर कोना

भारतीय कारोबारी यूएई का स्थायी निवास पाने वाला पहला विदेशी बना

दुबई, 9 जुलाई (भाषा)

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रह रहे भारतीय कारोबारी लालो सैमुअल शारजाह के ऐसे पहले विदेशी व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें स्थायी निवास मंजूर करने वाला 'गोल्ड कार्ड' दिया गया है। कारोबारियों और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को मिलने वाले पांच-दस साल के दीर्घावधि वीजा के उलट 'गोल्ड कार्ड' धारक को यूएई का स्थायी निवास देता है। 'द किंग्सटन ग्रुप' के चेयरमैन सैमुअल को शारजाह के विदेश मामलों और निवास महानिदेशक ब्रिगेडियर आरिफ अल शम्सी को स्थायी निवास प्रमाणपत्र सौंपा।

आस्ट्रेलिया को कचरा वापस भेजेगा इंडोनेशिया

जकार्ता, 9 जुलाई (एएफपी)।

विदेशी कचरों के लिए डंपिंग स्थल बनने से इनकार करते हुए इंडोनेशिया ने मंगलवार को कहा कि वह 210 टन कचरा आस्ट्रेलिया को वापस भेजेगा। सुराबाया नगर में आठ कंटेनर जब्त किए गए जिसमें रद्दी कागज की जगह खतरनाक पदार्थ के साथ-साथ प्लास्टिक की बोतलें भी थीं।

कूटनीतिक टेलीग्राम लीक होने पर थेरेजा मे पर बरसे ट्रंप

वाशिंगटन, 9 जुलाई (एएफपी)।

- ब्रिटेन इस हफ्ते लीक हुए गोपनीय टेलीग्राम के कारण संबंधों में आई खटास को दूर करने में लगा हुआ है। टेलीग्राम में अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत किम डारोक ने ट्रंप को 'अकुशल' और उनके प्रशासन को 'बेकार' बताया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी आलोचना करने वाले कई कूटनीतिक टेलीग्राम लीक होने के बाद निवर्तमान ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेजा मे पर सोमवार को जम कर निशाना साधा।

ब्रिटेन इस हफ्ते लीक हुए गोपनीय टेलीग्राम के कारण संबंधों में आई खटास को दूर करने में लगा हुआ है। इन टेलीग्राम में अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत किम डारोक ने ट्रंप को 'अकुशल' और उनके प्रशासन को 'बेकार' बताया था।

अपने राजदूत को मे की ओर से मिल रहे लगातार समर्थन से स्पष्ट रूप से नाराज ट्रंप ने ब्रेग्जिट वार्ता से निपटने के उनके तरीके पर हमला बोला और प्रधानमंत्री पद से उनकी रवानगी का स्वागत किया।

ट्रंप ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा, 'उन्होंने और उनके प्रतिनिधियों ने कितनी गड़बड़ियां की हैं।' उन्होंने कहा, 'मैंने उन्हें बताया था कि यह कैसे किया जाना चाहिए लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना।' उन्होंने लिखा, 'अच्छी खबर यह है कि अद्भुत ब्रिटेन को जल्द ही एक नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है।' वहीं ब्रितानी राजदूत किम डारोक के लिए ट्रंप ने कहा कि वह उनसे अब आगे और कोई संबंध नहीं रखेंगे।

ट्रंप ने राजदूत किम डारोक के बारे में ट्वीट किया, 'मैं राजदूत को नहीं जानता लेकिन अमेरिका में उन्हें कोई पसंद नहीं करता या उनके बारे में किसी के अच्छे विचार नहीं हैं।' उन्होंने कहा, 'अब हम उनसे (राजदूत से) कोई सरोकार नहीं रखेंगे।' लेकिन ट्रंप की टिप्पणियों के बावजूद सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि, 'सर किम डारोक को अब भी प्रधानमंत्री का पूर्ण समर्थन हासिल है।' इन टेलीग्राम का प्रकाशन 'मेल ऑन सनडे' में ऐसे समय में आया है जब लगभग एक महीने पहले ही ट्रंप ने ब्रिटेन का दौरा किया था।

पाकिस्तान के सामने कड़ी आर्थिक चुनौतियां : मुद्रा कोष

वाशिंगटन, 9 जुलाई (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का कहना है कि कमजोर और असंतुलित वृद्धि के चलते पाकिस्तान 'कड़ी आर्थिक चुनौतियों' का सामना कर रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था ऐसे अहम मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां उसे महत्त्वाकांक्षी और मजबूत सुधारों की जरूरत है।

नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अगस्त 2018 में आइएमएफ से राहत पैकेज देने के लिए संपर्क किया था। देश के पास वर्तमान में आठ अरब डॉलर से भी कम का विदेशी मुद्रा भंडार है जो उसके मात्र 1.7 माह का आयात करने के लिए काफी है। पिछले हफ्ते आइएमएफ ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को छह अरब डॉलर का कर्ज देने की मंजूरी दे दी थी। इसमें से एक अरब डॉलर की राशि तत्काल पाकिस्तान को मुहैया कराई गई। बाकी की राशि उसे तीन दिन के भीतर दिए जाने का तय हुआ। यह 1980 के बाद से अब तक पाकिस्तान को दिया गया 13वां राहत पैकेज है।

आइएमएफ के कार्यकारी निदेशक मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रथम उप प्रबंध निदेशक डेविड लिप्टन ने कहा, 'पाकिस्तान बड़ी राजकोषीय और वित्तीय जरूरतों और कमजोर एवं असंतुलित वृद्धि के चलते कड़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है।' उन्होंने कहा कि सार्वजनिक ऋण को कम करने और लचीलापन लाने के लिए निर्णायक राजकोषीय एकीकरण सबसे अहम उपाय है और वित्त वर्ष 2020 का बजट इस दिशा में शुरुआती कदम उठाने के लिए महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय लक्ष्यों को पाने के लिए एक बहु-वर्षीय राजस्व संग्रहण रणनीति, कर दायरा और कर राजस्व बढ़ाने की जरूरत है। यह सब कार्य एक सटीक संतुलन और न्यायसंगत तरीके से होना चाहिए।

अमेरिका में ब्रिटिश राजदूत का समर्थन किया थेरेजा ने

लंदन, 9 जुलाई (भाषा)।

ब्रिटेन की कार्यवाहक प्रधानमंत्री थेरेजा मे ने ई-मेल लीक होने की घटना के बावजूद अमेरिका में अपने राजदूत के प्रति समर्थन दोहराया। ब्रिटिश राजदूत द्वारा अपनी सरकार को भेजे गए उन ई मेल के लीक होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं जिनमें कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन 'अकुशल, अनाड़ी और असुरक्षित है।' ट्रंप ने संबंधित ई-मेल को लेकर ट्विटर पर ब्रिटिश राजदूत सर किम डैरोच को वाइट हाउस में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया।

अमेरिका में ब्रितानी राजदूत से नहीं रखेंगे कोई नाता : ट्रंप

वाशिंगटन, 9 जुलाई (एएफपी)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि वह देश में ब्रिटेन के राजदूत से अब आगे किसी तरह का संपर्क नहीं रखेंगे। ट्रंप का यह बयान कूटनीतिक ई-मेलों के लीक होने के बाद आया है। ट्रंप ने राजदूत किम डारोक के बारे में ट्वीट किया, 'मैं राजदूत को नहीं जानता, लेकिन अमेरिका में उन्हें कोई पसंद नहीं करता या उनके बारे में किसी के अच्छे विचार नहीं हैं।' ट्रंप ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेजा मे और उनके 'प्रतिनिधियों' पर निशाना साधते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए।

अफगानिस्तान व तालिबान के बीच दो दिवसीय वार्ता संपन्न

दोहा, 9 जुलाई (एएफपी)।

दोहा में तालिबान के साथ अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की दो दिवसीय वार्ता सोमवार को संपन्न हुई। इस बैठक के बाद अमेरिका और तालिबान के बीच नई वार्ता का आधार तैयार हुआ है।

अफगानिस्तान में जर्मनी के राजदूत मार्क्स पोतजेल ने बताया कि यह वार्ता 'अफगानिस्तान में हिंसा कम करने के वादे और अपील' के संयुक्त बयान के साथ खत्म हुई।' पोतजेल ने कतर के साथ मिलकर इस वार्ता की मेजबानी की थी। अमेरिका और तालिबान के बीच मंगलवार को बैठक होगी जिसमें दोनों का ध्यान ऐसा प्रस्ताव तैयार करना है जिससे अफगानिस्तान में 18 साल से चल रहे युद्ध खत्म हो सके। वाशिंगटन ने कहा कि वह अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव से पहले राजनीतिक समझौते पर पहुंचना चाहते हैं ताकि विदेशी बलों को अफगानिस्तान से बाहर निकालना शुरू किया जा सके। करीब 70 सदस्यों ने दोहा के एक लग्जरी होटल में इस बैठक में हिस्सा लिया।

Bank of India
Relationship beyond banking

बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली क्षेत्र, "स्टार हाऊस"
एच-2, क्नॉट सर्कस, मिडल/आउटर सर्कल, पीवीआर प्लाज़ा हॉल के पास, नई दिल्ली-110001, फोन नं. 011-28844099

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्ति के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

1 आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का वास्तविक कब्जा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर मैसर्स आर्क हैल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक तथा गारंटीकर्ता : श्री अजय गुप्ता तथा श्रीमती रीना बंसल से बैंक ऑफ इंडिया की रुपये 81.77 लाख + यूसीआई+अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 14.08.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 60.25 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 6.03 लाख होगी।
संपत्ति का विवरण : – (व्यावसायिक) शॉप नं. 86, डी मॉल, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087 जो कि मैसर्स जीयफिल सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। निर्मित दुकान का क्षेत्रफल 326 वर्ग फीट तथा सुपर बिल्ट अप एरिया 652 वर्ग फीट
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।
दिनांक : 10-07-2019
स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
श्री एस.सी. गौतम,
फोन : 011-23280192

2 आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर मैसर्स जीआरवी एंटरप्राइजेज, पार्टनर्स : श्री अरुण शर्मा, डॉ. नीरा गर्ग, श्री एन. ए. गौरव से बैंक ऑफ इंडिया की रुपये 90.19 लाख+यूसीआई+अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 14.08.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 144.00 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 14.40 लाख होगी।
संपत्ति का विवरण : (आवासीय) हाउस न. आर-30, मॉडल टाउन, सोनीपत, हरियाणा-131001 जो डॉ नीरा गर्ग के स्वामित्व में है। क्षेत्रफल रू 350 वर्ग गज
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।
दिनांक : 10-07-2019
स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
श्री एस.सी. गौतम,
फोन : 011-23280192

3 आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का वास्तविक कब्जा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर उधारकर्ताओं श्री राजीव शर्मा और गारंटर श्री नवनीत सिंह से बैंक ऑफ इंडिया की रुपये 22.41 लाख+यूसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 14.08.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 16.34 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 1.63 लाख होगी।
संपत्ति का विवरण – (आवासीय) प्रथम तल, 4/440, (ओल्ड सं 252), खसरा न 506/513/514 और 534, गली नंबर 12, भोला नाथ नगर, गाव चंद्रावली उर्फ शाहदरा, दिल्ली-110032, श्री राजीव शर्मा पुत्र श्री डी. डी. शर्मा के नाम पर। क्षेत्रफल 50 वर्ग गज
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।
दिनांक : 10-07-2019
स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
श्री एस.सी. गौतम,
फोन : 011-23280192

4 आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का वास्तविक कब्जा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर उधारकर्ताओं श्री राजीव शर्मा और गारंटर श्री नवनीत सिंह से बैंक ऑफ इंडिया की रुपये 25.07 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 14.08.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 16.43 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 1.64 लाख होगी।
संपत्ति का विवरण – (आवासीय) फ्लैट दूसरे तल पर, (छत के अधिकार के साथ) संपत्ति संख्या 252, नयी संख्या 4/440, गली संख्या 12, भोला नाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032, श्री राजीव शर्मा के नाम पर। क्षेत्रफल 41.80 वर्ग मीटर
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।
दिनांक : 10-07-2019
स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
श्री सुवेन्दु दास,
फोन : 011-23971045

5 आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का वास्तविक कब्जा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर मैसर्स गौरव मार्केटिंग, प्रोपराइटर: श्री गौरव तनेजा तथा गारंटर: श्रीमति कृष्णा तनेजा, श्रीमति सुदर्शन तनेजा से बैंक ऑफ इंडिया की रुपये 82.77 लाख+यूसीआई+अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 14.08.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 31.86 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 3.19 लाख होगी।
संपत्ति का विवरण :– (आवासीय) संपत्ति सं. **WZ-1621**, प्रथम तल, रानी बाग, शकूर बस्ती, नई दिल्ली-110034 जो कि श्रीमती कृष्णा तनेजा के स्वामित्व में है। क्षेत्रफल 52.25 वर्ग मीटर
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।
दिनांक : 10-07-2019
स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
श्री राजेश कोहली,
फोन : 011-28534414

6 आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर मैसर्स सैनी फ्लोर मिल्स – प्रोपराइटर: श्री मुकेश कुमार, गारंटर: श्रीमती इंद्रा देवी और मैसर्स महालक्ष्मी ट्रेडिंग क – प्रोपराइटर: श्री राजेश कुमार, गारंटर: श्रीमती इंद्रा देवी से बैंक ऑफ इंडिया की (मैसर्स सैनी फ्लोर मिल्स) रुपए 72.46 लाख+यूसीआई+अन्य शुल्क और (मैसर्स महालक्ष्मी ट्रेडिंग क) रुपए 51.96 लाख+यूसीआई+अन्य शुल्क की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 14.08.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 96.95 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 9.70 लाख होगी।
संपत्ति का विवरण :– (आवासीय) प्लॉट स्थित केवट नं. 902, खसरा नंबर 504/1 (0-3), छोटूराम पार्क, झज्जर रोड, बहादुरगढ़, हरियाणा-124507 जो कि श्रीमति इंद्रा देवी पत्नी श्री मुकेश कुमार के नाम पर है। क्षेत्रफलरू 130 वर्ग गज
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।
दिनांक : 10-07-2019
स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
श्री मुरारी महतो,
फोन : 011-25255045

7 आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का वास्तविक कब्जा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर मैसर्स रतन सागर ज्वेलर्स, प्रोपराइटर : श्री गिरीश मिलवाड़ा और गारंटीकर्ता : श्री हरपाल सिंह से बैंक ऑफ इंडिया की रुपये 185.23 लाख+यूसीआई+अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 14.08.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 74.07 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 7.41 लाख होगी।
संपत्ति का विवरण – (व्यावसायिक) ग्राउंड फ्लोर पर दो बिल्ट-अप दुकानें और 1 फीट गहरी और 14 फीट लम्बी एक आलमारी के साथ (बिना छत के अधिकार के), बिल्ट-अप प्रॉपर्टी नंबर 3240, वार्ड न XVI, गली नं. 29, खसरा नंबर 2683&2616, ब्लॉक नंबर पी, बस्ती रेगर, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 जो कि श्री हरपाल सिंह के नाम पर है। क्षेत्रफल 210 वर्ग फीट
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।
दिनांक : 10-07-2019
स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
श्री अमित कुमार
फोन – 011-26329566

8 आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का वास्तविक कब्जा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर मैसर्स दौलतराम नरेश कुमार, मालिक श्रीमती गीता रानी और गारंटर श्री आशीष सिंघल, श्री शंकर सिंघल, श्री पवन कुमार अग्रवाल, श्रीमती संतोष कुमार अग्रवाल से बैंक ऑफ इंडिया की रुपये 146.31 लाख+यूसीआई+अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 14.08.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 8.52 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 0.85 लाख होगी।
संपत्ति का विवरण – (व्यावसायिक) गोदाम, 2321 और 2322 में, ग्राउंड फ्लोर, गली हींगा बेग, तिलक बाजार, खारी बावली, वार्ड नंबर 3, दिल्ली-110006, श्री पवन कुमार अग्रवाल के नाम पर। क्षेत्रफल 110 वर्ग फीट
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।
दिनांक : 10-07-2019
स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
श्री शशि कांत सदामरतीय,
फोन – 011-23717344

9 आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का वास्तविक कब्जा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर मैसर्स दौलतराम नरेश कुमार, मालिक श्रीमती गीता रानी और गारंटर श्री आशीष सिंघल, श्री शंकर सिंघल, श्री पवन कुमार अग्रवाल, श्रीमती संतोष कुमार अग्रवाल से बैंक ऑफ इंडिया की रुपये 146.31 लाख+यूसीआई+अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 14.08.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 12.40 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 1.24 लाख होगी।
संपत्ति का विवरण – (व्यावसायिक) गोदाम, 2321 और 2322 में, ग्राउंड फ्लोर, गली हींगा बेग, तिलक बाजार, खारी बावली, वार्ड नंबर 3, दिल्ली-110006, श्रीमति संतोष कुमारी अग्रवाल और श्री पावन कुमार अग्रवाल के नाम पर। क्षेत्रफल 157 वर्ग फीट
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।
दिनांक : 10-07-2019
स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
श्री शशि कांत सदामरतीय,
फोन – 011-23717344

10 आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का वास्तविक कब्जा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर उधारकर्ताओं श्री ऋषि कुमार से बैंक ऑफ इंडिया की रुपये 23.29 लाख+ यूसीआई+अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 14.08.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 18.00 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 1.80 लाख होगी।
संपत्ति का विवरण – (आवासीय) संपत्ति संख्या 212, प्रथम तल, पॉकेट-01, सेक्टर-25, रोहिणी, दिल्ली-110085 जो कि श्री ऋषि कुमार के स्वामित्व में है। क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।
दिनांक : 10-07-2019
स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
श्री मुरारी महतो,
फोन : 011-25255045

11 आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का वास्तविक कब्जा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को रूजहां है, जैसा है और जो कुछ भी हैरू के आधार पर उधारकर्ता रू श्री हरी भूषण झा तथा गारंटीकर्ता रू श्री संजीव कुमार झा से बैंक ऑफ इंडिया की रुपये 21.40 लाख+यूसीआई+अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 14.08.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 20.00 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 2.00 लाख होगी।
संपत्ति का विवरण – (आवासीय) फ्लैट नंबर 149, चौथी मंजिल, ब्लॉक-ए, कोंडली के ले-आउट प्लान में स्थित, घरोली, जिसे मयूर विहार-।।। के रूप में जाना जाता है, दिल्ली-110096 जिसके मालिक श्री हरि भूषण झा है। क्षेत्रफल रू 28 वर्ग मीटर
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।
दिनांक : 10-07-2019
स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
श्री द्वारका प्रसाद,
फोन : 011-22750372

12 आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का वास्तविक कब्जा बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर मैसर्स राधिका स्टोन्स, पार्टनर्स रू श्री विकास गुप्ता, श्रीमति रीना गुप्ता से बैंक ऑफ इंडिया की रुपये 48.98 लाख + यूसीआई + अन्य प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 14.08.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रुपए 22.50 लाख होगा और अग्रिम धनराशि रुपए 2.25 लाख होगी।
संपत्ति का विवरण – (व्यावसायिक) संपत्ति संख्या एस-307 एवं एस-309, तृतीय तल, प्लॉट न. 20, शिवम कॉम्प्लेक्स, वीर सावरकर ब्लॉक, शकरपुर, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 जो कि श्रीमती रीना गुप्ता के नाम पर है। क्षेत्रफल क्रमशः 17.33 वर्ग मीटर और 14.50 वर्ग मीटर
विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें।
दिनांक : 10-07-2019
स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
श्री द्वारका प्रसाद,
फोन : 011-22750372

नियम और शर्तें
1) नीलामी बिक्री/बोली केवल "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया" https://www.bankeauctions.com वेबसाइट के माध्यम से होगी।
2) ईएमडी राशि के साथ दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि – 13.08.2019 या उससे पहले शाम 5 बजे तक।
3) नीलामी की तिथि और समय – 14.08.2019 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक असीमित 5 मिनट प्रत्येक ऑटो-एक्सटेंशन के साथ।
4) नीलामी आरक्षित मूल्य + पहले वृद्धि मूल्य पर शुरू होगी, जैसा कि ऊपर बताया गया है। सभी सम्पत्तियों के लिए उपरोक्त तालिका में उल्लिखित गुणकों में बोलीदाता अपने प्रस्तावों में सुधार करेंगे।
5) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करवाना है और मैसर्स सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (श्री विनोद चौहान +919813887931) से उनकी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना है, जिसके पश्चात उन्हें उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
6) इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी की बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले उपरोक्त संपत्ति से संबंधित किसी भी वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली बकाया आदि के बारे में स्वयं अपनी पूछताछ करनी होगी। संपत्तियों को सभी मौजूदा और भविष्य के एन्कम्ब्रेन्स के साथ बेचा जा रहा है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात हो। अधिकृत कार्यालय/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह से किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
7) ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण प्राधिकृत अधिकारी/बैंक की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार है। प्राधिकृत अधिकारी और/या बैंक इस सार्वजनिक सूचना में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।
8) उपर्युक्त संपत्ति ऊपर उल्लिखित आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेची जाएगी। इच्छुक बोलीकर्ताओं को संपत्ति के क्रय के लिए ई-नीलामी के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों/विवरणों को ईएमडी के साथ एक लिफाफे में सुपर-लिखित 'सरफेसी एक्ट 2002 के तहत संपत्ति की खरीद के लिए नीलामी के लिए ईएमडी राशि', उपरोक्त सभी संपत्तियों के लिए तालिका में उल्लिखित खाते के नाम के साथ 13.08.2019 को या उससे पहले शाम 5 बजे तक जमा करना होगा :–
ए) ईएमडी राशि एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से यूटीआर नंबर के साथ रसीद के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।
बी) पैन कार्ड, पहचान पत्र तथा पते के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी हालांकि, सफल बोलीदाता को बोली राशि की शेष 25% राशि का भुगतान करते समय मूल दस्तावेजों को बैंक प्रस्तुत करना होगा।
सी) बोलीदाता का नाम, संपर्क नंबर, वैकल्पिक नंबर, पता, ई-मेल आईडी इत्यादि।
डी) ईएमडी के ऑनलाइन वापसी के लिए बोलीदाताओं के खाते का विवरण।
9) उच्चतम/सफल बोलीदाता के मामले में ईएमडी राशि समायोजित कर दी जाएगी, अन्यों को बिक्री समाप्त होने के 5 दिनों के भीतर ईएमडी राशि वापस कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि बोलीदाता बोली जमा करने/ईएमडी राशि जमा करने के बाद ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है और यदि वह एकमात्र बोलीदाता है, तो उसकी बोली को उपरोक्त आरक्षित मूल्य पर माना जाएगा, और उसे सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा।
10) उच्चतम/सफल बोलीदाता को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता के बाद पहले से भुगतान की गयी ईएमडी राशि को मिलाकर बोली/खरीद राशि का 25% बिक्री की पुष्टि के अगले कार्यदिवस तक (बैंकिंग अवधि के दौरान) जमा करनी होगी अन्यथा उसकी ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
11) बोली/खरीद राशि की शेष 75% राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 वें दिन या उससे पहले (बैंकिंग कार्यदिवस के दौरान) या पूरी तरह से प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार लिखित में किए गए समझौते के अनुसार बढ़ाई गयी ऐसी किसी तिथि तक जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर इस शेष राशि को जमा करने में असफल रहने पर जमा की गयी राशि उसे जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी/बैंक के पास नीलामी रद्द करने और नई नीलामी आयोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12) सम्पूर्ण बिक्री राशि प्राप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा और इस संबंध में बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं लेगा।
13) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली अथवा किसी या सभी बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने और अपने विवेकानुसार बिक्री की किसी भी शर्त को बदलने, संशोधित करने या छूट देने का अधिकार रखता है।
14) यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों/कर्जदाताओं को अग्रिम में 30 दिनों का नोटिस भी है।

नई दिल्ली

दिलचस्प आंकड़े

रन	21014	सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा
विकेट	625	
छक्के	340	उच्चतम स्कोर डेविड वार्नर
अर्धशतक	106	

बारिश से रुका भारत-न्यूजीलैंड सेमी फाइनल

आज आगे खेला जाएगा मैच

नए सिरे से नहीं खेले जाएंगे मैच, न्यूजीलैंड बाकी बचे 3.5 ओवर खेलेगा। अगर फिर बारिश खलल डालती है और न्यूजीलैंड आगे बल्लेबाजी नहीं कर पाता है तो डकवर्थ लुईस पद्धति से भारत को 46 ओवरों में 237 रन बनाने होंगे। यदि केवल 20 ओवर का खेल संभव होता है तो भारत के सामने 148 रन क लक्ष्य होगा।

मैनचेस्टर, 9 जुलाई (भाषा)।

भारतीय गेंदबाजों ने अपनी मारक क्षमता और अनुशासित गेंदबाजी का शानदार नमूना पेश करके विश्व कप के पहले सेमी फाइनल में मंगलवार को यहां न्यूजीलैंड पर अपनी टीम का पलड़ा भारी रखा लेकिन बारिश के खलल के कारण मैच पूरा नहीं हो पाया और अब यह आगे बुधवार को खेला जाएगा।

न्यूजीलैंड ने जब 46.1 ओवर में पांच विकेट पर 211 रन ही बनाए थे तभी बारिश आ गई जिसके बाद दिन में आगे का खेल नहीं हो पाया। अंपायरों ने भारी बारिश के कारण आउटफील्ड गीली होने से मैच रिजर्व दिन को पूरा करने का फैसला किया। सेमी फाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व दिन रखा गया है लेकिन इसमें मैच नए सिरे से शुरू नहीं होगा। इस तरह से बुधवार को न्यूजीलैंड बाकी बचे 3.5 ओवर खेलेगा और उसके बाद भारतीय पारी शुरू होगी। अगर बुधवार को भी बारिश खलल डालती है और न्यूजीलैंड आगे बल्लेबाजी नहीं कर पाता है तो डकवर्थ लुईस पद्धति से भारत को 46 ओवरों में 237 रन बनाने होंगे। यदि केवल 20 ओवर का खेल संभव होता है तो भारत के सामने 148 रन क लक्ष्य होगा। बुधवार को भी मैच पूरा नहीं होने की दशा में भारत लीग चरण में अधिक अंक हासिल करने के कारण फाइनल में पहुंच जाएगा। बारिश आने से पहले हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने समां बांध रखा था। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलिमयसन (95 गेंदों पर 67) ने हेनरी निकोल्स (51 गेंदों पर 28) के साथ दूसरे विकेट के लिए 68 और रोस टेलर (नाबाद 67) के साथ तीसरे विकेट के लिए 65 रन की दो अर्धशतकीय साझेदारियां की लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने सही समय पर विकेट निकाले। जसप्रीत बुमराह (25 रन देकर एक) और भुवनेश्वर कुमार (30 रन देकर एक) ने शुरू से ही कसी हुई गेंदबाजी करके न्यूजीलैंड पर दबाव बनाया। बीच के ओवरों में रविंद्र जडेजा (34 रन देकर एक) ने यह भूमिका बखूबी निभाई। हार्दिक पंड्या (55 रन देकर एक) और युजवेंद्र चहल (63 रन देकर एक) ने भी अच्छी गेंदबाजी की भले ही आखिरी ओवरों में रन देने के कारण उनका गेंदबाजी विश्लेषण आकर्षक नहीं रहा।

बारिश के बाद पिच का निरीक्षण करते अंपायर।

गेंद शुरू में स्विंग ले रही थी तथा बुमराह और भुवनेश्वर ने बल्लेबाजों पर अच्छी तरह से दबाव बनाया। विराट कोहली टास गंवा बैठे और इसके बाद पहले गेंदबाजी करते हुए उन्होंने पहली गेंद पर अपना रेफरल भी गंवा दिया। मार्टिन गुप्टिल (एक) इसका फायदा नहीं उठा पाए और बुमराह ने चौथे ओवर में उन्हें कोहली के हाथों कैच कराकर स्कोर एक विकेट पर एक रन कर दिया। न्यूजीलैंड पहले पावरप्ले तक वह 27 रन तक ही पहुंच पाया जो इस विश्व कप में पहले दस ओवरों में किसी भी टीम का न्यूनतम स्कोर है। नकोल्स भले ही 18 ओवर से अधिक समय तक क्रीज पर रहे लेकिन इस बीच तेज और स्पिन मिश्रित आक्रमण के सामने उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ा। विलियमसन और निकोल्स जब पारी संवार रहे थे तब जडेजा ने 'विकेट टु विकेट' गेंद करके बल्लेबाजों को परेशानी में रखा। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने अंदर आती गेंद पर निकोल्स को चकमा देकर उनका मिडिल स्टंप थर्राया और उन्हें लंबी पारी नहीं खेलने दी। पहले 25 ओवरों में स्कोर दो विकेट 83 रन था। इस बीच भारतीय गेंदबाजों ने 150 में से 102 गेंदों पर रन नहीं दिए थे जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गेंदबाज कितने हावी थे।

विश्व कप डायरी

'अगर फाइनल में दोबारा इंग्लैंड से खेले तो भगवान हमारा साथ देगें'

मैनचेस्टर, 9 जुलाई (भाषा)।

भारत के कोच रवि शास्त्री का मानना है कि विश्व कप लीग चरण में मेजबान टीम के खिलाफ हार के दौरान भगवान इंग्लैंड के साथ था लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर टूर्नामेंट के फाइनल में दोनों टीमें दोबारा भिड़ती हैं तो वह उनके साथ होगा।

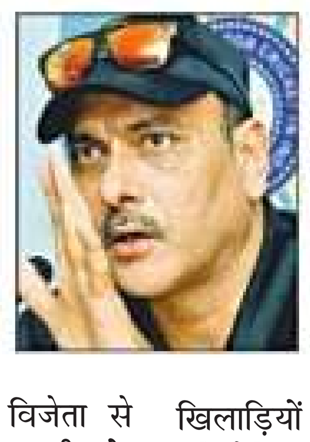

भारत अगर पहले सेमी फाइनल में न्यूजीलैंड को हरा देता है तो खिताबी मुकाबले में उसका सामना आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने लीग चरण में सात जीत के साथ शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इंग्लैंड एकमात्र टीम थी जिसने लीग चरण के दौरान भारत को हराया था। खिताब के प्रबल दावेदार माने जा रहे इंग्लैंड ने करो या मरो के मुकाबले में भारत को हराकर सेमी फाइनल में जगह बनाने की उम्मीद जीवंत रखी थी।

आइसीसी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में शास्त्री ने कहा, मुझे लगता है कि उस दिन भगवान इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में थे। उम्मीद करता हूं कि अगर हम अगले मैच में इंग्लैंड से खेलेंगे तो वह हमारे ड्रेसिंग रूम में होगें।

शास्त्री ने टूर्नामेंट के मौजूदा शीर्ष स्कोरर रोहित शर्मा की भी जमकर तारीफ की जो टूर्नामेंट में पांच शतक जड़ चुके हैं। उन्होंने कहा, रोहित महानतम एकदिवसीय खिलाड़ियों में से एक है। वह इस प्रतियोगिता में रन बनाता या नहीं, वर्षों से उसके रेकार्ड पर नजर डालिए। एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में तीन दोहरे शतक। शास्त्री ने कहा, किसी ने ऐसा नहीं किया है। शीर्ष क्रम में उसने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है।

ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर नहीं उड़ सकेंगे विमान

मैनचेस्टर, 9 जुलाई (भाषा)।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मंगलवार को यहां होने वाले सेमी फाइनल के दौरान ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम के ऊपर विमान उड़ान नहीं भर सकेंगे क्योंकि स्टेडियम को 'नो फ्लाई जोन' घोषित किया गया है।

श्रीलंका के खिलाफ हैडिंग्ले में टीम इंडिया के लीग मैच के दौरान निजी विमान से भारत विरोधी बैनर लहराए गए थे जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। यह फैसला यहां स्थानीय अधिकारियों से सलाह मशविरे के बाद लिया गया है। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआइ को यह जानकारी दी है। इस फैसले की जानकारी रखने वाले बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने एजंसी को बताया, हमने सुरक्षा में चूक की बात स्पष्ट तौर पर बताई थी और हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया था। इसके तहत ईसीबी ने सीईओ राहुल जोहरी को पुष्टि की है कि एक दिन के लिए ओल्ड ट्रैफर्ड के वायु क्षेत्र को 'नो फ्लाई जोन' घोषित किया गया है।

मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में भारतीय प्रशंसक टीम का उत्साह बढ़ाते हुए।

मीराबाई ने राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता

आपिया, 9 जुलाई (भाषा)।

पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के पहले दिन मंगलवार को स्वर्ण पदक जीता।

भारतीय दल ने आठ स्वर्ण, तीन रजत और दो कांस्य समेत 13 पदक अपने नाम किए। मीराबाई ने महिलाओं के 49 किलो वर्ग में 191 किलो (84 प्लस 107) वजन उठाया। यहां से मिले अंक 2020 तोक्यो ओलंपिक की अंतिम रैंकिंग में काफी उपयोगी साबित होंगे। मीराबाई ने अप्रैल में चीन के निंगबाओ में एशियाई चैंपियनशिप में 199 किलो वजन उठाया था लेकिन मामूली अंतर से पदक से चूक गई थी। ओलंपिक 2020 की क्वालीफिकेशन प्रक्रिया 18 महीने के भीतर छह टूर्नामेंटों में भारोत्तोलकों के प्रदर्शन पर निर्भर है। इसमें से चार सर्वश्रेष्ठ नतीजों के आधार पर निर्धारण होगा। झिल्ली डालाबेहरा ने 45 किलो वर्ग में 154 किलो वजन उठाकर पीला तमगा जीता। सीनियर 55 किलो वर्ग में सोरोइखाइबाम बिंदिया रानी और मत्सा संतोषी को स्वर्ण और रजत पदक मिले। पुरुष वर्ग में 55 किलो वर्ग में रिषिकांता सिंह ने स्वर्ण पदक जीता।

छेत्री छठी बार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए

नई दिल्ली, 9 जुलाई (भाषा)।

करिश्माई भारतीय कप्तान सुनील छेत्री को मंगलवार को रिकार्ड छठी बार वर्ष का एआइएफएफ का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर चुना गया।

पिछले दो वर्षों से अपनी सर्वश्रेष्ठ फार्म में चल रहे इस 34 वर्षीय स्ट्राइकर को इससे पहले 2007, 2011, 2013, 2014 और 2017 में एआइएफएफ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया था। वह अभी इंडियन सुपर लीग में बंगलुरु एफसी की तरफ से खेलते हैं। छेत्री के नाम पर अभी सक्रिय खिलाड़ियों में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल दर्ज हैं। उनके नाम पर 70 गोल हैं और वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो (149) के बाद दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने ताजिकिस्तान के खिलाफ इंटरकांटिनेंटल कप के दौरान लियोनेल मेसी (68) को पीछे छोड़ा। भारतीय मिडफील्डर अब्दुल समद को एआइएफएफ वर्ष का उदीयमान खिलाड़ी चुना गया। महिलाओं में आशालता देवी को एआइएफएफ की वर्ष की महिला फुटबॉलर जबकि डांगमेई ग्रेस को उदीयमान महिला खिलाड़ी चुना गया।

पिछले चार वर्षों में आस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड का रेकार्ड बेहतर : रूट

बर्मिंघम, 9 जुलाई (भाषा)।

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने कहा उनकी टीम के पास चिर प्रतिद्वंद्वी आस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार को खेले जाने वाले विश्व कप सेमी फाइनल मुकाबले में लीग मैच की हार का बदला लेने की क्षमता है। इंग्लैंड को आस्ट्रेलिया ने लॉड्र्स में खेले गए लीग मुकाबले में आसानी से हरा दिया था जिसके बाद घरेलू टीम पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा था। भारत और न्यूजीलैंड के खिाफ लगातार दो जीत दर्ज कर हालांकि टीम सेमी फाइनल में पहुंचने में सफल रही।

विश्व कप के लीग मुकाबले से पहले आस्ट्रेलिया ने अभ्यास मैच में भी इंग्लैंड को हराया था लेकिन इससे पहले इंग्लैंड ने उनके घरेलू मैदान पर एकदिवसीय श्रृंखला में 4-1 की जीत दर्ज की जबकि अपने घरेलू मैदान पर उन्हें 5-0 से हराया। रूट ने कहा, अगर आप पिछले 11 मुकाबलों को देखेंगे तो हम नौ बार विजेता रहे। उन्होंने कहा, टीम में खिलाड़ियों का जो समूह है पिछले चार में आस्टेलिया के खिलाफ उसका रेकार्ड सकारात्मक रहा है और उन्हें काफी सफलता मिली है। इंग्लैंड के टैस्ट टीम के इस कप्तान ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए यह चिंता की बात है। हम गुरुवार को खेले जाने वाले मैच के लिए आस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले कुछ समय में मिली सफलता से प्रेरणा लेंगे। इंग्लैंड के लिए अच्छी बात यह है कि सलामी बल्लेबाज जेसन राय लय में आ गए।

सेरेना, हालेप विंबलडन के सेमी फाइनल में

लंदन, 9 जुलाई (एएफपी)।

सेरेना विलियम्स ने मंगलवार को यहां हमवतन अमेरिकी खिलाड़ी एलिसन रिस्के पर तीन सेट तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में जीत दर्ज करके विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 12वीं बार सेमी फाइनल में जगह बनाई।

सात बार की चैंपियन सेरेना ने गैरवरीयता प्राप्त रिस्के को 6-4, 4-6, 6-3 से हराया। इस मैच में सेरेना ने आखिर में अपने अनुभव का फायदा उठाया क्योंकि रिस्के ने दो घंटे तक चले मैच में उन्हें काफी संघर्ष करवाया। सैंतीस वर्षीय सेरेना हालांकि आखिर में विंबलडन में अपनी 97वीं जीत दर्ज करने में सफल रहीं। उक्रेन की आठवीं वरीयता प्राप्त इलिना स्वितलोना ने पहली बार इस ग्रास कोर्ट टूर्नामेंट के सेमी फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने चेक गणराज्य की गैरवरीयता कारोलिना मुचोवा को 7-5, 6-4 से हराया। स्वितलोना सेमी फाइनल में रोमानिया की सिमोना हालेप से भिड़ेगी। उन्होंने चीन की झांग शुहाई को 7-6 (7/4), 6-1 से हराकर दूसरी बार विंबलडन सेमी फाइनल में प्रवेश किया। सेरेना सेमी फाइनल में चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्रीकोवा का सामाना करेंगी जिन्होंने फ्रेंच ओपन की फाइनलिस्ट ब्रिटिश खिलाड़ी योहाना कोंटा को 7-6, 6-1 से पराजित किया। सेरेना के लिए क्वार्टर फाइनल की जीत आसान नहीं रही। रिस्के ने तीसरे सेट में आठवें गेम में चौथे ब्रेक प्वाइंट पर डबल फाल्ट किया। इसके बाद सेरेना ने अपनी सर्विस पर मैच जीता। पहले सेट में सेरेना ने दो अवसरों पर अपनी सर्विस गंवाई लेकिन उन्होंने सही समय पर वापसी की और रिस्के की सर्विस तोड़कर यह सेट अपने नाम किया। दूसरे सेट में हालांकि रिस्के ने नौवें गेम में ब्रेक प्वाइंट लेकर 5-4 से बढ़त हासिल की और फिर अपनी सर्विस पर यह सेट जीतकर मैच को तीसरे और निर्णायक सेट तक खींचा।

सेरेना विलियम्स
गैरवरीयता अमेरिकी खिलाड़ी एलिसन रिस्के को 6-4, 4-6, 6-3 से हराया।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 234, *हवाई शुल्कः* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार।

कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।